खण्ड-201, अंक-3
बुधवार, 29 माघ, शक संवत् 1880
(18 फरवरी, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 201 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १८ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३५१

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दामोदरराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीननारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह बतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शरीसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजबहादुरसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शंभुनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
स ग्रामसिंह, श्री
स ईद अहमद अन्सारी, श्री
स जीवनलाल, श्री
स त्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
स म्पूर्णानन्द, डाक्टर
स रस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री

सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १८ फरवरी, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में जलाने की लकड़ी

१---श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जलाने वाली लकड़ी का अभाव है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---नियंत्रित जलाने वाली लकड़ी की कमी है । किन्तु अनियन्त्रित लकड़ी की कोई कमी नहीं है ।

२---श्री गनेशीलाल चौधरी**---इस समय जंगलों से जलाने वाली लकड़ी लाने के लिये कितने ठेकेदार लखनऊ में हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---लखनऊ में नियंत्रित जंगलों से जलाने वाली लकड़ी लाने के लिये एक ऐजेन्ट है। अनियंत्रित लकड़ी के ठेकेदारों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

३---श्री गनेशीलाल चौधरी**---जलाने वाली लकड़ी की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---बन अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे नियंत्रित जलाने की लकड़ी अधिक मात्रा में भेजने का प्रबन्ध करें और रेल अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे वैगनों की सप्लाई शीघ्रातिशीघ्र करें ।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि लखनऊ में अब एक ही एजेंट लकड़ी लाने वाला है और इसी लिये लकड़ी की कमी हो गई ह ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, पहले कई होते थे, तीन थे लेकिन जुलाई से फारेस्ट ऐसोसियेशन का एक ही रखा गया था, लेकिन अब चूंकि इससे तंगी मालूम हो रही है हमने हाल में ही पोजीशन को रिव्यू किया है और अब ५० प्रतिशत इस एजेन्ट से और ५० प्रतिशत पुरानों से भी मंगाने का प्रबन्ध किया गया है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कुल कितनी नियंत्रित और अनियंत्रित लकड़ी की खपत होती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अनियंत्रित का तो पता नहीं, लेकिन नियंत्रित लकड़ी के २०० वैगन प्रतिमास के हिसाब से यहां आते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कितने मन जलाने की लकड़ी की मांग है और उसमें से कितनी सरकार देती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अब तो चूंकि डिकंट्रोल को लकड़ी कर दिया है इसलिये इसके अन्दाजे की तो आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अब वह जंगलों से काफी आ रही है, लेकिन लखनऊ में राजधानी होने के कारण २,४०० वैगन माल भर में देते हैं, कुछ कमी आवश्यकता से हो जाती होगी ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की तैयारी

४---श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)---राज्य सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार करना आरम्भ कर दिया है, यद्यपि नियोजन आयोग द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर ही इस दिशा में पूरी तरह से कार्य किया जा सकेगा

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह विचार जो आरम्भ हुआ है उसमें अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अभी हमने उन विभागों में जिन का खासतौर से डेवलपमेंट से सम्बन्ध है कुछ वर्किंग पेनल्स अफसरों के बनाये हैं, इस वक्त तक तो इतनी ही बात हुई है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी का विचार कोई पेनल आफ एकनामिस्ट्स या विद्वानों की नियुक्ति करने का है जो प्लान ठीक से बनाये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह भी दिमाग में है लेकिन अभी प्लानिंग कमीशन स्वयं विचार कर रहा है कि आगे क्या सिद्धान्त हों कि जिन पर प्लान बने । हमें उन का एक फ्रेम वर्क मालूम हो जाय तभी हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में अभी तक अनुमानतः कितना व्यय होने का अनुमान सरकार का है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न कब्ल-अज-वक्त है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री ने कहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्राम स्तर पर ग्राम सभाओं और पंचायतों से भी सलाह ली जायगी, तो इस सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जहां तक सम्भव होगा जरूर विचार किया जायगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा करने में, कार्यान्वित करने में, सब दलों के सहयोग की आवश्यकता है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि इसको निर्माण किये जाने में भी सब दलों से परामर्श लें और सहायता लें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--निश्चय ही, इसमें कोई संदेह नहीं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उसमें किस चीज पर स्ट्रेस दिया जायगा, उसकी कोई मोटी रूप-रेखा दी गयी है तृतीय पंचवर्षीय योजना में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने निवेदन किया कि एक बार जब तक प्लानिंग कमीशन की तरफ से हमारे पास थोड़ा सा इशारा न आ जाय, हम कुछ कह नहीं सकते हैं ।

श्री प्रतापसिंह--क्या यह सही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सीलिंग आफ लैंड और कोआपरेटिव फार्मिंग पर भी जोर दिया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उसमें तो इतने दिनों तक ठहरने की जरूरत नहीं होगी । माननीय सदस्य ने अगर नागपुर कांग्रेस का प्रस्ताव पढ़ा होगा तो उनको मालूम हो गया होगा कि वह काम तो इसी साल करना होगा, यदि संभव होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस योजना में अधिक डिटेल्स होने से उसकी ग्रामीण और जिला स्तर पर भी तैयारी कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी हम कुछ ठीक विचार नहीं कर रहे हैं । पता नहीं कि किस दशा में हमको जाना होगा ।

फीरोजाबाद में २५० रुपया तक आय वालों को सस्ता अनाज देने की प्रार्थना

****५--श्री जगन्नाथ लहरी** (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सस्ते गल्ले की दूकानों से २५० रु० तक मासिक आमदनी वालों को गल्ला देने की योजना प्रदेश के किन-किन नगरों में चालू है ? क्या यह योजना फीरोजाबाद नगर में भी चालू है ? यदि नहीं, तो इसे फीरोजाबाद नगर में न चालू करने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सस्ते गल्ले की दूकानों से २५० रु० तक मासिक आमदनी वालों को गल्ला देने की योजना पंच महानगरों (KAVAL TOWNS) तथा मेरठ, बरेली, तथा सहारनपुर नगरों में चालू है । फीरोजाबाद नगर में यह योजना नहीं लागू की गई है । इस योजना का मुख्य ध्येय यह है कि अधिक से अधिक कम आय वर्ग के लोग इस योजना से लाभ उठा सकें । क्योंकि फीरोजाबाद जैसे छोटे नगरों में उपरोक्त बड़े नगरों की अपेक्षा निर्वाह व्यय कम है । अतः छोटे नगरों में जिनमें फीरोजाबाद भी सम्मिलित है सस्ते गल्ले की सुविधा केवल १५० रु० मासिक आय वालों तक के लिये सीमित रखी गई है ।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रदेश में कवाल टाउन्स में ज्यादातर गल्ले की दूकानें चालू की गयीं तब क्या फीरोजाबाद ही ऐसा नगर था जिसका निर्वाह व्यय पहले से कम हो गया है ऐसा मानकर वह सुविधा फीरोजाबाद को क्यों नहीं दी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो सभी नगरों के लिए है । जो छोटे-छोटे नगर हैं, जिनमें फीरोजाबाद भी शामिल है वहां १५० रुपये तक की आमदनी वालों को गल्ला दिया जाता है ।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि कानपुर को छोड़कर फीरोजाबाद ही वह सब से बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है जहां पर निर्वाह व्यय अधिक है ? वहां ढाई सौ रुपये तक की आमदनी वालों को सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--कानपुर के समकक्ष तो नहीं मान सकता हूं, मगर ऐसे ही अपेक्षाकृत और भी छोटे नगर हो सकते हैं जिनमें निर्वाह व्यय अधिक हो ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद के निर्वाह व्यय के आंकड़े रखे जाते हैं ? अगर हां, तो वह क्या हैं और आगरे के मुकाबले में कम हैं या ज्यादा हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--माननीय मंत्री जी इस बात का जब अहसास करते हैं कि फीरोजाबाद भी कानपुर से कुछ कम बड़ा है तो क्या वे वहां भी ढाई सौ रुपये वालों के लिये सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला लेने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अगर आवश्यकता प्रतीत होगी तो इस पर भी विचार किया जायगा ।

श्री जगन्नाथ लहरी--जैसा कि कहा गया है कि निर्वाह व्यय कम होने की वजह से सुविधा नहीं दी जा सकती है तो मैं अनुरोध करूंगा कि वहां पर कवाल टाउन्स से निर्वाह व्यय कम नहीं है तो क्या वह यह सुविधा वहां देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो गल्ले के उपलब्ध होने पर मुन्हसिर करता है, क्योंकि हमको सेंटर से गल्ला लेना पड़ता है और जिस मात्रा में वह बढ़ाते हैं उसी के अनुसार हम बढ़ा सकते हैं । उन्होंने ६ हजार टन बढ़ाकर दिया है इसलिये उससे हम कवाल टाउन्स की डिमांड को मीट कर पा रहे हैं । यदि ऐसा हुआ तो औरों में भी करने की चेष्टा करेंगे ।

तारांकित प्रश्न

सोरांव तहसील की चकबन्दी में हरिजन कर्मचारी

*१--**श्री जवाहरलाल** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद की तहसील सोरांव में जो चकबन्दी हो रही है उसमें कितने कन्सालिडेटर, अमीन, पेशकार, क्लर्क और चपरासी कार्य कर रहे हैं और उनमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

राजस्व मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)--जिला इलाहाबाद की तहसील सोरांव में चकबन्दी विभाग में ३४ कन्सालिडेटर, १३८ लेखपाल, ३१ क्लर्क एवं पेशकार तथा ८० चपरासी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से २ लेखपाल, २ क्लर्क तथा ६ चपरासी हरिजन हैं ।

*२--**श्री जवाहरलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस तहसील की चकबन्दी कितने दिनों में पूरी हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह--उपरोक्त तहसील में चकबन्दी आगामी वर्ष में समाप्त हो जाने की संभावना है ।

श्री जवाहरलाल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर जो हरिजनों की संख्या बताई गई है तो क्या कारण है कि १८ फीसदी के हिसाब से उनको नौकरियों में नहीं रखा गया है ?

श्री धर्मसिंह--कोशिश तो की जाती है, लेकिन नौकरी पाने वाले नहीं मिलते हैं और इसके अलावा टेक्निकल क्वालीफिकेशन्स होती हैं जिनके आधार पर नहीं लिये जाते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चपरासियों के लिये कौन सी विशेष योग्यता की जरूरत है जो १८ फीसदी हरिजन नौकरियों में नहीं हो सके ?

श्री धर्मसिंह--जी इसके लिये हिदायतें भेज दी गई हैं कि जब तक कोटा पूरा न हो जाय, कोशिश की जाय कि उन्हीं को लिया जाय, लेकिन जैसा कि प्रश्न १ के उत्तर में कहा गया है कि बहुत मुमकिन है कि लोगों ने प्रार्थना-पत्र नहीं दिये थे इसलिये नहीं लिये जा सके ।

नौगढ़ तहसील में अधिवासी प्रतिकर सम्बन्धी किताब १७५२ में परिवर्तन

*३---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि तहसील नौगढ़, जिला बस्ती में अधिवासी प्रतिकर संबंधी किताब नम्बर १७५२ में अनधिकृत परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो इसको किस अधिकारी ने किया है ?

श्री धर्मसिंह---मामले की जांच हो रही है जिसके पर्ण होने पर ही प्रश्न के शेष भाग का उत्तर दिया जा सकेगा ।*

*४---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त किताब में परिवर्तन से सरकार को कितना नुकसान हुआ है और इसका कौन जिम्मेदार है ?

श्री धर्मसिंह---जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती तब तक इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

मैनपुरी जिला जेल के कैदी

*५---श्री गनेश चन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी की जिला जेल में ३१ दिसम्बर, १९५४ ई० को राजनैतिक कैदी व हवालातियों को छोड़कर दूसरे जुर्मों के कितने कैदी व कितने हवालाती थे और सन् १९५७ में ३१ दिसम्बर को कितने कैदी व कितने हवालाती थे, राजनैतिक कैदी व हवालातियों को छोड़ कर ?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---मैनपुरी की जिला जेल में ३१ दिसम्बर सन् १९५४ ई० को ११३ कैदी एवं १७५ हवालाती तथा ३१ दिसम्बर सन् १९५७ ई० को ११३ कैदी एवं १२९ हावलाती बन्द थे ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतायेगी कि ३१ दिसम्बर, १९५४ को ११३ कैदी बन्द थे तो क्या वही ३१-१२-५७ तक बने रहे या उनमें कोई परिवर्तन हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसका पता तो नहीं लगाया, लेकिन मेरे खयाल से ऐसा सही नहीं है, क्योंकि बहुत से कैदी आये होंगे, गये होंगे और बदले होंगे ।

गोंडा जिले की बंजर भूमि

*६---श्री दीनदयालु करुण (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा की प्रत्येक तहसील में कितनी जमीन बंजर पड़ी है ?

राजस्व मंत्री (श्री चरण सिंह)---तहसीलवार ब्योरा निम्न प्रकार है---

१---तहसील	गोंडा	..	..	..	२०,४६१ एकड़
२---तहसील	उत्तरौला	..	..	..	१२,९४२ एकड़
३---तहसील	तरबगंज	..	..	..	३९,९०९ एकड़
४---तहसील	बलरामपुर	..	..	..	१४,३५८ एकड़

*७-८---श्री दीनदयालु करुण (अनुपस्थित)---[गृह मंत्री से संबंधित बारहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ८५-८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

देवरिया जिले के टेस्ट वर्क में मजदूरी

*९---श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा यह बतायगी कि इस वर्ष जिला देवरिया में टेस्ट वर्क कहां-कहां चालू किये जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---किसी भी जिले में टेस्ट वर्क के लिये कुछ कामों की लिस्ट तैयार रक्खी जाती है । ऐसी लिस्ट जिला देवरिया में भी तैयार है, लेकिन किन कामों को चालू किया जायगा यह पहले से नहीं बताया जा सकता । परिस्थिति के अनुसार जहां आवश्यकता हो टेस्ट वर्क खोले जा सकते हैं ।

***१०---श्री ब्रजनारायण तिवारी**---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि टेस्ट वर्क में इस वर्ष मजदूरी का क्या रेट होगा ?

श्री धर्म सिंह---टेस्ट वर्क पर मजदूरी की वर्तमान दर इस प्रकार है :

१---मिट्टी खोदने वाले	..	१० आना प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ।
२---मिट्टी ढोने वाले	..	८ आना प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ।
३---बच्चे ..	..	६ आना प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि व्यक्ति में पुरुष, महिला और बच्चे सब शामिल हैं ?

श्री धर्मसिंह---बच्चों का तो प्रश्न संख्या १० में अलग बता दिया गया है । जहां तक स्त्रियों का संबंध है उनकी मजदूरी में मिट्टी ढोने की आमदनी आती है, मिट्टी खोदने की आमदनी नहीं । और मिट्टी ढोने की मजदूरी ८ आने है । वह प्रश्न के उत्तर में बतला दिया गया है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मजदूरी की दर १० आने, ८ आने और ६ आने किस आधार पर रखी गयी है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये तो नोटिस चाहिए ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बतायेगी कि अगर स्त्रियां मिट्टी खोदें तो उनको १० आने मजदूरी नहीं मिलगी ?

श्री धर्मसिंह---जो नियम बनाये गये हैं उसके हिसाब से नहीं खोद सकती हैं और न उनको खोदना चाहिए, और न उनसे आशा की जाती है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अंतरिम जिला परिषद् द्वारा इन सड़कों पर टेस्ट वर्क्स खोलने के लिये कई बार प्रस्ताव पास किये गये, लेकिन फिर भी वे नहीं खोले गये ?

श्री धर्मसिंह---जो प्रस्ताव पास किये जाते हैं और अगर बाढ़ और फ्लड आदि होता है तो जिलाधीश महोदय विचार करते हैं और कोशिश की जाती है कि जो प्रस्ताव पास होते हैं उनको कार्यान्वित करने की कोशिश की जाय ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस परिस्थिति में टेस्ट वर्क्स खोले जाते हैं वह परिस्थिति है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---प्राकृतिक विपत्ति हो, फ्लड इत्यादि आयें वही परिस्थितियां होती है जिनमें आज तक खोले गये हैं ।

अलीगढ़ ड्रेन की खुदाई

***११---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस क्षेत्र में होकर जो अलीगढ़ ड्रेन जाती है उसके २२ और १४ मील के बीच के नाले की खुदाई का क म कब शुरू हुआ और वह कितनें ठेकेदारों को दिया गया था उसमें से किस मील से किस मील तक कितनी-कितनी लम्बाई में खुदाई परी नहीं हुई ?

श्री चरणसिंह---अलीगढ़ ड्रेन के १४ मील से २१ मील की खुदाई का कार्य मार्च के अन्तिम सप्ताह (२७-३-१९५८) से शुरू हुआ। मील १४ से २१ तक काम का वितरण २२ ठेकेदारों में किया गया। मील २१ से मील २३-६ तक का काम २ ठेकेदारों के टेन्डर स्वीकृत होने पर ११-३-१९५८ से दिया गया। इस प्रकार मील १४ से २३-६ तक काम २४ ठेकेदारों के पास था।

काम मील १४ से २२ तक किसी भी मील में पूरी तरह से खतम नहीं हो सका।

चोरगलिया ग्राम के निकट बांधों की आवश्यकता

*१२---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम चोरगलिया, जिला नैनीताल मे कैनाल विभाग की ओर से मछली बन्द व Protected bund बांधे जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी के पास जिला अभियन्ता, नैनीताल की ओर से इस बन्ध के संबंध में कोई योजना आयी है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि अगर प्रोटेक्टेड बंध न बनाया गया तो बरसात में चोरगलिया का आधा हिस्सा बह जायगा इसको बनवाने पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---बंध प्रत्येक वर्ष बनता रहता है, लेकिन नदी आगे पीछे हट जाने के कारण उसमें आवश्यकता नहीं होती। इसलिये आवश्यकता नहीं है। बन्ध पहले से बना हुआ है जिसके द्वारा पानी जाता है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि मछली बांध की लगातार मांग होने पर भी अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है ?

श्री धर्मसिंह---इसको दिखवा लिया जायगा।

डांडा व रोहिन नहरों से सिंचाई

*१३---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के डान्डा व रोहिन कैनाल से इस साल खरीफ के कितने एकड़ खेतों की सिंचाई हुई है ?

श्री धर्मसिंह---प्रश्न में उल्लिखित नहरों से १३६६ फसली खरीफ में निम्नलिखित सिंचाई हुई---

डान्डा नहर	..	..	..	१७८ एकड़।
रोहिन नहर	..	..	..	९६ एकड़।

*१४---**श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सिंचाई के परताल में किसानों ने धांधली की भी शिकायत उच्चाधिकारी तथा सरकार के पास की है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय उस शिकायत की मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। शिकायत की मुख्य बातों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पष्ठ २७५ पर।)

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन प्रार्थना--पत्रों में काश्तकारों ने जो शिकायतें की हैं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मसिंह---जो शिकायतें की गयीं उनमें से कुछ बातें सही पायी गयीं और मौके पर डी० आर० ओ० ने जाकर जांच की और जो खराबियां पायी गयीं वे ठीक कर दी गयीं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उस शिकायत में क्षेत्रीय एम० एल० ए० ने यह चुनौती दी है कि बनवाटारी ग्राम के जिन खेतों की परताल अधिकारियों ने की है उनमें पानी ठीक ढंग से पहुंचा दिया जाय तो वे एक हजार रुपया जुर्माना देंगे ?

श्री धर्मसिंह---मेरे पास इस बात की कोई सूचना नहीं है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सिंचाई विभाग क कर्मचारियों द्वारा यह गलत काम हुआ उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जायगी ?

श्री धर्मसिंह---छानबीन की जा रही है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---वह कौन-कौन सी शिकायतें हैं, जो जांच करने पर सही पायी गयीं और कौन से अधिकारी उसमें दोषी पाये गये ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक शिकायतों का संबंध है उसमें बहुत सी शिकायतें थीं और जो परताल वगैरह होती है पेपर वगैरह में उसके विषय में अभी पूरी तरह से दोषी लोग पाये नहीं गये हैं । तहकीकात हो रही है ।

रसड़ा तहसील में गाढ़ा एवं इटौरा तालाबों से पानी का निकास

*१५---**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (जिला बलिया)---क्या सरकार को विदित है कि तहसील रसड़ा के अन्तर्गत (जिला बलिया में) गाढ़ा एवं इटौरा ताल स जल निकास का प्रबन्ध न होने क कारण अभी तक गाढ़ा एवं इटौरा ताल के समीपवर्ती रबी क्षेत्रों में पानी भरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार करेगी कि भविष्य में रबी की फसल की बोवाई के पूर्व इन तालों से पानी का निकास न हो सके ?

श्री धर्मसिंह---रसड़ा तहसील के अन्तर्गत जिला बलिया में गाढ़ा व इटौरा ताल के कुछ समीपवर्ती खेतों में पानी भरा है । गाढ़ा ताल से पानी निकालने के लिये एक नाला पहले ही बनाया जा चुका है, जिसके द्वारा ६ फिट की गहराई का पानी छोड़कर बाकी सब ताल का पानी निकल जाता है ।

इटौरा ताल से एक प्राकृतिक नाला है जो इसका पानी टोंस नदी में ले जाता है । तालों का सारा पानी निकालने की कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या यह सही है कि जो प्राकृतिक नाला इटौरा ताल को टोंस नदी से मिलाता है वह बरसात से भर गया है जिसके कारण इस साल पानी का निकास नहीं हो सका और १ हजार बीघे तक जमीन बगैर बोये रह गयी ? यदि हां, तो उस नाले की सफाई के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही ह ?

श्री धर्मसिंह---इटौरा ताल के पानी का जहां तक संबंध है वह टोंस नदी से नाले द्वारा निकाल दिया जाता है, लेकिन इस समय भी कुछ थोड़ा सा पानी भरा हुआ है । यह पानी गरमी में सूख जाता है । इस समय वहां बोआई इत्यादि हो सकती है और इसका क्या प्रबन्ध किया जाय इसके विषय में कोई योजना नहीं बनायी गयी, इसका कारण यह है कि धनाभाव है ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी सूचना के अनुसार इटौरा ताल से कितनी जमीन पानी में डूबी हुई है कि जिस पर कोई चीज नहीं बोई जा सकी ?

श्री धर्मसिंह---जो हमारी इन्फार्मेशन है उसके अनुसार लगभग ३२५ एकड़ भूमि में पानी भरा हुआ है ।

श्री गंगा प्रसादसिंह---क्या यह सही है कि मुस्तफाबाद और पृथ्वीपुर के पास रबी की बोआई के पूर्व हमेशा पानी निकल जाया करता था लेकिन आज तक वह पानी नहीं निकल रहा है ? क्या सरकार उसकी जांच करायगी ?

श्री धर्मसिंह---जांच करा ली जायगी ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---अन्नाभाव को देखते हुये क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि इस प्रकार के तालाब से नाला खोदने का प्रबन्ध किया जाय ताकि जो खत पानी से भरे होते हैं उन पर फसल बोयी जा सकें ?

[**श्री धर्मसिंह**---जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं इस बात की कोशिश की जा रही है कि जहां पानी भरा हुआ हो वहां से पानी निकाला जाय, लेकिन कहीं-कहीं पर पानी रहना जरूरी होता है, क्योंकि जानवर आदि पानी पीते हैं और जो बड़ी स्कीमें हैं उन पर अधिक धन खर्च होने की सम्भावना होती है इस लिए वहां इस बात को अभी नहीं लिया जा सकता ।

श्री खजानसिंह (जिला उन्नाव)---माननीय मन्त्री जी ने अभी बतलाया कि ३२५ एकड़ जमीन में पानी अभी भी भरा हुआ है, क्या उसका लगान छोड़ने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---इस पर सरकार विचार करेगी ।

गंगा नहर, रुड़की में नवका दुर्घटना

*१६---**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि नवम्बर १९५८ के अन्तिम सप्ताह में रुड़की के आस-पास गंगा नहर में कुछ इन्जीनियरों और ओवरसियरों की डूब कर मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---नवम्बर २५, १९५८ की शाम को रुड़की में गंगा नहर में नाव उलट जाने के कारण ३ इन्जीनियरों की डूब कर मृत्यु हुई उनमें कोई ओवरसियर नहीं था ।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह तीनों इन्जीनियर नाव पर बैठकर कहां जा रहे थे और इस नाव के उलटने का क्या कारण हुआ ?

श्री धर्मसिंह---वह अपने घर जा रहे थे । कन्वोकेशन इत्यादि से वापस आ रहे थे । उस नाव के अचानक एक तरफ पानी आगया इस लिए ऐसा हो गया ।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या यह सही है कि यह नाव नहर के एक तार से बंधी थी और वह तार कमजोर होने से टूट गया और नाव उलट गयी ?

श्री धर्मसिंह---अब यह नाव तार से बंधी थी या नहीं बंधी थी इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन के उत्तर में जो 'डूबकर मृत्यु' शब्द आया है उसमें डूब कर मृत्यु विशेषण है या क्रिया है ?

श्री अध्यक्ष---यह कोई प्रश्न नहीं है। आप उनका इम्तहान ले रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या कोई इस बारे में जांच हुई कि अचानक पानी कैसे आया, यदि इस बारे में कोई रिपोर्ट हो तो कृपया बतला दें ?

श्री धर्मसिंह---अभी इसकी और पूरे तरीके से जांच हो रही है कि कैसे पानी आ गया। जिस प्रकार से अचानक पानी आने से दुर्घटना हो जाती है उसी प्रकार से यह हो गयी।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---क्या यह सही है कि वहां पर एक कोई काज वे बनाने के लिए पहले रुपया मन्जूर किया था लेकिन वह अभी तक बन नहीं पाया ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिए देखना पड़ेगा। इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उस नाव का चालक उस पर उपस्थित था अथवा इन्जीनियर स्वयं उस नाव को चला रहे थे ?

श्री धर्मसिंह---नाव वाला मल्लाह खुद उस नाव को चला रहा था ।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन इन्जीनियरों के अलावा उस नाव में कितने और व्यक्ति और औरतें थीं और उन में से कितने बच गये ?

श्री धर्मसिंह---इस में ३ इन्जीनियर थे, एक की पत्नी थी और एक मल्लाह था। ये केवल ५ व्यक्ति थे।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन डूबे हुए इन्जीनियरों के परिवारों को सरकार ने क्या क्षतिपूर्ति दी ?

श्री धर्मसिंह---जी, कोई क्षतिपूर्ति का सवाल नहीं है। कुछ भी नहीं किया गया है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस घटना के सम्बन्ध में अभी तक जो जांच की गयी है उस की फाइन्डिग क्या है ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने उसे बता दिया है।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन डूबे हुये व्यक्तियों की जो लाशें थीं वह कितनों की मिलीं ?

†**श्री धर्मसिंह**---डूबे हुए तीनों इन्जीनियरों की लाशें मिल गयी थीं ।

*१७-१८---**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २५ फरवरी, १९५९ के लिए स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में गंभीर बन ताल से नाला निकालने की योजना

*१९---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के गंभीर बन ताल से जो नाला निकालने की स्वीकृति सरकार से हो गयी थी जिसका टेन्डर भी आमन्त्रित था क्यों रोक दिया गया ?

श्री धर्मसिंह---गंभीर बन ताल से नाला निकालने की एक योजना बनायी गयी थी और १९५७-५८ में कार्य आरम्भ करने की आशा थी। काम आरम्भ करने में देरी न हो इस लिए टेन्डर भी मांग लिये गये थे। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बाढ़ कार्य के लिए निर्धारित धनराशि में भारी कमी के कारण इस योजना पर कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

---

†संशोधित ।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह टेन्डर किस तारीख को मांग गये थे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धन की कमी की सूचना किस तारीख को हुई ?

श्री धर्मसिंह---तिथियों के लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस नाले में अनुमानित व्यय कितना होने वाला था ?

श्री धर्मसिंह---उस योजना की अनुमानित लागत २२,००० रुपये के लगभग होगी।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को ज्ञात है कि यह नाला प्रसार सेवा खंड, रानी की सराय से निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ था और आजमगढ़ जिले में डेवेलपमेंट फन्ड में काफी रुपया बिना काम के पड़ा हुआ है ? तो ऐसी स्थिति में सरकार इस काम के लिए प्रयत्न नहीं कर रही है, ऐसा क्यों ?

श्री धर्मसिंह---धन की कमी है इसलिए नहीं हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना के पूरा हो जाने के बाद कितने एकड़ फसल को फायदा होता ?

श्री धर्मसिंह---१,००० एकड़ का।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि टेन्डर मांगने के पूर्व जब अधिकारियों को ज्ञात था कि पैसा नहीं है तो फिर टेन्डर क्यों मांगे गये ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, पैसा मिलने की आशा थी। काम में देरी न हो इस लिए टेन्डर मांग लिये गये थे इस शर्त पर कि पैसा मिलने पर योजना कार्यान्वित की जायगी।

आगरे में ताज के निकट यमुना पर बांध की आवश्यकता

*२०---**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)---क्या राजस्व मन्त्री आगरा के ताज के निकट जमुना में बांध बांधने की योजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं। ऐसी कोई योजना सिंचाई विभाग में विचाराधीन नहीं है।

*२१---**श्री देवकीनन्दन विभव**---क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से उक्त योजना के लिए आर्थिक सहायता मांगने पर विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग ने इस योजना का कभी कोई एस्टीमेट तैयार किया था ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

खैरागढ़ तहसील में सोनचीत ग्राम के निकट बरसाती पानी

*२२---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---आगरा जिले की खैरागढ़ तहसील में १९५८ में सोनचीतादि गांवों का नाला खोदने के लिए नहर विभाग ने कितने का एस्टीमट भेजा था और कब ? सरकार ने कितने का एस्टीमेट मंजूर किया और कब ? नहर विभाग ने वह नाला कितने में खोदा और कब ?

श्री धर्मसिंह---आगरा जिले में सोनचीत नाम से एक नाला का ४०,५५० रु० का एस्टीमेट मई सन्, १९५८ ई० में बनाया गया है जो कि विचाराधीन है। नहर विभाग द्वारा इस नाले पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार को मालूम है कि इन गांवों के आस पास सकड़ों एकड़ जमीन में अभी तक पानी भरा हुआ है?

श्री धर्मसिंह---इस बात को जानने के लिए नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन पानी थोड़ा बहुत जरूर भरा हुआ है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर नाला खुदवा कर पानी नहीं निकाला गया तो अगली बरसात में इन गांवों को भारी हानि पहुंचेगी, सरकार इस बात पर विचार करेगी कि बरसात के पहले नाला बनवा दिया जाय?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया गया है, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

भौली, जिला लखनऊ में नलकूप पर व्यय

*२३---**श्री श्याममनोहर मिश्र** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि लखनऊ सहकारी संघ द्वारा ग्राम भौली, परगना महोना, तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ में एक नलकूप १९५६ ई० में बनना प्रारम्भ हुआ था जो अब तक अपूर्ण है? उस के निर्माण में कितना व्यय हुआ और यह नलकूप कब तक पूर्ण रूप से कार्य करने योग्य हो सकेगा?

श्री चरणसिंह---जी हां। इस नलकूप के निर्माण में अब तक ८,३२६ रु० ६ आना व्यय हो चुका है। इस कूप का निर्माण कार्य अवशेष धनराशि प्राप्त होने तथा समिति की इस स्वीकृति पर, कि कूप विद्युत द्वारा चालू किया जायेगा अथवा डीजल इन्जन से, पूर्ण किया जायगा।

*२४---**श्री श्याममनोहर मिश्र**---क्या यह भी सत्य है कि इस नलकूप के कारण ही सरकार के नलकूप विभाग ने वहां अपना कोई नलकूप नहीं बनाया?

श्री चरणसिंह---इस नलकूप द्वारा छोड़ी हुई असिंचित भूमि के लिए किसी भी अन्य कूप के निर्माण की व्यवस्था इसलिए नहीं की गयी कि उस भूमि का सिंचन उन नलकूपों के द्वारा हो सकता है जो उस क्षेत्र में पूर्व से ही निर्मित हैं।

मथुरा जिले का पलेवा रजबहा

*२५---**श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मथुरा, तहसील सादाबाद में रजबहा पलेवा से किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता है?

श्री चरणसिंह---जिला मथुरा तहसील सादाबाद में रजबहा पलेवा मुख्यतः पलेवा सिंचाई के लिए है और पलेवे के लिए पानी समय पर ही मिलता है।

बस्ती जिले में सोंडकला व नौलखा पलडपोस्टों की मरम्मत

*२६---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेंहदावल कछार (बस्ती) में सोंड़कला और नौलखा में जो दो पलडपोस्ट बने हैं वे पुराने और छेद वाले टीनों से छाये गये हैं जिस से उक्त पलडपोस्ट बुरी तरह से टपकते हैं? यदि उत्तर हां में है, तो उस के ठीक करने की क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री धर्मसिंह---जी हां। सोंडकला और नौलखा ग्रामों में फ्लडपोस्ट छाने में जिस पुरानी टीन का प्रयोग किया गया था उस की मरम्मत की जा रही है ।

श्री राजाराम शर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कछार के मध्य वाली फ्लड पोस्टों को टूटे टीनों से छाया गया और मेंहदावल बाजार में कई फ्लड पोस्ट पुख्ता बनाये गये ? यदि हां, तो क्या इस विषमता की जांच कराने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---उस वक्त जहां तक इन शेड्स को बनाने का ताल्लुक है, नये टीन उपलब्ध नहीं थे इसलिए पुराने इस्तेमाल किये गये।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो फ्लड पोस्ट टीन से छाये गये हैं उस के निर्माण में कितना धन व्यय हुआ ?

श्री धर्मसिंह---१५,००० रुपये।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो फ्लड-पोस्ट बनाये गये हैं उनके ऊपर जो छेंद वाली टीन छायी गयी थी वह कहां से लायी गयी ?

श्री धर्मसिंह---यह तो विभाग के पास उस वक्त थी। चूंकि नयी टीन नहीं मिल रही थी और काम की जल्दी थी इसलिए ऐसा करना पड़ा।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी पुरानी टीन के फ्लड पोस्ट के स्थान पर पक्के फ्लड पोस्ट बनाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---इस वक्त तो मरम्मत की जा रही है। अगर उससे काम नहीं चला तो उसके बाद विचार किया जायगा।

आगरा नहर के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत

*२७---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)---क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९५८ में आगरा से अधिशासी अभियन्ता लोअर डिवीजन, आगरा कैनाल के विरुद्ध उन के पास कोई शिकायत आयी थी ? यदि हां, तो वे शिकायत क्या थी और उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, एक शिकायती-पत्र स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी का माह अक्तूबर, सन् १९५८ में मुख्य मन्त्री जी के नाम आया था जिस में उन्होंने निम्नलिखित शिकायतें की थीं कि---

(१) उनके पत्र दिनांक ६ अगस्त, १९५७ के उत्तर में १४ माह पश्चात् अधिशासी अभियन्ता, लोअर डिवीजन, आगरा नहर, ने उनसे उनकी उस पत्र में लिखित शिकायतों के विषय में पूछताछ की।

(२) नहरों की सफाई न होने के कारण नहरें कई स्थानों पर टूट गयीं और उन से कृषकों को हानि पहुंची और कृषकों के भाग दौड़ करने पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।

(३) तहसील किरावली का बहुत बड़ा क्षेत्र ८-१० वर्ष से water logging के कारण बेकार हो रहा है और नहर विभाग से हर वर्ष प्रार्थना करने पर भी नाले बनाने के कार्य में विशेष प्रगति नहीं की गयी है।

इन शिकायतों पर जो कार्यवाही की गयी, वह इस प्रकार है---

(१) स्वामी जी का ६ अगस्त, १९५७ का पत्र कृषि मन्त्री को सम्बोधित था जो मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में १८ जून, १९५८ को कृषि विभाग

से १० माह पश्चात् प्राप्त हुआ और इसकी प्रतिलिपि अधीक्षक अभियन्ता तृतीय सर्किल आगरा को ७ जुलाई, १९५८ को प्रतिवेदन हेतु प्रेषित की गयी और उन्होंने अधिशासी अभियन्ता को १४ जुलाई, १९५८ को भेजी। अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट आने पर अधीक्षक अभियन्ता के यहां से रिपोर्ट २३ अगस्त, १९५८ को मुख्य अभियन्ता के यहां भेजी गयी जिस पर १६ सितम्बर, १९५८ को आदेश दिया गया कि स्वामी जी से उनके क्षेत्र की कठिनाइयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके रिपोर्ट भेजी जाय। इस पर अधिशासी अभियन्ता ने स्वामी जी को ४ अक्तूबर, सन् १९५८ को यह पत्र लिखा जिसकी स्वामी जी ने अब देर की शिकायत की है।

(२) रबी १३६५ फसली में केवल दो खांदिया इस तहसील के रजबहों में हुईं। एक (Chankora) चेनकोरा माइनर में व दूसरी जाजऊ (Jajau) रजबहे में। दोनों खादियां १२ घंटे से अधिक नहीं चलीं और बन्द कर दी गयीं। उस के अलावा कोई खान्दी पिछली ५ फसलों में नहीं हुई। कृषकों को हानि का मुआवजा ४३.३९ रुपये व ५२५.९६ रुपये क्रमशः दे दिया गया है।

(३) पिछले १० वर्षों में किरावली तहसील में ८ नाले १८ मील लम्बे निर्माण किये गये। और दो नालों का पुनरोद्धार किया गया। चालू वर्ष में १५ १/२ मील लम्बे ८ नालों का निर्माण एमर्जेंट ड्रेनेज स्कीम (Emergent Drainage Scheme) के अधीन आरम्भ कर दिया है इसके अतिरिक्त १५ नये नालों का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उन के तखमीने तैयार किये जा चुके हैं। इन पर कार्य प्राथमिकता के अनुसार रुपया उपलब्ध होने पर आरम्भ कर दिया जावेगा। दो नाले जिनका पहले पुनरोद्धार हो चुका था उन को बड़ा करने का भी सर्वेक्षण हुआ है क्योंकि इतने नये नालों के निर्माण के कारण उनकी क्षमता का बढ़ाना आवश्यक समझा गया।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि मन्त्री महोदय के कार्यालय में इस पत्र पर इतना विलम्ब क्यों हुआ?

श्री धर्मसिंह---जो रिपोर्ट हमारे पास आयी है उस के आधार पर हम ने उत्तर दिया, लेकिन इसकी जांच करा ली जायगी कि कृषि मन्त्री जी के यहां इतनी देर क्यों लगी।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फांदियों के टूटने के बाद मुआवजा किस-किस को और कब दिया गया?

श्री धर्मसिंह---नोटिस की आवश्यकता है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---चेनकोरा माइनर और जाजऊ रजबहे के अलावा किसी और भी रजबहे में क्या फादियां हुयीं?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

बलिया जिले में गांवों का ऊंचा किया जाना

*२८---**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में बाढ़ से सुरक्षा योजना के अनुसार किन-किन तहसीलों में कौन-कौन गांव पक्के तौर से ऊंचे किये जा चुके हैं? और किन-किन गांवों को ऊंचा करने का कार्य अधूरा है?

श्री धर्मसिंह---बलिया जिले की प्रत्येक तहसीलों में जितने ग्राम पूर्णतया ऊंचे किये जा चुके हैं उन की सूची† संलग्न है।

उपरोक्त योजना में रुपया न होने के कारण वे ग्राम जो अधूरे ही ऊंचे हो पाये हैं, उनकी भी †सूची संलग्न है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को शिकायत मिली है कि बहुत से गांवों में मिट्टी पूरी नहीं पड़ी है और जिनमे पड़ी है उनमें बहुत थोड़ी पड़ी है ?

श्री धर्मसिंह---इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार मिट्टी डालने के अधूरे काम को पूरा करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---धन की कमी के कारण पूरा नहीं हो सका है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---कितना रुपया खर्च किया गया और कितने रुपये की कमी पड़ गई ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस चाहिये।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि जो सरकारी रुपया खर्च हुआ है उसके अपव्यय के बारे में सरकार के पास शिकायत आई है और उसकी जांच भी हो रही है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

श्री गौरीशंकर राय---इस सूची में कहीं कहीं यह है कि जैसे जगदीशपुर का चमरटोला या श्रीपालपुर का डेरा, तो इस तरह से मोहल्ले या भाग का जिक्र क्यों किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---देखना होगा, नोटिस चाहिये।

देवरिया जिले में सिंचाई तथा गांव ऊंचे करने पर व्यय

*२९---**श्री उग्रसेन**---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७, १९५७-५८ में देवरिया जिले में कौन-कौन सी सिंचाई योजनायें परिचालित की गईं और उसमें कितना धन व्यय हुआ ?

श्री धर्मसिंह---१९५६-५७ और १९५७-५८ में देवरिया जिले में क्रमशः १५ तथा १७ नलकूप लगाने की योजना परिचालित की गई और उसमें ४,७७,२०० रुपया व्यय हुआ।

*३०---**श्री उग्रसेन**---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५८ तक बाढ़ विभाग द्वारा कितनी लागत से कितने गांव देवरिया जिले में ऊंचे किये गये ?

श्री धर्मसिंह---देवरिया जिले में १ अप्रैल, १९५८ तक ४३० गांव पूर्णतया तथा १० गांव का कुछ भाग ऊंचा किया गया जिन पर कुल व्यय ३२,६८,७३७ रुपया हुआ।

श्री उग्रसेन---उक्त अवधि में कितने नलकूप पूरे किये गये और कितने नलकूप शेष हैं, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---अभी तक केवल १८ नलकूप बन चुके हैं।

---

†सूची छापी नही गयी।

श्री उग्रसेन---नलकूप योजना के अलावा और कौन-सी सिंचाई की योजना देवरिया जिले में उक्त अवधि में चलाई गई ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार ने जानकारी की है कि नलकूप बनाने वाले विभाग ने वहां की जमीन को देखकर इस बात की सिफारिश की थी कि वहां नलकूप लगाने की आवश्यकता है या नहीं, या कोई लघु सिंचाई की योजना चलाई जावे ?

श्री धर्मसिंह---पूरी तरह से सर्वे करके नलकूप बनाने का निर्माण किया था ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि उस क्षेत्र के सिंचाई इंजीनियर ने सन् १९५३ में यह हम लोगों से कहा था कि हम विधान सभा में प्रश्न उठावें कि कुयें खोद कर रहट से सिंचाई की योजना कार्यान्वित की जानी चाहिये और नलकूपों की योजना असफल है ?

श्री धर्मसिंह---सरकार को कोई ऐसी इत्तला नहीं है ।

श्री उग्रसेन---ये गांव किन किन नदियों के पेट में ऊंचे किये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस चाहिये ।

खटीमा व टनकपुर क्षेत्रों में सिंचाई

*३१---**श्री प्रतापसिंह**---क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि खटीमा व टनकपुर क्षेत्र, जिला नैनीताल में सिंचाई के लिये कोई साधन अब तक नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---स्थिति ऐसी नहीं है खटीमा व टनकपुर क्षेत्र में लोहिया, गेंडाखाली तथा बस्तिया नहरों से लगभग ५,८३७ एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है । हां, क्षेत्र का कुछ भाग अवश्य ऐसा है जिसमें कोई सिंचाई व्यवस्था नहीं है । इस क्षेत्र में सिंचाई के लिये सुजिया, फुलेइया व नानकमत्ता नहरों के बनवाने का प्रस्ताव है जिन पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ किये जाने की आशा है । इसके अतिरिक्त दो एक्सप्लोरेटरी नलकूपों का प्रबन्ध भी इस क्षेत्र के लिये किया जा रहा है । यह कार्य भारत सरकार के एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स आर्गेनाइजेशन द्वारा किया जायगा परन्तु आवश्यक मशीनों के अभाव में यह कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुजिया, फुलिया और नानकमत्ता नहरों का आनुपातिक प्राक्कलन क्या है और कितना रकबा सींचा जायगा ?

श्री धर्मसिंह---सुजिया माईनर की लम्बाई करीब ढाई मील होगी और लगभग ६०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । बनूसी से तहसील खटीमा के बहुत से गांवों की सिंचाई हो सकेगी और रकबा लगभग ५०० एकड़ होगा । फुलिया माइनर से खटीमा तहसील के कुछ गांवों की सिंचाई हो सकेगी ।

श्री प्रतापसिंह---नानकमत्ता माइनर से कितने एकड़ की सिंचाई होगी ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोहिया और गेंडाखाली से अलग-अलग कितनी सिंचाई होगी ?

श्री धर्मसिंह---लोहिया से ५,४३७ एकड़ और गेंडाखाली से २६० एकड़ ।

आंवला तहसील में नलकूप

*३२---**श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रथम व दूसरी योजना में तहसील आंवला, जिला बरेली में बने नलकूप काश्त की सिंचाई के काम नहीं आ रहे हैं ? यदि हां, तो इन नलकूपों से कब तक किसानों को पानी दिया जा सकेगा ?

श्री धर्मसिंह---प्रथम व दूसरी योजना में तहसील आंवला, जिला बरेली में २३ नलकूप बने हैं जिनमें से १९ नलकूप सिंचाई का काम कर रहे हैं । चार नलकूप भी सिंचाई करने के लिये तैयार हैं लेकिन सिंचाई की मांग न होने के कारण बन्द पड़े हैं । आशा की जाती है कि भविष्य में यह भी चालू हो जावेंगे ।

श्री नत्थूसिंह---क्या सरकार उन चारों नलकूपों के स्थान बताने की कृपा करेगी जो बन्द पड़े हैं ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब वहां सिंचाई की मांग नहीं थी तो उन नलकूपों को वहां बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी ?

श्री धर्मसिंह---आरम्भ में जब सर्वे इत्यादि कराया गया था तब आवश्यकता थी, बाद में नहीं रही और जैसा कि प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया गया है वे जल्द ही चालू हो जायेंगे ।

श्री वीरेन्द्रवर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये चारों नलकूप कितने अर्से से बन्द पड़े हुये हैं ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नत्थूसिंह---क्या सरकार को मालूम है कि इन चारों नलकूपों के बन्द होने का कारण नालियों का न बनना है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या वहां के किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है ?

श्री धर्मसिंह---ऐसी बात नहीं है ।

श्री नवलकिशोर---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो २३ नलकूप बने क्या उन सब पर गूलें बन गई हैं ?

श्री धर्मसिंह---१९ नलकूप जो आजकल काम कर रहे हैं, उन सब की तो गूल बन ही गयी होगी ।

श्री नवलकिशोर---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उन नलकूपों की भी गूलें नहीं बनीं और बावजूद इसके किसानों ने किसी तरह से उनसे सिंचाई की ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन चार नलकूपों के निर्माण में सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री धर्मसिंह---इस प्रकार के आंकड़े मेरे पास नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

*३३---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)---[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित १५ वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गोरखपुर जिले में नलकूपों से सिंचाई

*३४--**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गोरखपुर जिले में सन् १९५७ ई० में नलकूपों से सिंचाई के लिये पानी नहीं दिया गया ?

श्री धर्मसिंह---जिला गोरखपुर में सन् १९५७ में १५८ नलकूप चले थे जिनसे ४५,६८३ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई थी ।

*३५--**श्री अमरनाथ**---यदि हां, तो इससे किसानों के खरीफ और गन्ने की फसल कितना नुकसान हुआ ?

श्री धर्मसिंह---जिला गोरखपुर में सन् १९५७ में बिजली की सप्लाई की कमी के कारण ७७ एकड़ भूमि को पूरा पानी न पहुंचने की वजह से गन्ने की फसल को हानि पहुंची थी जिसकी कुल मिन्हाई १,११४ रुपया दी गयी ।

श्री अमरनाथ---क्या सरकार बतायेगी कि जिस ७७ एकड़ जमीन को पानी नहीं मिला है वह कौन-कौन गांवों की है और कितना नुकसान हुआ ?

श्री धर्मसिंह---गांवों की सूची तो मेरे पास नहीं है लेकिन जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया गया है उनको मिन्हाई दे दी गयी है ।

श्री अमरनाथ---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन कारणों से बिजली की सप्लाई नहीं हो सकी ?

श्री धर्मसिंह---एक तो ट्रान्सफार्मर की कमी थी, लाइन के सामान इत्यादि की कमी थी। बहुत कोशिश भी की गयी लेकिन वक्त पर बिजली न मिल सकी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि समय पर पानी न मिलने से किसानों के गन्ने आदि की फसल को जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिये सरकार ने कोई विचार किया है ?

श्री धर्मसिंह---वह तो मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है कि जितना नुकसान हुआ है उसका इन्तजाम कर दिया गया है ।

बाढ़-ग्रस्त जिले

*३६--**श्री हरीसिंह** (जिला मेरठ)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वे कौन-कौन से जिले हैं जिनमें १९५६ से अब तक प्रति वर्ष बाढ़ आई है ?

श्री धर्मसिंह---उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में सन् १९५६ से अब तक प्रति वर्ष बाढ़ आई है :

१---सहारनपुर,	२---मुजफ्फरनगर,	३---मेरठ,
४---बुलन्दशहर,	५---अलीगढ़,	६---ऐटा,
७---फर्रुखाबाद,	८---मथुरा,	९---आगरा,
१०---बरेली,	११---पीलीभीत	१२---नैनीताल,
१३---सीतापुर,	१४---उन्नाव,	१५---रायबरेली,
१६---लखनऊ,	१७---हरदोई,	१८---बिजनौर,
१९---मुरादाबाद,	२०---बदायूं	२१---खीरी
२२---आजमगढ़,	२३---जौनपुर,	२४---इलाहाबाद,
२५---गोरखपुर,	२६---देवरिया,	२७---बस्ती,
२८---बलिया,		

*३७--**श्री हरीसिंह**---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५६ से अब तक उक्त बाढ़ ग्रसित जिलों में कितनी कितनी आबपाशी माफ की गई ?

श्री धर्मसिंह---१ जनवरी, सन् १९५६ से अब तक जिन बाढ़ ग्रस्त जिलों में आबपाशी माफ की गई है उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २७६ पर)

*३८---**श्री हरीसिंह**---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले की बाढ़ ग्रसित तहसील गाजियाबाद, मेरठ, मवाना, सरधना, हापुड़ में १ जनवरी, १९५६ से अब तक कितनी आबपाशी माफ की गई है ?

श्री धर्मसिंह---१ जनवरी, सन् १९५६ से अब तक निम्नलिखित बाढ़ ग्रसित तहसील गाजियाबाद, मेरठ, मवाना, सरधना, तथा हापुड़ में आबपाशी माफ की गई हैं :

तहसील		सन् १९५६	सन् १९५७	सन् १९५८
		रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
गाजियाबाद	..	१,४८,९५४.५८	२९,२७०.४३	२०,६८०.८५
मेरठ	..	२४,८७५.४८	११,१४१.४५	१,२५७.६१
मवाना	..	१९,८३६.५५	४१,७०९.४९	४,७६८.०६
सरधना	..	१४,७०४.५३	१३,५६३.६०	४४२.०१
हापुड़	..	९,७७३.२४	१०,३६३.१४	६,२३८.८७

श्री वीरेन्द्र वर्मा---माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बरसाती पानी के निकास के अतिरिक्त क्या सरकार ने सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर इत्यादि जिलों में कोई बांध की योजना बनाई है और उसको क्रियात्मक रूप दिया है ?

श्री धर्मसिंह---इस वक्त तो कोई बांध की योजना नहीं है क्योंकि बांध बांध देने से आगे चल कर एक तरफ पानी भर जाता है और दूसरी तरफ के लोगों को कुछ लाभ नहीं हो पाता, लेकिन छोटी योजनायें जो नाले इत्यादि से सम्बन्धित हैं, वे बहुत सी चालू हैं ।

श्री हरीसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले की प्रत्येक तहसील में कुल आबपाशी कितनी हुई और मेरठ, मवाना तहसील की कुल आबपाशी की आय का कौन सा अंश माफ किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आबपाशी में छूट दी गयी है वह किस आधार पर दी गई है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये तो नियम इत्यादि बने हैं, उन्हीं के आधार पर छूट दी गई है ।

श्री हरीसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मवाना तहसील के काश्तकारों की तरफ से सारी आबपाशी की माफी के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह---कोई प्रार्थनापत्र तो आया नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले की दूसरी तरफ पंजाब में एक बड़ा भारी बांध बन रहा है जिसकी वजह से आये साल चार साल से यानी सन् १९५६ से इन जिलों की हजारों एकड़ जमीन कट-कट कर पंजाब की ओर जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

भिक्षुक कर्मशाला हरद्वार

*३९--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय भिक्षुक कर्मशाला हरद्वार में कितने भिक्षुकों के ठहरने का स्थान है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां। २०० भिक्षुक।

*४०--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--सरकार का इस कर्मशाला पर चालू वर्ष में कितना धन व्यय होना है, कितना धन विगत वित्तीय वर्ष में व्यय किया गया और कितने भिक्षुकों को स्वतंत्र व स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करना सिखाया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--चालू वर्ष में १,०७,००० रुपये व्यय होना है। विगत वित्तीय वर्ष में ४८,७८७ रु० व्यय हुए थे। इस कर्मशाला में अभी तक ९८ भिक्षुकों (जिसमें २८ महिलाएं हैं) को दर्जी के काम, रस्सी, टोकरियां, कपड़े खिलौने इत्यादि बनाने का काम सिखाया गया। इन ९८ प्रशिक्षित भिक्षुकों में से कितनों ने स्वावलम्बी जीवन या व्यवसाय अपनाया इस विषय में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

डुमरियागंज तहसील में चकबन्दी

*४१--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती की तहसील डुमरियागंज में १ जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ की अवधि में कितने ग्रामों की चकबन्दी एकबार जाकर काश्तकारों के Objection (उज्रदारी) करने पर क्रमशः Settlement Officer व Consolidation Officers (C. Os.) द्वारा उलट दी गई तथा ग्रामों की सूची A. C. O. Circle-wise क्या है ?

श्री चरणसिंह--इस अवधि में १७ ग्रामों के चक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा तथा ३० ग्रामों के चकबन्दी अधिकारियों द्वारा एक बार बना कर उलटे गये।

उक्त ग्रामों की ए० सी० ओ० सर्किल वाइज सूचियां सदन के मेज पर रख दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २७७ पर)

सफीपुर तहसील के बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*४२--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अगस्त से अक्तूबर, १९५८ तक तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के कौन-कौन गांव बाढ़ से प्रभावित हुये ?

श्री चरणसिंह--अगस्त से अक्तूबर, १९५८ तक तहसील सफीपुर के २२८ ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए। इनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २७८-२८० पर)

*४३--**श्री जगन्नाथप्रसाद**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन गांवों के बाढ़ पीड़ितों को क्या सरकारी सहायता दी गई है ?

नोट-- प्रश्न ३८ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चरणसिंह---बाढ़-पीड़ितों को बीज के लिए ४५,००० रुपये की तकाबी व क्षति-ग्रस्त मकानों को बनाने के लिए ४,००० रुपये की तकाबी तथा १,५०० रुपये का अनुदान दिया गया इसके अतिरिक्त २,२६१.५८ रुपये का सामान व ४,००० रुपये अनुदान में दिये गये।

गोमती की बाढ़ से शाहगंज तहसील को क्षति

*४४---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, १९५८ की गोमती नदी की बाढ़ से जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के कितने गांव प्रभावित हुये ?

श्री चरणसिंह---२३ ग्राम प्रभावित हुए।

*४५---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार इन ग्रामों की नामवार सूची तथा प्रति ग्राम अनुमानित हानि का विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २८१ पर)

*४६---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार उपर्युक्त ग्रामों को किसी प्रकार की सहायता दे रही है ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार की तथा कितनी ?

श्री चरणसिंह---जी हां, ४१५ रुपये अहेतुक सहायता व ४,४०० रुपये ऐक्ट १२ के अधीन तकावी के रूप में बांटे गये और ३० मन भूसा निःशुल्क तथा ७० मन भूसा राज्य सहायता प्राप्त दरों पर वितरित किया गया।

*४७-४९---**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---[४ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

समाज कल्याण अधिकारी

*५०---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय राज्य में कितने Assistant Social Welfare Officers और कितने Social Welfare Officers कार्य कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस समय राज्य में कुल १८ सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्य कर रहे हैं। समाज कल्याण अधिकारी का विभाग में कोई पद नहीं है।

*५१---**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितने १ अक्तूबर, १९५८ तक लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) द्वारा approve हो गये थे और कितने approve न होने के बाद भी कार्य कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उपर्युक्त अधिकारियों में से १ अक्तूबर, १९५८ के पूर्व १० अधिकारी लोक सेवा आयोग से स्वीकृत हो चुके हैं। केवल एक अधिकारी लोक सेवा आयोग से स्वीकृत न होने पर भी कार्य कर रहा है।

कसया-पिपरा सड़क पर टेस्ट वर्क चालू करने की प्रार्थना

*५२---**श्री ब्रजनारायण तिवारी**---क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला देवरिया में कसया-पिपरा रोड सड़क पर तथा छावनी वाया कुंवरेनाथ-समउर सड़क पर टेस्ट वर्क कब से चालू किया गया है ?

श्री चरणसिंह---उक्त सड़कों पर टेस्ट वर्क चालू नहीं किया गया है।

चमोली हेडक्वार्टर को बदलने तथा दुधातोली तहसील के निर्माण पर विचार

*५३—**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी** (जिला गढ़वाल)—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल जिले की चमोली तहसील का हेडक्वार्टर चमोली से गोपेश्वर स्थानान्तरित करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, चमोली तहसील के हेडक्वार्टर्स को बदलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

*५४—**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी**—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले में एक नई तहसील दुधातोली के निर्माण की दिशा में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और राजस्व परिषद् तथा सेटिलमेन्ट कमिश्नर से परामर्श किया गया है। उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

आजमगढ़ तथा देवरिया जिलों के भूमि सम्बन्धी विवाद

*५५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ और देवरिया जिले की भूमि सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिये दोनों जिलाधीशों की आपसी बैठकें कब-कब और कहां-कहां हुई हैं तथा मिलने का परिणाम क्या हुआ ?

श्री चरणसिंह—आजमगढ़ तथा देवरिया जिले की भूमि सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिये दोनों जिलाधीशों की संयुक्त बैठकें १ नवम्बर, १९५७, ४ दिसम्बर, १९५७, १ जनवरी, १९५८, ५ दिसम्बर, १९५८ और ९ जनवरी, १९५९ को क्रमशः दोहरीघाट, देवरिया दोहरीघाट, गोरखपुर तथा इकौना में हुईं।

यह प्रश्न अब सरकार के विचाराधीन है।

प्रजा सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री मनोहरलाल की बरेली जेल में मृत्यु

*५६—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली और सीतापुर जेलों में पिछले सितम्बर, १९५८ में खाद्य-आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार दो प्रजा सोशलिस्ट सत्याग्रहियों की मृत्यु हो गयी ?

*५७—यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बरेली जेल में पिछले सितम्बर, १९५८ में खाद्य आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार एक प्रजा सोशलिस्ट सत्याग्रही की मृत्यु हुई। मृतक का नाम मनोहरलाल था। वह गिरफ्तार होकर १९ सितम्बर, १९५८ को बरेली जिला जेल आया, जेल में आने के समय ही वह pyrexia रोग से पीड़ित था, अतएव आवश्यक उपचार के लिये उसे जेल के अस्पताल में रखा गया जहां उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ। २६ तारीख की शाम को उसके पेट में दर्द उठा और क़ै दस्त होने लगे। उचित इलाज के लिये उसे सदर अस्पताल भेजा गया जहां दूसरे दिन प्रातः ६ बजे उसकी मृत्यु हो गई।

*५८—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार उक्त मृत व्यक्तियों के परिवारों को कोई सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

ग्राम दहगवां जिला बदायूं के भट्ठे

*५९—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—ग्राम दहगवां, तहसील सहसवान, जिला बदायूं में बंजर-भूमि पर पट्टे के सम्बन्ध में ३ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे ज्ञात है कि भट्ठा लगाने के लिये भूतपूर्व जमींदार से सिर्फ पट्टी नं० १३ के लिये ही आज्ञा ली गई थी और प्लाट नं० २२९६, २२९८, २२९९ तथा २३०० को अनधिकृत रूप से भट्ठे के इस्तेमाल में लाया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। भूतपूर्व जमींदार ने प्लाट संख्या २२९६, २२९८, २२९९ तथा २३०० पर भट्ठा लगाने की इजाजत दी थी। जब तक गांव समाज भट्ठा लगाने की इजाजत मन्सूख नहीं करता है तब तक भूमि के ऊपर भट्ठे का लगना अनधिकृत नहीं कहा जा सकता है।

*६०—श्री उल्फतसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या दहगवां व ग्राम सभा में बंजर भूमि १० प्रतिशत से कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पट्टों को रद्द करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—जी हां, भट्ठे के लगाने की इजाजत को मंसूख करना गांव समाज के अख्तियार में है।

सिधौली तहसील में तकावी

*६१—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिधौली, जिला सीतापुर में तकावी की कितनी दरख्वास्तें ऐक्ट १२ व ऐक्ट १९ के अन्तर्गत इस वर्ष आईं और उनमें से कितनी स्वीकार की गईं ?

श्री चरणसिंह—तहसील सिधौली जिला सीतापुर में इस वर्ष ऐक्ट १२ व ऐक्ट १९ के अन्तर्गत क्रमशः १,१८८ व ३२ दरख्वास्तें आईं जिनमें से क्रमशः १,१३८ व २० दरख्वास्तें स्वीकार की गईं।

*६२—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—क्या यह सही है कि कुछ दरख्वास्तें जिन पर तकावी देना सैंक्शन हो गया है उन पर अभी तक तकावी नहीं दी गई है और जिन लोगों को तकावी मिलनी है बार-बार दौड़ना पड़ता है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों पर तकावी बांटी जा चुकी है तथा किसी भी प्रार्थी को तकावी लेने के लिए बार-बार नहीं दौड़ना पड़ता है।

*६३—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—यदि हां, तो उनको तकावी कब तक दे दी जावेगी तथा अब तक न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

खीरी जिले की उल्ल नदी

*६४—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के उल्ल नामक नदी में कार्तिकी स्नान के दिनों में बाढ़ आ गई थी ? यदि हां, तो किस कारण से और उस बाढ़ के द्वारा कितने गांव प्रभावित हुये और कितना नुकसान रबी की फसल को हुआ ?

श्री चरणसिंह---कार्तिकी स्नान के दिन में उल्ल नामक नदी में बाढ़ नहीं आयी थी नहर से पानी आ जाने के कारण कुछ पानी बढ़ गया था जो बाढ़ नहीं कही जा सकती। इस जल के बढ़ जाने से कोई भी ग्राम ऐसा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था कि सहायता की आवश्यकता प्रतीत होती। रबी की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

*६५---**श्री मुक्तिनाथ राय**---[४ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

केन्द्रीय बन्दीगृह, आइजटनगर, बरेली

*६६---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९५८ में केन्द्रीय बन्दीगृह, आइजटनगर (बरेली) से कुछ कैदी रात में भाग गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस जेल से नवम्बर में कोई कैदी नहीं भागा।

*६७---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो कैदी भागे हैं उन्हें कितनी-कितनी सजा हुई थी और अभी कितनी-कितनी सजा भुगतनी थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रश्न ही नहीं उठता।

समाज कल्याण बोर्ड के विचाराधीन अनुदान सम्बन्धी आवेदन-पत्र

*६८---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समाज-कल्याण बोर्ड ने जनवरी, सन् १९५८ की बैठक में अनुदानों हेतु कितने प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बोर्ड द्वारा ऐसे ७९ प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया गया।

*६९---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---यह प्रार्थना-पत्र किन-किन संस्थाओं से प्राप्त हुये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---†सूची संलग्न है।

*७०---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---अब तक उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इन प्रार्थना-पत्रों को प्रादेशिक समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अपनी अभिस्तुतियों सहित केन्द्रीय बोर्ड के पास विचारार्थ भेजने पर केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जो धन दान हुआ उसकी भी †सूची संलग्न है।

बस्ती जिले में ग्राम समाज वेतनार की कब्रिस्तानी भूमि तथा कलेक्टरी के पेड अपरेंटिस

*७१---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम समाज वेतनार (तहसील) डुमरियागंज (जिला बस्ती) में कितनी जमीन बंजर पड़ी है और कितनी भूमि पर कब्रिस्तान है ?

श्री चरणसिंह---ग्राम समाज वेतनार में कुल बंजर भूमि ४६ एकड़ है। श्री आबिद अली आदि मध्यवर्तियों की भाग में भूखंड ५४२ व ५४३ पर पश्चिम की तरफ १ बीघा ५ बिस्वा पर मुसलमानों का कब्रिस्तान पहले से ही है। मध्यवर्तियों को इस जमीन के कब्रिस्तान हेतु प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है।

---

† छापी नहीं गई।

*७२--श्रीमती राजन्द्रकिशोरी--क्या सरकार को मालूम है कि जिला बस्ती की कलेक्टरी कचेहरी में १ जनवरी, १९५० से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक कितने Paid Apprentices स्थायी किये गये हैं तथा Paid Apprentices की कुल कितनी संख्या है ?

श्री चरणसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है।

डुमरियागंज तहसील से चकबन्दी सम्बन्धी शिकायतें

*७३--श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले में तहसील डुमरियागंज में हो रही चकबन्दी के बारे में शिकायतें और तद्विषयक अर्जियां वित्त मन्त्री को नवम्बर, १९५७ में प्राप्त हुई थीं ?

श्री चरणसिंह--जी हाँ।

*७४--श्री बलवानसिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि उन अर्जियों में सेटिलमेंट आफिसर, बस्ती के विरुद्ध शिकायतें की गयी थीं ?

श्री चरणसिंह--जी हां। कुछ शिकायतें बन्दोबस्त अधिकारी के विरुद्ध भी थीं।

*७५--श्री बलवानसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन अर्जियों पर क्या कार्यवाही की गयी है और यदि नहीं, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह--जांच करने पर बन्दोबस्त अधिकारी के विरुद्ध सभी शिकायतें निर्मूल पायी गयीं। दस कर्मचारियों को एक महीने की नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं।

चकों के निर्माण इत्यादि से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया गया और जहां तक सम्भव हो सका प्रार्थियों को वांछित सुविधायें दी गयीं।

शाहजहांपुर जिले में जमींदारी का मुआवजा

*७६--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला शाहजहांपुर के जमींदारों को जमींदारी उन्मूलन के बाद कुल कितनी रकम मुआवजा में देय थी ?

श्री चरणसिंह--शाहजहांपुर जिले के जमींदारों को जमींदारी उन्मूलन के बाद कुल १,१२,४९,९७९.८७ नये पैसे की रकम मुआवजे में देय थी।

*७७--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उस निर्धारित रकम में से १५ अगस्त, १९५८ तक बांड तथा नकदी के रूप में कुल कितना भुगतान भूतपूर्व जमींदारों को दिया जा चुका है ?

श्री चरणसिंह--उक्त निर्धारित रकम में से १५ अगस्त, १९५८ तक भूतपूर्व जमींदारों को बन्धों तथा नकदी में कुल ९९,२८,६६९.८९ नये पैसे की रकम का भुगतान किया जा चुका है।

*७८--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जो रकम शेष रह गयी है उसका भुगतान कब तक हो जायगा ?

श्री चरणसिंह--शेष रकम का कब तक भुगतान हो जायगा इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी आशा की जाती है कि आगामी ३१ मार्च, १९५९ तक सम्भवतः कुल भुगतान हो जाय।

बरेली जिले में जमींदारी का मुआवजा

*७९--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले के कितने जमींदार ऐसे हैं जिन्हें प्रतिकर बांड्स अभी तक नहीं दिये गये हैं?

श्री चरणसिंह--३० नवम्बर, १९५८ तक बरेली जिले के ३,४४५ जमींदारों को प्रतिकर बांड्स देने बाकी थे।

फतेहपुर जिले को तकावी

*८०--श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में बैलों के खरीदने के लिए तकावी के रूप में कितनी धनराशि वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकार की गयी है तथा तहसीलवार कितने किसानों को तकावी दी गयी है?

श्री चरणसिंह--जिला फतेहपुर में वर्तमान वित्तीय वर्ष में बैल आदि खरीदने के लिए कुल ५८,२०० रु० की धनराशि स्वीकार की गयी जिसमें से ५०,८०५ रु० की धनराशि निम्नलिखित रूप में वितरित की गयी--

१--फतेहपुर	.. .. ..	७२ प्रार्थना पत्रों पर।
२--खजुहा	.. .. ..	२४ प्रार्थियों को।
३--खागा	.. .. ..	३९८ प्रार्थियों को।

*८१--श्री वासुदेव दीक्षित--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फतेहपुर जिले में खेती के कुओं का निर्माण करने के लिए किसानों को कितनी तकावी वर्तमान वित्तीय वर्ष में दी गयी है तथा प्रत्येक तहसील में कितने-कितने कुएं स्वीकार किये गये हैं?

श्री चरणसिंह--वर्तमान वित्तीय वर्ष में फतेहपुर जिले की फतेहपुर तहसील में ८ किसानों को कुओं के निर्माण के लिए ८,००० रु० की धनराशि तकावी के रूप में वितरित की जा चुकी है। कुओं का तहसीलवार तखमीना नहीं किया गया। पूरे जिले को इस सम्बन्ध में १,५९,००० रु० की धनराशि स्वीकार की गयी है जिसमें इस जिले में १५९ कुओं के निर्माण हो जाने की सम्भावना है।

खीरी जिले में लेखपालों को बढ़ा वेतन न मिलना

*८२--श्री जगन्नाथप्रसाद--क्या यह सत्य है कि तहसील निघासन, जिला खीरी में लेखपालों को १९५३ के पश्चात् ५ रुपये माहवार की बढ़ोत्तरी नहीं दी गयी है?

श्री चरणसिंह--अप्रैल, १९५३ से अक्तूबर, १९५६ तक बढ़ोत्तरी नहीं दी गयी है। मार्च के अन्त तक बढ़ोत्तरी के धन को वितरित करने का प्रयास किया जा रहा है।

*८३--श्री जगन्नाथप्रसाद--यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कितना इस बढ़ोत्तरी का धन लेखपालों को देय है?

श्री चरणसिंह--लगभग १८,००० रुपये।

जालौन कलेक्टरी में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*८४--श्री गरीबदास (जिला जालौन)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में कलेक्टरी कचहरी में कितने क्लर्क व चपरासी हैं और उनमें परिगणित एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या क्या है?

श्री चरणसिंह--६७ क्लर्क हैं जिनमें ८ पिछड़ी जाति के हैं तथा परिगणित जाति का कोई नहीं है, और १२५ चपरासी हैं जिनमें ९ परिगणित जाति के तथा १७ पिछड़ी जाति के हैं।

जलालाबाद तहसील में लेखपालों के विरुद्ध जांच

*८५--श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर में सन् १९५८ में कुछ लेखपालों की गलत कार्यवाही पर सरकारी जांच की गयी थी ?

श्री चरणसिंह--जी हां। तीन लेखपालों के विरुद्ध जांच आरम्भ की गयी थी जिनमें से एक के विरुद्ध अभी जारी है और दो के विरुद्ध जांच समाप्त हो चुकी।

*८६--श्री हरदयालसिंह--यदि हां, तो उनके अपराधों पर सरकार ने क्या वैधानिक कार्यवाही की है और उनको क्या सजा दी गयी है ?

श्री चरणसिंह--जिन दो के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही समाप्त हो गयी उनमें से एक (श्री घनश्याम) का स्थानान्तरण कर उनकी एक वार्षिक बढ़ोत्तरी रोक दी गयी तथा दूसरे (श्री राधेश्याम) की सेवा समाप्त कर दी गयी ।

प्रतापगढ़ जिले में प्रधान, ग्राम समाज सराय रजई के विरुद्ध शिकायत

*८७--श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)--क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान ग्राम समाज सराय रजई, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ ने दिसम्बर, सन् १९५७ में जो मछली का नीलाम किया था उससे प्राप्त धन न जमा करने की शिकायत सरकार के पास आयी है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

*८८--श्री रामअधार तिवारी--क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त प्रधान ग्राम समाज सराय रजई के खिलाफ कोई शिकायत परगनाधीश पट्टी के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह--प्रधान ग्राम समाज सराय रजई ने स्वयं हल्के के लेखपाल के विरुद्ध शिकायतें की थीं जिसकी जांच होने पर प्रधान ही दोषी पाये गये। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही परगनाधीश पट्टी के न्यायालय में हो रही है परन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है।

शाहजहांपुर जिलान्तर्गत खेड़ा बझेड़ा परगने में रामगंगा का पानी भर जाना

*८९--श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम कन्हनी, नगला दहां, एत्माली, परगना खेड़ा बझेड़ा तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में रामगंगा नदी से जो नाला निकला हुआ है उस नाले के समीप रामगंगा नदी के आ जाने से नाले में पानी बहुत आ गया है ? फलस्वरूप कन्हनी, नगला यहां एत्माली, बरी प्रसिद्धपुर, रपरा माएर, इत्यादि ग्रामों का सम्बन्ध शाहजहांपुर जिले से विच्छेद सा हो गया है तथा सारा यातायात बन्द है ? क्या सरकार जनता की कठिनाई दूर करने के लिए नाव का प्रबन्ध करने का कष्ट करेगी ?

श्री चरणसिंह--इन ग्रामों को शेष तिलहर तहसील से पृथक् करने वाली धार स्थानीय ढबरी है जब रामगंगा बाढ़ पर होती है तो यह ढबरी उफनने लगती है मगर साधारण दिनों में इसमें कम पानी रहता है जिससे ग्रामवासी सुगमता से आ जा सकते हैं। बाढ़ के दिनों में इसकी धारा प्रबल हो जाती है। उन दिनों नाव चलाना कठिन हो जाता है। नदी में वेग कम होने पर कुछ दिनों नाव चल सकती है पर उस के लिए ठेका देना उचित नहीं होगा क्योंकि ठेकेदार को अपनी जीविका भर आय होना कठिन है ।

रिहन्द बांध के पावर हाउस का ठेका

*९०--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रिहन्द बांध पर बनने वाले पावर हाउस का ठेका किसको दिया गया है और कितने रुपये में ?

श्री चरणसिंह---पावर प्लान्ट का ठेका सर्वश्री इंगलिश एलेक्ट्रिक कम्पनी को दिया गया है--पौंड १४,२२,९३७ sterling F. O. B. में मशीन देने का तथा १३,९८,५०० रुपये में उन्हें लगाने का।

पावर हाउस की इमारत हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी ७८ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बनायेगी।

*९१--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त पावर हाउस कब तक बन कर तैयार हो जायेगा और कितनी बिजली इससे तैयार होगी ?

श्री चरणसिंह---पावर हाउस के ३१ दिसम्बर, १९६१ तक बन कर तैयार होने की आशा की जाती है। इसकी इंस्टाल्ड कैपेसिटी १,५०,००० किलोवाट होगी।

आगरा पावर हाउस में बिजली के लिये प्रार्थना-पत्र

*९२--श्री देवकीनन्दन विभव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा पावर हाउस में कितनी दरख्वास्तें बिजली के पावर और घरेलू उद्योग के लिए पड़ी हुई हैं और कब से आगरा पावर हाउस द्वारा बिजली के नये कनेक्शन देना बन्द कर दिया गया है ?

श्री चरणसिंह---आगरा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड आगरा के पास ११० दरख्वास्तें बिजली के पावर और घरेलू उद्योग के लिए पड़ी हुई हैं। उक्त कम्पनी ने मार्च, १९५८ से नये कनेक्शन देना बन्द कर दिया है।

*९३-९४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[४ मार्च, १९५९ के लिए स्थगित किये गये।]

महिला कल्याण योजनायें

*९५--श्रीमती चन्द्रावती--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण के सम्बन्ध में कितने प्रकार की योजनायें कहां-कहां पर क्या-क्या काम कर रही हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २८२ पर)

*९६--श्रीमती चन्द्रावती--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन योजनाओं से कितनी महिलायें और कितने बच्चे लाभ उठा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इन योजनाओं से ४१,०५३ महिलायें और ३७,३७७ बच्चे लाभ उठा रहे हैं।

*९७--श्री गौरीराम गुप्त--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २५ फरवरी, १९५९ के लिए स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१--श्री यमुनासिंह--[४ मार्च, १९५९ के लिए स्थगित किय गया।]

२-४--श्री चन्द्रिकाप्रसाद (जिला रायबरेली)--[४ मार्च, १९५९ के लिए स्थगित किये गये।]

जिला खीरी से उल्ल नदी में नहर का पानी छोड़ने के फलस्वरूप रबी की फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--शिव प्रसाद नागर जी ने जो विषय उठाया था उस विषय में माननीय राजस्व मंत्री अब वक्तव्य देंगे।

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--निवेदन यह करना है कि इस वक्तव्य की सूचना मिलत ही सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की गयी, लेकिन एग्जिक्यूटिव इंजीनियर तथा जिलाधीश महोदय नहीं मिल सके। तो मैं इस बात की आज्ञा चाहता हूं कि साढ़ तीन बज तक मुझे वक्तव्य देने की अनुमति दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं बजट की बहस के बीच में वक्तव्य देने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं समझता हूं कि इसको आप कल दे दीजिये।

श्री धर्मसिंह--बहुत अच्छा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--रामपुर की रजा व बुलन्द चीनी मिल के सम्बन्ध में मैंने नोटिस दी थी ....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें। मदन पांडेय व राजनारायण जी ने नियम ५२ के अनुसार दो विषयों पर वक्तव्य देने के लिये नोटिस दी है और वे चाहते हैं कि इन विषयों पर माननीय मंत्री जी वक्तव्य दें। श्री मदन पांडेय जी का विषय रामपुर के बारे में है, वहां की रजा व बुलन्द चीनी मिलों के मजदूरों के बारे में। मैं उसे नामंजूर कर चुका हूं। आयव्ययक पर बहस में जो कुछ कहना है माननीय सदस्य कह सकते हैं। सिर्फ नई बात उसमें इतनी हुई है कि वे कहते हैं कि सुप्रसिद्ध नेता श्री गनेशदत्त वाजपेयी ने आज से अनशन प्रारम्भ कर दिया है। मदन पांडेय जी कल बजट के वाद-विवाद में १५ मिनट ले चुके हैं। उसमें उन्होंने जो कुछ कहना था कह दिया होगा। अगर इसे वे इतना महत्व का समझते थे तो इस विषय पर कह सकते थे और अगर नहीं कहा तो वे खुद ही इसे महत्व का नहीं समझते और अगर कह दिया है तो उनको उम्मीद करना चाहिये कि जो सम्बन्धित मंत्री हैं वे उस सम्बन्ध में अपना उत्तर देंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--गनेशदत्त वाजपेयी तो आज से अनशन कर रहे हैं। कल कैसे मालूम हो सकता था कि वे उस पर बोलते।

श्री अध्यक्ष--अनशन कोई अचानक नहीं किया है। नोटिस दे कर किया है, वह सब पहले से मालूम था।

श्री मदन पांडेय--मेरे पास वाजपेयी जी का खत है। इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--उसकी अवश्यकता नहीं है। मैं एक ही विषय ले सकता हूं। राजनारायण जी अगर अपने विषय को ज्यादा महत्व का न समझते हों तो मैं दोनों को खत्म कर सकता हूं। वैसे राजनारायण जी का विषय ज्यादा महत्व का है।

श्री राजनारायण—आप ही को समझना है कि कौन ज्यादा महत्व का है, उसे ही आप लेंगे ।

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायण जी का नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय महत्व-पूर्ण विषय निम्न प्रकार है :

"गत शनिवार को इलाहाबाद से ३० मील दूर बेसन का पुरवा गांव में एक बम विस्फोट होने के कारण चार व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गये और पांच सख्त घायल हैं । इस समाचार से आम जनता में उद्विग्नता है कि बम कहां से आया और उस व्यक्ति को कैसे प्राप्त हुआ । इस बात से यह भी आशंका होती है कि कुछ तोड़-फोड़ वाली शक्तियां क्रियाशील होकर षणयंत्र तो नहीं कर रही हैं और सरकार उधर से बिलकुल उदासीन है ।

मैं नियम ५२ के अन्तर्गत आज यह विषय उठाकर सम्बन्धित मंत्री महोदय से विषय का स्पष्टीकरण लोकहित में करना चाहता हूं" ।

इस विषय में सम्बन्धित मंत्री बतला दें कि वे कब तक वक्तव्य दें सकेंगे ? विषय मैं समझता हूं कि महत्व का है । इस पर अविलम्बनीय उत्तर सदन को मिलना चाहिये ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द) ---मैं अभी दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष---तो दे दीजिये ।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह विस्फोट हुआ और चार आदमियों की जानें गईं और कुछ लोग घायल भी हुए । लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां के लोगों को इस सम्बन्ध में कोई भी शंका नहीं है कि तोड़-फोड़ करने वाली शक्तियां काम कर रही हैं । इस बम की कथा यह है कि फौज के लोग जब कभी प्रैक्टिस करने जाते हैं तो सिविल पापूलेशन को सूचना दे दिया करते हैं कि हम इतने बजे से इतने बजे तक बन्दूक वगैरह चलाने की प्रैक्टिस करेंगे उस समय उतने क्षेत्र के रहने वाले लोग हट जायं । उस तारीख को भी फौज के आदमी प्रैक्टिस करने गये थे और चीजों के साथ मार्टर जिसको लिखा गया है बम, गन्स ले गये थे उससे भी प्रैक्टिस की । जो उनका समय था उस समय के बाद वह चले गये और फिर सिविल पापूलेशन को इस बात की छूट थी कि घर लौटकर आवें । यह आदमी शंकरगढ़ क्वैरीज में, जहां पत्थर खोदे जाते हैं, वहां काम करता था और बेसनपुरवा का रहने वाला था, तो वह अपने काम से लौट रहा था उसको कहीं रास्ते में पड़ा हुआ मार्टर मिला । उसने उसको उठा लिया, क्यों उठाया यह तो नहीं कहा सकता । आमतौर से दो ही कारण होते हैं । एक तो कौतुहल वश, और दूसरे यह कि मार्टर में पीतल बहुत होती है और ऐसी जगहों पर जहां होती है लोग लेने की कोशिश करते हैं । बहरहाल जो कुछ भी कारण हो वह उसको अपने घर ले आया और उसको खोलने की कोशिश की हथौड़े से । इस क्रिया में वह फटा, कुछ लोगों की मृत्युएं हुईं और कुछ घायल भी हुए । इस वक्त यह सूचना है ।

कायदा यह है कि फौज के आदमी जब किसी क्षेत्र से प्रैक्टिस करने के बाद हटते हैं तो अफसर इंचार्ज गिन लेता है कि हमने मार्टर निकाले थे कितनों का ऐक्सप्लोजन हुआ और उनके जो बाहरी शेल हैं उसमें कितने हैं । तो फौज वाले खुद इसकी जांच कर रहे हैं और अगर जरूरत हुई तो सिविल अथौरिटीज भी जांच करेंगी । इस वक्त यही सूचना है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन् , मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार इस बात में निश्चित है कि वह मार्टर ही था और फौज के लोगों द्वारा वहां छूट गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जहां तक जांच का तरीका है और जो जांच हुई उससे यही सिद्ध हुआ कि मार्टर था शुद्ध और फौज वालों का ही छूटा था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने फौज के उस अधिकारी को जो उस मौके पर इंचार्ज था यह लिखा है कि वह इस बात की जांच करे कि किसकी लापरवाही से वहां मार्टर छूट गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार को लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से खुद फौज के अफसर से बातचीत हुई है और वह जांच कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सिविल पापूलेशन को उस दिन आगे से इत्तला दी गयी थी कि आज मार्टर बाम्ब्स का ऐक्सपेरीमेंट होगा ?

श्री अध्यक्ष---यह तो बहुत ब्यौरे का सवाल है। मैं समझता हूं उस संबंध में जब जांच हो रही है तो हर चीज को इतने ब्यौरे से पूछने की इसी समय आवश्यकता नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या इस कल्पेबिल नेग्लीजेंस से जो लोग हताहत हुए हैं उनके परिवार को कुछ मुआवजा देने के विषय पर सरकार सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार को इस बात की सूचना है कि इस तरह की घटनायें झांसी तथा दूसरे क्षेत्रों में भी, जहां फौज प्रैक्टिस किया करती है, होती हैं। तो क्या सरकार अथवा मुख्य मंत्री जी फौज के अधिकारियों को कोई विशेष प्रकार का आदेश देने की कृपा करेंगे कि ऐसी बात के ऊपर विशेष ध्यान रखा जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हमारी तरफ से आदेश जाने की जरूरत नहीं है, खुद मिलिटरी डिपार्टमेंट के कड़े आदेश हैं। फिर भी मनुष्य से ही गलती होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो रिपोर्ट इस संबंध में फौज की जांच के बाद आये उसे माननीय मुख्य मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर उसमें कोई खास गोपनीय बात नहीं हुई तो कोई हर्ज भी नहीं होगा।

श्री राजनारायण---माननीय मुख्य मंत्री जी को जितनी जानकारी है उससे यह बात तो निश्चित है कि यह फौज के लोगों की लापरवाही से दुर्घटना हुई। तो क्या उसके लिये यह प्रान्तीय सरकार कोई ऐसा कदम उठायेगी कि फौज के लोगों की इस तरह की लापरवाही से इस प्रकार की दुर्घटना न हों और जो इस तरह की दुर्घटना हुई है उनको मुआवजा देने की उसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने अभी जबाब उसका दे दिया। वाकयात के बारे में स्पष्टीकरण हो इसका ज्यादा महत्व होता है नियम ५२ के अनुसार। वह स्पष्टीकरण काफी हो गया। आगे और समय इस विषय में मैं प्रश्नों के लिये नहीं दूंगा।

५ दिसम्बर, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १-२ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, दिनांक ५ दिसम्बर, १९५८ को विधान सभा के सदस्य श्री रामचन्द्र विकल द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १-२ के संबंध में श्री शिवप्रसाद नागर द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का निम्नलिखित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

उत्तर दिया गया था--प्रश्न था गाजियाबाद नगरपालिका में कितना कर्ज हो गया है और किस किसका है ? इसका उत्तर यह दिया गया था कि ज्यादातर कर्ज सरकार का है। ११-१२ लाख से ज्यादा का कर्जा है।

यह उत्तर सही नहीं था। सही उत्तर निम्न प्रकार से है :--

नगरपालिका गाजियाबाद के ऊपर ९,६०,००० रुपये के लगभग सरकारी कर्ज है। नगरपालिका के कथनानुसार वह इसमें से २,००,००० रुपये का भुगतान कर चुकी है, पर महालेखपाल, इलाहाबाद की किताबों में उक्त भुगतान नहीं दिखाया गया है और इसके संबंध में दोनों में कुछ झगड़ा चल रहा है।

श्री अध्यक्ष---(श्री शिवप्रसाद नागर के खड़े होने पर) इसके बारे में अभी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। नये प्रश्न आप कर सकते हैं, इस उत्तर मिलने के बाद।

श्री टीकाराम पुजारी की प्रार्थना

***श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मैं निवेदन करूं कि १६ तारीख को श्रीमान के कमरे में मिला था और मेरा एक कामरोको प्रस्ताव था। श्रीमान ने कहा था कि मंगलवार के दिन समय दिया जायेगा। आज बुद्धवार हो गया। क्या अगले मंगलवार के लिये कहा था ? नेता लोग सब चाट जाएंगे, हमारे लिये कुछ नहीं रहेगा बोलने के लिये। इन अगस्त मुनियों से मुझे समय दिया जाय.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिए।

५ बजे अपरान्ह के पश्चात् १ घंटा अधिक बैठने के सम्बन्ध में संकल्प

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उप-नियम (१) के अनुसार इस सदन की बैठक ११ बजे पूर्वान्ह से ५ बजे अपरान्ह तक होती है। परन्तु उत्तरप्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को १ अप्रैल, १९५९ तक अधिनियम बन जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन यह निश्चय करता है कि उक्त विधेयक पर विचार करने एवं उसे पारित करने के लिये यह सदन दिनांक १८ फरवरी, १९५९ से उक्त विधेयक पारित होने तक प्रति दिन ५ बजे अपरान्ह के पश्चात १ घंटे अधिक बैठे।

श्रीमन्, कल इसकी सूचना तो माननीय वित्त मंत्री ने आपको और आपके द्वारा सदन को दे दी थी। इसकी आवश्यकता स्पष्ट है। बिक्री कर के संबंध में कुछ संशोधन करने हैं और यह भी जाहिर है कि १ अप्रैल से वह लागू हो सके। इसलिये दोनों सदनों से पास हो जाय, और जिन लोगों को बिक्री कर देना होता है ..

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि नियम ९० के मातहत शासन द्वारा संकल्प की सूचना, यदि शासन कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वह सात दिन की सूचना देगा और उसके साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेगा जो उसकी प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेगा परन्तु अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना स्वीकार कर सकेंगे। तो श्रीमन्, इसमें तो दो बातें हैं कि अगर शासन कोई संकल्प देना चाहे तो उसकी प्रति सात दिन पहले देगा और एक दूसरी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शर्त इसमें यह भी है कि जब वह उसकी प्रति देगा तो सचिव को देगा और वह आपका सचिव अड़तालीस घंटों के भीतर उसको हम लोगों को वितरित करायेगा। तो इसमें स्पष्ट है कि जो इसकी अन्तिम लाइन है कि अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना स्वीकार कर सकेंगे, तो ४८ घंटों का वह समय तो निश्चित है। सात दिन से कम आप पांच दिन कर सकते हैं, आप उसे ३ दिन कर सकते हैं, इतना तो आप को अधिकार है, लेकिन इस नियम के अन्दर भी 'प्राप्ति के ४८ घंटे के अन्दर सचिव को उसकी प्रतिलिपियां तमाम माननीय सदस्यों को पहुंचानी चाहिये।' परन्तु हमें अभी तक नहीं मालूम कि सचिव ने सम्मानित सदस्यों को इसकी प्रतिलिपिया भेजी हैं या नहीं। कम से कम हमें तो प्राप्त नहीं हुई हैं इतना तो हम साधिकार तरीके से कह सकते हैं।

दूसरे अभी तक इसके बारे में आपकी व्यवस्था नहीं हुई है कि सरकार इसको रखे या न रखे कल आपने कहा था कि जब वह रखने लगें तभी वैधानिक आपत्ति उपस्थित करें, मेरी समझ से तो जब आप नियम के अनुसार इजाजत दे देते तभी यह संकल्प आना चाहिये था। बिना इजाजत के उसको रख देना भी एक अवैध कार्य है।

श्री अध्यक्ष—आप उनके पढ़ते ही एतराज कर सकते थे अब आप ने कहा तो मैंने आप को इजाजत दे दी। परन्तु नियम के अन्त में जो दिया है कि—"परन्तु अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना भी स्वीकार कर सकेंगे, इसके बारे में आप को क्या कहना है। इसमें औचित्य का भी सवाल आता है, आप बतायें कि कम समय की सूचना अनुचित क्यों है? उसके कारण आप बतायें तब मैं अपना फैसला दूंगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इस नियमावली में जो यह बात रखी है वह इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही रखी गई होगी कि अगर कोई ऐसी बात कभी आ जाय जो नितांत आवश्यक हो तो आप को अधिकार रहे कि आप कम समय की सूचना को भी स्वीकार कर लें और इजाजत दे दें, लेकिन यहां आप देखें कि नियम में ७ दिन की सीमा बांधी गई है तो समय कम हो तो उसकी सीमा भी ६ दिन, ५ दिन, ४ दिन या कम से कम ३ दिन की सीमा हो सकती थी, लेकिन यहां तो सरकार चाहती है कि आज ही इजाजत ले और आज ही संकल्प प्रस्तुत हो जाय।

इसके अतिरिक्त दूसरी शर्त यह भी नियम में दी है कि उस संकल्प की प्रतियां सदन में माननीय सदस्यों को वितरित की जायं। उसकी भी पाबन्दी नहीं हुई और वही नीति कि तुरन्त एक संकल्प सरकार के दिमाग में आया और वह पेश कर दिया। यह बिलकुल अनुचित है, इसके न आने से कौन सी धरा धंस जायगी और आसमान फट पड़ेगा। जब भी ऐसे संशोधन आते हैं तो हम से कहा जाता है कि इन्हें ३१ मार्च तक पास हो जाना चाहिये। अगर यह पास नहीं होता है तो कौन से धन का ह्रास हो जायगा, क्या बिगड़ जायगा, कौन सी सरकार उलट जायगी? क्या जन अहित हो जायगा, समझ में नहीं आता। क्या आज जो बिक्री कर ऐक्ट है उसके रहते हुए कोई समाज की व्यवस्था ठप हो जायगी? ऐसी कोई बात हमारी समझ से होने वाली नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप को सरकार की ऐसी प्रवृत्ति को कि समय बे समय जब इच्छा हो तो संकल्प ला देती है, रोकना चाहिये और मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप को सरकार की ऐसी मनोवृत्ति पर अकुंश लगाना चाहिये और रोकना चाहिये, क्योंकि उन्होंने कोई औचित्य भी प्रस्तुत नहीं किया।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि इस प्रस्ताव के वैधानिक होने का प्रश्न है उस पर तो आप जैसा समझें निर्णय करें, मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य बात सदन के समय को बढ़ाने की नहीं है, जो काम सदन के सामने है उसका समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव बिना नोटिस के भी आ सकता है, लेकिन यह दूसरे काम के लिये सदन का समय बढ़ाने की बात है। अस्ल में यहां उस नियम से थोड़ा डिपार्चर हो जाता है कि बजट के समय में कोई और बिजनेस नहीं आना चाहिये। संकल्प यह है कि हम आखिर में समय बढ़ाकर बिक्रीकर संशोधन विधेयक पर बिचार करें....

श्री अध्यक्ष—कौन-सा नियम है ?

श्री त्रिलोकीसिंह—नियम १८९ (३)।

श्री अध्यक्ष—वह हिन्दी में ले लीजियेगा।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं इसका अनुवाद किये देता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसमें भी यही दिया हुआ है कि—"अनुदानों के लिये मांगों पर ऐसे दिनों में (जो चौबीस दिनों से अधिक न होंगे) मत लिये जायंगे जिनको इस अभिप्राय के लिए अध्यक्ष सदन नेता से परामर्श करके नियत करें।" तो उपनियम (१) के अन्तर्गत अध्यक्ष की बिना सम्मति लिए कोई कार्य नहीं लिया जायगा। तो इसमें वह अध्यक्ष की अनुमति ले सकते हैं। यह नहीं है कि अनुमति से भी नहीं हो सकता है।

श्री त्रिलोकीसिंह—उपनियम (३) में यह है कि उपनियम (१) के अन्तर्गत नियत दिनों में प्रश्नों के अतिरिक्त अध्यक्ष की सम्मति के बिना अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—हां, वह तो औचित्य के बारे में प्रश्न है कि अनुमति दी जाय या नहीं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री त्रिलोकीसिंह—इस सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल के द्वारा जो मसविदा दिया गया है इस सदन के सदस्यों को, ऐसा मालूम होता है कि कुछ टैक्सपेयर को रिआयत दी गयी है। इसलिए इस तरफ बैठने वाले भी उतने ही चिन्तित हैं जितने कि सरकार के पक्ष के माननीय सदस्य कि जितनी जल्दी वह पारित हो जाय वह अच्छा है। यदि समय बढ़ा कर उस पर विचार नहीं किया गया तो यह मार्च ३१ तक नहीं पास हो सकता, क्योंकि यहां के बाद विधान परिषद् में जायगा। इसलिये मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आपके द्वारा माननीय नेता समाजवादी दल से कि वह अपनी आपत्ति पर आग्रह न करें और यह जो जनता को राहत देने का विधेयक है इसको पारित करने में सहायक हों।

*वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे और कुछ नहीं कहना है, सिर्फ यह कि बहुत सी तजवीजें जो मैंने अपनी बजट की तकरीर में कही थीं इसके ऊपर उनका दारोमदार है कि यह कानून पास हो जाय, तब वह कानून की शक्ल ले सकती हैं वरना बाधा पड़ेगी। इसलिये जरूरत हुई कि इसको इसी दौरान में पहली अप्रैल के पहले इसमें तरमीम कर दी जाय। इसीलिए मैंने माननीय नेता विरोधी दल से बातचीत भी की थी, उनको बताया भी था।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं नेता विरोधी दल, बाबू त्रिलोकीसिंह की इच्छा की पूर्ति सर्वदा करने के लिए तत्पर रहने का अभिलाषी हूं, चाहता हूं कि उनके संकेत मात्र से मैं वह काम कर दूं जो वह चाहते हैं। मगर प्रश्न यह है कि क्या माननीय बाबू त्रिलोकीसिंह जी या इस सदन के नेता श्री सम्पूर्णानन्द जी कभी भी इस सदन के सदस्यों के सामने यह रखने में सफल हुए हैं कि अगर यह पास होकर सामने आ जाय तो गरीब जनता का भला होगा ? अगर भला होता हो, सही माने में गरीब जनता कुछ पाती हो तो मैं रात भर बैठकर काम करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी ओर से इत्मिनान देने के लिए और साथियों की ओर से इत्मिनान देने के लिए...

श्री अध्यक्ष—यह तो शर्तिया सवाल है।

श्री राजनारायण—अगर माननीय त्रिलोकीसिंह जी, नेता विरोधी दल की जानकारी में यह है कि विधेयक में ऐसी गुंजायशें हैं जिनसे जनता की भलाई हो सकती है, ऐसी उनकी जानकारी सरकारी पक्ष के लोगों ने कराई है। तो यह सरकार हमेशा कहा करती है कि जितने कानून सरकार बनायेगी वह सब जनता की भलाई के लिये होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आप अपना ऐतराज वापस लेते हैं या नहीं ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, दूसरी सूचना मेरे पास आई है जरा उसको सुन लें। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने बताया है कि इस पर वाद विवाद नहीं होगा और यह सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो जरा इसको सरकार की ओर से आ जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर आपकी क्या राय है ?

श्री राजनारायण—अगर यह सेलेक्ट कमेटी में जा रहा है और इस पर बाद में चर्चा हो तो हम आज के लिये तैयार हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—आपकी शर्त यह है कि इस पर सेलेक्ट कमेटी में जाने से पहले सामान्य वादविवाद न हो तो आप राजी हैं वरना आपका ऐतराज कायम रहता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक मिनट का मुझे मौका दे दें यह मैं क्यों चाहता हूं क्योंकि सामान्य वाद विवाद में सरकार की ओर से यह बात खुल जायगी। जब हमारी आपत्ति हट जायगी तो उनका मकसद हट जायगा, लेकिन इस समय इस पर वादविवाद की जरूरत नहीं है। इस समय सेलेक्ट कमेटी में इसको जाने दीजिये बाद को देखा जायगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आपकी बात मालूम हो गई। मैं समझता हूं कि इसमें उनको कोई विशेष आपत्ति नहीं दिखाई देती सिवाय इसके कि सामान्य वादविवाद जो विधेयक पर होता है वह चाहते हैं कि इस समय न हो और यह उनके निश्चय करने का प्रश्न नहीं है। सामान्य वाद विवाद नियम के अनुसार पहले ही होना चाहिये लेकिन सदन को अधिकार है कि वह फैसला करे कि पहिले न हो बल्कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बाद में हो। इस अधिकार को मैं समझता हूं कि राजनारायण जी की इच्छा पर या किसी मंत्री की इच्छा पर या विरोधी दल के नेता की इच्छा पर मैं नहीं छोड़ सकता हूं। जब सदन में यह विधेयक विचारार्थ आवेगा और इस पर बहस छिड़ेगी उस समय यदि प्रस्ताव होगा तो सदन फैसला लेगा। इससे पेश्तर यह बात नहीं होगी। अभी तो प्रश्न यह है कि मैं इस प्रस्ताव की इजाजत दूं या नहीं। सब को सुनने के बाद मैं समझता हूं कि इसमें इतनी ही अड़चन मालूम होती है कि वह चाहते हैं कि विधेयक जब सामने आये तो वह सेलेक्ट कमेटी में जाय और उस पर सामान्य वाद विवाद उसे प्रवर समिति को भेजने के पहिले न हो जो जब विधेयक पेश हो जाय उस समय वह यह बात कह सकते हैं। इस लिये मैं प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति देता हूं कि कम समय में जो सूचना दी गई वह काफी है और इस नियम का पालन हो गया कि सचिव को नोटिस मिलने के ४८ घंटे के भीतर आज ही वह सदन के सदस्यों को सूचनार्थ बांट दिया गया और वह इस समय सामने मौजूद है। अब इसके सम्बन्ध में कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है। मैं अब इस पर राय लेता हूं।

श्री राजनारायण—अभी तो माननीय मुख्य मंत्री जी रखेंगे और हम विरोध करेंगे।

श्री अध्यक्ष—अगर वह बोलना चाहें तो वह बोलें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने संकल्प पेश कर दिया है और मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत कोशिश की कि माननीय नेता सदन ने नेता विरोधी दल को अपनी सम्मति का बना कर जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है उसका विरोध में न करूं मगर मैं उसका विरोध करने के लिये बाध्य हुआ हूं अपना कर्त्तव्य पालन के लिये। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और हमारे विरोध करने के कई कारण हैं। पहला तो यह कि सरकार की आदत पड़ती जा रही है कि बजट के समय में भी जब कि आवश्यक विषयों पर भी सदन में चर्चा नहीं हो पाती है जिससे जनता का हित होता है, लोकहित होता है और आवश्यकता होती है तब सरकार ऐसे एक गौण विषय को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए

[श्री राजनारायण]

सचेष्ट होती है जिसकी आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से कोई आवश्यकता नहीं प्रस्तुत की गयी कि इसमें गरीब जनता का क्या भला होगा या गरीब जनता को क्या राहत मिलेगी। अंधकार में रख कर सरकार अगर समाजवादी पार्टी के सम्मानित सदस्यों को अपने मार्ग से विचलित करना चाहे तो यह नामुमकिन है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि पहले मुख्य मंत्री अपने में साधु सम्मति पैदा करें और स्वतः सरकार की ओर से प्रकट होना चाहिए कि वह इस प्रस्ताव को वापस लेती है। यदि हमारे विनम्र निवेदन के बाद भी नेता सदन इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं, अपनी हठवादिता का परिचय देते हैं तो आपके द्वारा दूसरा तरीका प्रस्तुत करूंगा। चूंकि अभी-अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी आज्ञा दी है कि यह सब नियम की पाबन्दी हो गयी है तो उनकी व्यवस्था हमें यदि सदन में रहना है तो मानना ही होगा नियम के मुताबिक। हम अपना मतभेद प्रगट कर सकते हैं, हम वाक आउट (नत मस्तक) हो सकते हैं, अपनी विमति और अपनी असहमति प्रगट करते हुए। मैं निहायत अदब से कहना चाहूंगा कि जो नियम ९० है उसकी आत्मा और उसके शब्द की पाबन्दी हमारे मत अनुकूल नहीं हो पा रही है। हम इस नियमावली को अभी-अभी संशोधित करके कार्यान्वित किये हैं। इस नियमावली में जितनी गुंजायश हो सकती थी उतनी गुंजायश सरकारी पक्ष को दी गयी कि वह नियम को तोड़ने के लिए लालायित न हो। अधिक से अधिक गुंजायश नियमों में की गयी है कि नियमों के अन्दर रहते हुए जब वह चाहें चल सकते हैं। मगर उनको यह सरकार तोड़ने पर तैयार है। अगर यह सरकार समझती थी कि ३१ मार्च तक इस बिक्री कर विधेयक को पास होना लाजिमी है तो इससे पहले जब सदन बैठा था उस समय क्यों नहीं लाया गया। और सफाई के साथ कहा जाता कि अगर बिक्री कर में संशोधन नहीं हुआ तो गरीबों का नुकसान होगा। गरीबों का नारा लगाना बेकार है। अभी सरकार ने पूंजीपति, मिल मालिकों का बिजली का टैक्स माफ किया और यह सरकार जो गरीब जनता से टैक्स लेना चाहती है, करोड़पती मिलमालिकों को कर्जा देती है, डेढ़-डेढ़ करोड़, दो-दो करोड़, तो सरकार के मुखारबिन्दु से यह बात अशोभनीय है कि सरकार गरीबों का नाम ले। गरीबों का नाम लेकर गरीबों को कत्ल करने की परिपाटी पर चलने के हम विरोधी हैं। इसलिये गरीबों, न्याय और संविधान की मर्यादा के लिए, इस सदन की मर्यादा के लिए, आपकी मर्यादा के लिए इस सदन की कार्य-प्रणाली और नियमों की मर्यादा के लिए हम निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने संकल्प को वापस लें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह कहना है जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पेश किया है, कि जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि ऐसे प्रस्ताव जहां तक हों वहां तक न लाये जायं और अगर लाने आवश्यक हों तो बहुत कम लाये जायं, सरकार अपना कार्यक्रम इस तरह से बनाये कि विधेयक पहले से तैयार हों और इस तरह की कठिनाई न पड़े जिससे सदन के सदस्यों को अच्छी तरह से विचार करने में असुविधा हो। इस सम्बन्ध में माननीय राजनारायण ने जो बात कही मैं उसका समर्थन करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह भी इस बात का खयाल रखे कि सदस्यों को असुविधा न पहुंचने पाये, लेकिन माननीय राजनारायण जी ने जो यह बात कही कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किसी तरह से विरोधी दल के नेता को सहमत कर लिया उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री से या सरकार से किसी भी मामले में सहमत होना कोई अपराध हो तो उस अपराध का अपराधी मैं भी हूं। मेरे साथ-साथ विरोधी दलों के चार नेता अपराधी हैं। यानी जब विरोधी दलों के नेताओं की दो एक दिन पहले एक मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में हमारे दुर्भाग्य से राजनारायणसिंह जी या सोशलिस्ट पार्टी के कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाकी चारों जो उपस्थित थे उन सबकी इस बात में सहमति थी कि इस तरह से इसको पास करा लिया जाय और ले आया जाय।

दूसरी बात जो मुझे राजनारायणसिंह जी से निवेदन करनी है वह यह है कि मेरी आशा यह है कि सेलेक्ट कमेटी में इस बिल के जाने पर वहां से जो प्रतिवेदन आयेगा वह सर्वसम्मति होगा।

मैं ऐसी आशा करता हूं और अगर वह मेरी आशा पूरी हुई तो मैं यह भी आशा करता हूं कि जब प्रतिवेदन सर्वसम्मत होगा तब माननीय राजनारायणसिंह जी को भी कोई विरोध नहीं होगा। इसलिये मैं राजनारायण सिंह जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस समय अपने विरोध को वापस ले लें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी गुस्ताखी तो कर नहीं सकता कि किसी अनुचित तरीके से नेता विरोधी दल को या किसी भी दूसरे दल के नेता को राजी करा लेने की कोशिश करूं। यह मेरे लिये खुशी की बात है कि जो उचित बात हम उनके सामने रखते हैं उसको व स्वीकार करते हैं। माननीय पालीवाल जी ने जो बातें कहीं हैं मैं उनसे सहमत हूं कि जहां तक हो बजट के जमाने में इस तरह की चीजों को नहीं लाना चाहिये, लेकिन अब की बार उनको ऐसा खयाल करना चाहिये कि हमेशा इस बात की कोशिश होती है कि १ अप्रैल तक या उससे पहले ही बजट स्वीकार किया जाय और साधारणत: २८, २९ और ३० मार्च तक बजट पास हो जाता है। अब की बार होली ऐसे वक्त पर आयी कि २३ और २४ मार्च के बाद सदन का बैठना सम्भव नहीं है। ऐसा इसीलिये हो गया है कि २३ या २२ तक बजट पास कर लिया जाय, इसलिये इसी बीच में लाना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो बीच में इसको लाकर हम माननीय सदस्यों को तकलीफ नहीं देते। बस मुझे इतना ही कहना है और मैं आशा करता हूं कि सदन इस संकल्प को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (१) के अनुसार इस सदन की बैठक ११ बजे पूर्वाह्न से ५ बजे अपराह्न तक होती है। परन्तु उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को १ अप्रैल, १९५९ तक अधिनियम बन जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह सदन यह निश्चय करता है कि उक्त विधेयक पर विचार करने एवं उसे पारित करने के लिय यह सदन दिनांक १८ फरवरी, १९५९ से उक्त विधेयक पारित होने तक प्रति दिन ५ बजे अपराह्न के पश्चात् १ घंटे अधिक बैठे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, पहले सदन २ फरवरी से होने वाला था, लेकिन तब तो पद की सुरक्षा के लिये पदयात्रा होने लगी।

श्री अध्यक्ष—अब उसका परिणाम यह है कि यहां डिवीजन यात्रा हो रही है।

(हंसी)

(घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुन: उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२१७,

विपक्ष में—१६।)

*श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ये नेता लोग ४ सदस्यों के बोलने का समय खा गये। यह नेता लोग बड़े खतरनाक चीज हैं। जब तक यह नेता नाम खत्म नहीं होगा तब तक न तो हम जिन्दा रहेंगे और न ये नेता ही जिन्दा रहेंगे। हम जो गरीब यहां पर सदस्य हैं उनके हक़ को यहां पर हड़पा जाता है। इस माननीय सदन क अन्दर ऐसा नहीं होना चाहिये। ये नेता तो देश को खत्म ही कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—यह आपके नेता ही लड़ाकू नेता हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपने यह बात ऐसी कह दी जिससे मुझे सफाई करनी पड़ रही है। आपने पुजारी जी की बात को तो टाल दिया, लेकिन उनका कहना यह था कि सरकार हठवादिता को छोड़े और इस प्रकार के प्रस्ताव न लाया करे। उनका आशय यह था कि लड़ाकू नेताओं को सारा समय मिलना चाहिये और पंगु नेताओं को नहीं मिलना चाहिये।

आय-व्ययक पर सामान्य विवाद में सभापति प्राक्कलन समिति के भाषण की समय-सीमा

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---श्रीमन् कल सदन ने यह निश्चय किया था कि मंत्री और पार्टी के नेताओं के अलावा सदस्यों को १५ मिनट का समय दिया जायगा। मेरा निवेदन यह है कि इस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन जिनका सम्बन्ध हमारे आय-व्ययक से गहरा होता है, मैं उस कमेटी का सदस्य होने के नाते यह प्रस्ताव रखता हूं, कि उनको आधा घंटे का समय दिया जाय ताकि वह विशेष सम्मति इस सदन को दे सकें। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, क्योंकि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के चेयरमैन को इस सम्बन्ध में विशेष ज्ञान होता है। संयोग से लोक लेखा समिति के चेयरमैन तो एकदल के नेता हैं, इसलिये उनके लिये तो समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन प्राक्कलन समिति के चेयरमैन के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---एक साधारण प्रथा यह रहेगी कि लोक लेखा समिति के जो चेयरमैन हों और प्राक्कलन समिति के जो चेयरमैन हों, उनके लिये मैं आधे घंटे का समय दूंगा। इस समय यह स्थिति है कि लोक लेखा समिति के चेयरमैन और एक दल के नेता एक ही सदस्य हैं लेकिन आमतौर पर यह रिवाज हो जाय कि अगर नेता न भी हों तो भी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष या प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष होने से आधे घंटे का समय उन्हें मिलना चाहिये।

१९५९-६० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद---(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---श्री खूबसिंह जी कल भाषण दे रहे थे और उनके भाषण में ५ मिनट का समय बाकी रह गया था।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)---अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने भाषण में यह बतलाया था कि इस बजट के अन्तर्गत जो टेक्सटाइल मिल लगाई जा रही है उससे इस प्रदेश का हित नहीं होता है। इस सिलसिले में जो हैंडलूम इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं उनकी ख्वाहिश का इजहार मैं इस सदन में करना चाहता हूं। जरूरत इस बात की है कि इस देश में और प्रदेश में जितनी टेक्सटाइल मिल्स पहले से काम कर रही हैं और जितनी सूत बनाने वाली मिलें काम कर रही हैं, अब अम्बर चरखे के प्रचार तथा हैन्डलूम इंडस्ट्री की वजह से समय आ गया है कि इन दोनों किस्म की मिलों को कम किया जाय और अध्यक्ष महोदय, चूंकि इसका अधिकार हमारी सरकार को नहीं है इसलिये कम से कम हम लोग इतना जरूर कर सकते हैं कि हम भारत सरकार को इस बात की सूचना दें और उनसे दरख्वास्त करें कि वह अपनी नीति में इस किस्म का परिवर्तन करें।

इसके अलावा एक सजेशन मैं और सरकार को देना चाहता हूं ताकि हमारे देश और प्रदेश की काटेज इंडस्ट्रीज कुछ अग्रसर हो सके। इस प्रदेश में काटेज इंडस्ट्री का एक कारपोरेशन कायम होना चाहिये और काटेज इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट का सारा काम उसकी सिफारिश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर होना चाहिये । अगर हमने काटेज इंडस्ट्रीज को पूरी तरह डेवलप नहीं किया तो हम अपने प्रदेश में खुशहाली नहीं ला सकते और न हम अपने सोशलिस्ट समाज की स्थापना के स्वप्न को सफल बना सकते हैं । मुझे आशा है कि जो सप्लीमेंटरी बजट इस साल का आखिर में सरकार पेश करेगी उसमें इस कारपोरेशन के लिये जो खर्च होगा उसे वह जरूर शामिल कर लेगी ।

तीसरा सजेशन जो मैं देना चाहता हूं वह यह है कि काटेज इडस्ट्रीज में जहां तक कपड़े का ताल्लुक है, उसको तरक्की देने के वास्ते हम यह कर सकते हैं कि हम कपड़े के उपर जो सेल्स टैक्स लेते हैं उसमें कुछ बढ़ोत्तरी कर दी जाय, उसकी दर ज्यादा कर दी जाय । तभी यह मुमकिन हो सकेगा कि हैंडलूम और गांधी आश्रम के द्वारा जो खादी और हैंडलूम कपड़े का उत्पादन होगा उसका अधिक प्रचार और बिक्री हो सकेगी । अगर विचार किया जायेगा तो हम सभी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मिल के कपड़े पर सेल्स टैक्स की दर बढ़ा देने से इस प्रदेश का कल्याण होगा ।

इस के अलावा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सूबे में स्केयरसिटी बहुत है इसका मुकाबला करने के लिये हमारी सरकार को स्केयरसिटी कांबैटिक स्कीम जारी कर देनी चाहिये । मैं पूर्व की बात नहीं जानता, लेकिन पश्चिम के जिलों की बात अर्ज करता हूं । वहां काफी स्केयरसिटी है और इस किस्म के काम जारी करने से लोगों को पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा और इस अरसे में उनके जरिये हम अपनी गरीब जनता के लिये रोटी और कपड़े का इन्तजाम कर सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, कल श्री त्रिलोकीसिंह जी ने जो स्टेट ट्रेडिंग के मुताल्लिक अपने विचार प्रकट किये उनसे मुझे खासतौर से बड़ा दुख हुआ और मैंने यह समझा कि उनके विचार प्रगतिशील नहीं हैं। जब एक तरफ होर्डिग के लिये कहते हैं कि होर्डिग की जाती है और भाव तेज होता है। इन दोनों बातों के साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि अनाज की कमी नहीं है, सिर्फ इन्तजाम की कमी है। तो फिर स्टेट ट्रेडिंग तो इन्तजाम के वास्ते ही है और इसकी भी मुखालिफत उन्होंने की, यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

अध्यक्ष महोदय, १ आध मिनट शायद मैं और ले लूं। आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सूबे में जो कोआपरेटिव ऐक्ट लागू है उसमें बहुत कमियां हैं और हम कोआपरेटिव्ज के जरिये से जो काम करना चाहते हैं वह नहीं करा सकते क्यों कि इस ऐक्ट के जरिये से सही तौर से लोगों को जिनके हाथ में कोआपरेटिव्ज हैं, काम करने का मौका मिलता ही नहीं है और बहुत कुछ काम मुहकमें के अफसरान, सुपरवाइजर्स, इन्सपेक्टर्स करते हैं और मैं इस हाउस को बतला देना चाहता हूं कि खास तौर से चीफ मिनिस्टर साहब के तजर्बात इस किस्म के हुए हैं कि कोआपरेटिव्ज के आदमी जो चुने हुये होते हैं उनको काम करने का मौका नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हो गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय वित्त मंत्री अपना बजट पेश कर रहे थे मैं बड़ी आशा से और बड़े ध्यान से सुन रहा था कि जिस तरह से साधारणतया एक बजट के अन्दर सरकार अपनी नीति रखती है और विशेष कर समाज के उपर उस परिस्थिति में उस समय जो कठिनाइयां होती हैं, आपदायें होती हैं उनके उपर भी अपनी स्पष्ट नीति रखेगी। इस दृष्टि से मैं बड़े ध्यान से उनका बजट भाषण सुन रहा था, लेकिन मुझे दुख है कि इस प्रान्त के ऊपर जो आज सबसे बड़ी कठिनाई आयी हुई है, जिसको खाद्य समस्या लोग कहते हैं और जिसका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध प्रान्त की कृषि से है, इन दो समस्याओं के उपर माननीय वित्त मंत्री ने कोई भी अपनी नीति या दृष्टिकोण नहीं रखा। मुझे दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है क्योंकि श्रीमन, आवश्यकता यह थी कि वर्ष प्रति वर्ष हमारे प्रान्त में जो खाद्यान्नों की कमी होती जाती है जिसके आंकड़े सरकार ने अपनी प्रस्तुत

[राजा यादवेन्द्रदत्त दूबे]

पुस्तिका में स्वयं स्पष्ट किया है जिसका परिणाम हम यह देखते हैं कि इस प्रान्त के अन्दर जितनी जमीन पर खाद्यान्न उत्पन्न होते थे वह भूमि भी घटती जाती है और वह भूमि कैश क्राप्स के उपर ज्यादा लगती जा रही है और खाद्यान्नों का उत्पादन कम होने के कारण कैश क्राप्स का उत्पादन प्रान्त में बढ़ रहा है। इस ओर मंत्री जी कोई दृष्टि नहीं रखते। आवश्यकता यह थी कि इस ओर दृष्टि रखी जाय क्योंकि अगर प्रान्त की कृषि बिगड़ गयी या किसी भी राज्य की अगर कृषि बिगड़ जाती है, अन्न का उत्पादन कम हो जाता है तो किसी प्रकार का डेवलपमेंट वर्क नहीं हो सकता, चाहे वह इन्डस्ट्रियल हो, चाहे सोशल हो, चाहे किसी प्रकार का भी हो और एकोनामिक डेवलपमेंट तो होना असम्भव है। श्रीमन्, आप देखें कि जैसा मैंने पहले कहा था कि सन् १९५५-५६ में अण्डर फूड क्राप नाम के खाद्य पदार्थ के आंकड़े ४६७.७ और १९५६-५७ में बढ़कर ४७५.५ और १९५७-५८ में ४६७.९ रह गये। अगर एक हजार एकड़ में इसको माना जाय तो इतना भेद इसमें मालूम होता है। दूसरी तरफ बढ़ोत्तरी कहां हुई है? नान-कृषि क्राप्स में। पहले जो ३१.४ थीं वह अब ३४.५ हो गयी है। बाकी जो बचीं वह फैलो लैंड्स होंगी। प्रान्त में यह स्थिति वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। इसको बढ़ने देने का मतलब होगा कि खाद्य समस्या भी दिन प्रति दिन बढ़ती जायगी। इसका मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत ज्यादा उत्तर अगर उन्होंने दिया तो चीप ग्रेन शाप्स के बारे में और स्टेट ट्रेडिंग के बारे में कहा। इस तरह से माननीय मंत्री जी का जो कृषि के प्रति मूलभूत दृष्टिकोण होना चाहिये वह नहीं है।

कुछ खरीफ और रबी अभियान के बारे में कहा गया, लेकिन वास्तव में हमारे यहां कृषि में कौन-सा दोष है, इस ओर अभी भी सरकार विचार नहीं करती है। अगर बहुत विचार करती है तो दूसरे देशों में क्या पद्धति है, जिसको वह सरकारी नाम देते हैं, उसका जिक्र किया जाता है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यह सरकारी खेती का हल गलत हल है। इसका जिक्र मैं बाद को करूंगा लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि जनसंघ इसके बिलकुल विरुद्ध है। वास्तव में कृषि में गडबड़ी यहां होती कि सरकार कृषिकों की ओर दुर्लक्ष्य करती है। कहीं भी वह बेंचें लेकिन यह असम्भव है कि उसको उसकी उपज की एकोनोमिक प्राइस मिल सके। हमारे प्रान्त के किसान की स्थिति बड़ी मार्जिनल स्थिति है। वह अपने अन्न को रोक कर नहीं रख सकता। उसको मजबूर होकर बेचना ही पड़ता है। भावों का जो आधार होता है वह कभी भी फाइनिशियल प्रोडक्स के आधार पर नहीं होता है वह तो उसकी बेवसी के आधार पर ही होता है। और जब तक इस तरह से भाव मुकर्रर होते रहेंगे तब तक सदैव ही उसको हानि होती रहेगी। यही कारण कि इस प्रान्त की रूलर इनकम बर बर घटती जा रही है। श्रीमन्, अगर देखा जाय तो यह बात उन आंकड़ों से स्पष्ट रूप से विदित हो जाती है जो कि हमको इस सरकार की ओर से प्राप्त हुए हैं। रूरल आमदनी पर केपिटा इस प्रकार है--

५५-५६	में	१८९.३
५६-५७	में	१९५.४
५७-५८	में	१८३.६

अब क्या कारण है कि यह आमदनी बराबर घटती जा रहीं है? उसका मुख्य कारण यह है कि जो आप का उत्पादक है उसको वास्तव में एकोनोमिक प्राइस नहीं मिल रही है और उसके न मिलने से उसको कोई इंसेन्टिव नहीं मिल रहा है। इसीलिये कृषि की दुरावस्था हो रही है। इतना ही नहीं कृषि और ग्रामों पर दुर्लक्ष्य रखने से आज देश और प्रदेश में अरबनाइजेशन हो रहा है। गांव उजड़ रहे हैं और शहर आबाद हो रहे हैं। शहरों की आबादी बढ़ने के कारण बेकारी बढ़ रही है।

इसके अतिरिक्त एक आश्चर्यजनक बात और भी हमारे सामने आती है कि जहां रूलर इनकम में कमी हो रही है वहां अरबन इनकम बढ़ रही है। इससे यह स्पष्ट हो जायगा—

सन्	रुलर इनकम	अरबन इनकम
१९५५–५६	१८९.३	६७७
१९५६–५७	१९५.४	६०४
१९५७–५८	१८३.६	६१४

इससे स्पष्ट हो जाता है कि सन् १९५७–५८ में रूरल इनकम गिरी है जबकि अरबन इनकम में १४ की वृद्धि हुई। क्या यह कोई सरकार विश्वास कर सकती हैं या कोई भी आदमी विश्वास कर सकता है कि किसी समाज का एक अंग दीन-हीन और दरिद्र होता जाय और दूसरा अंग उसके ऊपर हावी होता जाय? आज हमारे समाज की यही दशा दिखाई देती है। श्रीमन्, अब्राहम लिंकन की एक प्रसिद्ध बात की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है "नो सोसाइटी कैन एक्जिस्ट पार्टली ऐज फ्री ऐंड पार्टली ऐज स्लैव"। आज श्रीमन्, देहात की आमदनी गिरने का अर्थ यह है कि शहरों की आमदनी बढ़ती जा रही है। देहात के लोग आज शहर के लोगों के मातहत दिखलाई पड़ते हैं। इससे यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि "पुरुषो अर्थस्य दासः"। आज हालत यह है कि देहात का जीवन स्तर नीचे को गिर रहा है और नगरों की खुशहाली बढ़ रही है। लेकिन क्या सरकार ने कभी इस पर भी विचार किया है कि ६ करोड़ की आबादी जो राज्य की है उसकी ८० प्रतिशत आबादी, उसकी बहुत बड़ी संख्या देहातों में है? केवल २० प्रतिशत आबादी मुश्किल से शहरों में है जो आज ८० प्रतिशत की बरबादी के आधार पर अपने भाग्य का निर्माण कर रही है। लेकिन इस तरह से उनका भी भाग्य निर्माण नहीं होगा। यह तो मानी हुई बात है कि यदि देहात के लोग बरबाद होंगे तो शहर के लोग भी नीचे की ओर जायेंगे। माननीय राजनारायणसिंह ने सरकार के उपर आरोप लगाया कि सरकार शहर वालों को खुश करना चाहती है और इसलिये उसने इंडस्ट्रियल परपजेज के नाम पर बिजली ड्यूटी को माफ कर दिया है। मैं इस सिद्धांत को समझ सकता हूं कि इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये सरकार मदद दे लेकिन कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रियल सोसायटी जहां हो, वहां पर इस ड्युटी को माफ करने से सर्वसाधारण जनता का कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। उनके पास तो पर्याप्त धन है और सरकार उनको अत्यधिक धन दे रही है जो कि आजकल शहरों में रहते हैं।

श्रीमन्, आवश्यकता इस बात की है कि सरकार एक प्राईसिंग पालिसी बनावे और वह पालिसी इस दृष्टि से होनी चाहिये कि उसका एक पैरिटी इनडेक्स होना चाहिये। आज श्रीमन्, अगर आप देखें तो होता क्या है, ८० प्रतिशत लोग जो अपने पुरुषार्थ से कोई चीज उत्पन्न करते हैं, कोई अन्न उत्पन्न करते हैं और उसे बेचते हैं तो उनका पैसे से कोई अर्थ नहीं होता जितना कि कन्जूमर गुड्स से होता है। किसान को अपनी चीजें तो होलसेल रेट में देनी पड़ती हैं लेकिन जब वह जीवन की आवश्यक चीजों को खरीदने जाता है तो उसे रिटेल में लेनी पड़ती है। यह तो एक मूलभूत अन्तर है और उस अन्तर को रोकने की दृष्टि से प्राईसिंग पैरिटी होनी चाहिए जो कि आप के इस राज्य में नहीं है। और यह अन्तर कितना है उस को श्रीमन्, अगर आप देखें तो मालूम होगा कि होल सेल प्राईसिंग इन्डेक्स ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सन् १९५४ में ८०.७५ रहा जब कि रिटेल प्राईसिंग इन्डेक्स आफ नान ऐग्रीकल्चरल गुड्स ९५.८ था। सन् १९५५ में होल सेल प्राईसिंग इन्डेक्स जहां ६४.८ रहा वहां रिटेल प्राईसिंग इन्डेक्स आफ नान ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ९१.६ था। इससे साफ मालूम होता है कि जिस वक्त किसान ने अपना अन्न बेचा उस समय तो अन्न का दाम गिर गया और जिस वक्त उस को अपनी जरूरत के लिए उसे खरीदनी पड़ी तो उसका दाम रिटेल के हिसाब से उसे काफी अधिक देना पड़ा। अब मैं इसको क्या कहूं, यह उसे पनिशमेंट दिया गया या अधिक अन्न उत्पन्न करने के लिए उसे रिवार्ड दिया गया।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

यह सोचने की बात है कि कहां ९१.६ और कहां ६४.८ यानी २७ परसेंट का अन्तर हो गया। इतना ही नहीं और आगे देखिये। सन् १९५६ में जब अन्न कम हुआ तब ऐग्रीकल्चरल प्राइस इन्डेक्स ८२.८ था तो नान-ऐग्रीकलचरल कन्ज्यूमर गुड्स प्राइस इन्डेक्स ९८.८ था। सन् १९५७ में ऐग्रीकलचरल प्राइस इन्डेक्स ९१.१ था तो रिटेल प्राइस कन्ज्यूमर गुड्स की १०३.३ थी। सन् १९५८ में ऐग्रीकलचरल प्राइस इन्डेक्स ८९.३ था और रिटेल प्राइस १०२.९ थी।

दुनिया के किसी देश में इस प्रकार की चीज देखने को नहीं मिलेगी कि किसान की उत्पादित चीजों के दामों में तथा जीवन की अन्य आवश्यक चीजों के दामों में अनाप शनाप डयोढ़े व सवाये का फर्क हो। लिहाजा प्राईसिंग पालिसी होनी चाहिए थी और उसका आधार होता प्राइस सपोर्ट। कैनाडा, अमेरिका, या जितने बड़े-बड़े देश हैं जो खेती की रक्षा करना चाहते हैं उन सारे देशों में स्पष्ट यह पालिसी चल रही है कि ऐग्रीकलचरल प्राइस इन्डेक्स और कन्ज्यूमर गुड्स प्राइस इन्डेक्स में पैरिटी होनी चाहिए। पैरिटी का अर्थ यह नहीं है कि १०० पर १०० ही हो। अगर १०० मान लिया जाय तो १०० के अत्यधिक निकट ९८, ९५, ८७ इत्यादि होना चाहिए यह नहीं कि ऐग्रीकलचरल प्राइस इन्डेक्स तो ८०.७५, ६४.८, ८२.८, ९१.१ और ८९.३ हो और रिटेल कन्ज्यूमर गुड्स इन्डेक्स १०३ हो। तो श्रीमन्, इस प्रकार आप अपने किसान को बरबाद करके इस प्रान्त की खाद्य समस्या को हल नहीं कर सकते। आवश्यकता है प्राईसिंग पालिसी की। प्राईसिंग पालिसी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जैसे एक दिन सुबह किसी सेक्रेटरी महोदय को बड़ी भारी बुद्धि जाग्रत हुई, किसी ब्यूरोक्रेट ने सपना देखा और उसने आदेश जारी कर दिये कि ९, १० रुपये मन गेहूं, धान खरीदेंगे। इस में यह सोचना चाहिए कि जो मिनिमम प्राईसिंग पालिसी होनी चाहिए वह किसान के लिए एकानामिक है या नहीं। एकानामिक होने का यह अर्थ होगा कि अपने खेत में परिश्रम, खाद, सिंचाई, बीज और डेप्रिसियेशन चार्जेज देने के बाद जो उचित मुनाफा हो उस के लिए उस सब के आधार पर आप को प्राइस फिक्सेशन करना चाहिए।

श्रीमन्, मैं जरा मोटे से आंकड़े दूं। कहा जाता है कि ज्यादा खाद डालो तो फिर खेत में ज्यादा पैदा होगा, ज्यादा सिंचाई करो ज्यादा पैदा होगा। माना, लेकिन क्या खाद मुफ्त मिलेगी और सिंचाई मुफ्त मिलेगी? मैं स्पष्ट कहता हूं कि सिंचाई का रेट इतना ज्यादा है कि देश व प्रान्त के किसानों के लिए वह अनएकानामिक हैं। यह भी ठीक है कि अच्छी खाद देने से ज्यादा उत्पन्न होगा और आप कहेंगे कि हम तकावी पर देते हैं लेकिन तकावी पर देने का अर्थ हुआ आप उसे कर्जमन्द बना रहे हैं। अगर कर्जमन्द होता है तो प्राइस अनएकानामिक हो जाती है। उसको उत्पादन से जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो फिर क्या इंसेंटिव उस को रहता है कि वह ज्यादा पैदा करे?

१९५५ में कहा गया कि हम सेल्फ सफिशियेंट हो गये लेकिन किसान का जो उत्पादन था उस के भाव एक दम गिर गये और भाव एक दम गिरने का परिणाम स्पष्ट यह हुआ कि आज किसानों के अन्दर यह इच्छा नहीं रह गयी है कि वे अधिक अन्न उपजायें। जब अधिक अन्न उपजाने की बात कही जाती है तो आपका ध्यान एक्सटेंसिव कल्टिवेशन की तरफ जाता है।

(इस समय १ बजकर ९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना पीठासीन हुए।)

लेकिन क्या एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के लिए हमारे पास अधिक भूमि है? आप कहेंगे नहीं है। आप की भलाई इसी में होगी कि आप इन्टेंसिव फार्मिंग की ओर ध्यान दें और इन्टेंसिव फार्मिंग के साथ-साथ प्रापर प्राईसिंग हो अन्न उत्पन्न हो उसके लिए हो। श्रीमन्, इस पालिसी के आधार पर जिन देशों में काम हुआ है वे सफल हुये हैं। जापान का उदाहरण लीजिये, एवरेज होल्डिंग हिन्दुस्तान से कम है, इन्डोनेशिया, जावा सुमात्रा को लीजिये वहां भी एवरेज होल्डिंग हिन्दुस्तान से कम है,

लेकिन उनके यहां चावल का उत्पादन या जो वह गल्ला उत्पादन करते हैं आपसे ४ से ८ गुना तक है और उनका किसान खुशहाल है । मैं अपनी बात नहीं कहता, जापान के विषय में भारत सरकार का एक डेलीगेशन चीन और जापान गया था ऐग्रेरियन कोआपरेटिव्ज को देखने के लिये । उसमें अनुभव लेने के लिये, मैं उसी की रिपोर्ट के वाक्य पढ़ देना चाहता हूं ।

"The average size of holding in Japan is even smaller than in China and certainly much smaller than in many parts of India. And yet, the Japanese have been able to achieve a remarkable increase in the yield per acre during the last two decades. To-day, Japan has the highest average yield of rice per acre in Asia."

"The Japanese experience clearly shows that a combination of family farming and service co-operatives with liberal aid from the welfare state would be the correct policy to follow for increasing production per acre in over-populated countries."

आपका देश ओवर पापुलेटेड है । आज सब मानते हैं और हमारे यहां लाभ इस बात का है कि जापान से हमारे पास भूमि ज्यादा है उन होल्डिंग्स का हम उपयोग करें । तो किस तरह से करें इसके ऊपर भी विचार नहीं करती सरकार । इनके डेलीगेशन की रिपोर्ट आती है और उस पर कोई अमल नहीं होता । कुछ दिन के बाद उसकी वीडिंग हो जाती है । उस अनुभव से क्यों नहीं सीखते हैं जिसका कि श्रीमन्, आज एशिया में सबसे ज्यादा उत्पादन है । तो उनका सीधा रास्ता है इंटेंसिव कल्टीवेशन कपल्ड विद प्राइस सपोर्ट । क्यों नहीं यहां वही हम भी करते हैं ? यहां कहा जाता है सहकारी खेती करेंगे । यह है क्या बला ? सहकारी खेती के माने क्या हैं ? इसके दोनों आस्पेक्टस्, पोलिटिकल और इकोनोमिक पर विचार करना पड़ेगा । जहां तक पोलिटिकल आस्पेक्ट है मैं इसको पहले लेता हूं । आज तक जहां सहकारी खेती के नाम का प्रयोग हुआ वहां वह प्रयोग अन्तिम नहीं हुआ है उसका अल्टीमेट गोल उनकी पोलिटिकल फिलासफी पर आधारित रहा है । जैसे रशिया की न्यू इकोनोमिक पालिसी लेनिन ने आरम्भ की थी यह स्पष्ट नहीं कहा था उसने कि हम कलेक्टिव फार्मिग करने जा रहे हैं । पहले कोआपरेटिव का हल्ला मचाया । पहले किसान के लिये लैंड टु दि टिलर का हल्ला हुआ । उसके बाद कोआपरेटिव का हल्ला मचाया । और जब स्टालिन का युग आया तो कलेक्टिव फार्मिग हुई और जब इसका विरोध किया गया तो लोगों को पोलिटिकल प्रिजनर बनाकर कनसेन्ट्रेशन कैम्प्स में फेंका गया । ख्रुश्चेव ने अपने डीस्टेलिनाइजेशन भाषण में कहा था कि ५०,००,००० प्रिजनर्स कनसेन्ट्रेशन कैम्प्स में थे । क्या यह सरकार भी वही दोहराना चाहती है ? और श्रीमन्, अगर यह कहा जाय कि कोआपरेटिव या कलेक्टिव फार्मिग में उत्पादन बढ़ता है तो मैं एक आंकड़ा और सरकार को दूं । यह लिंक नाम की जो मैगजीन है, कोई नहीं कह सकता कि यह प्रतिक्रियावादी है, इसमें जो रशिया के प्रोडक्शन के आंकड़े दिये हैं वह भी देखने योग्य हैं । सन् १९२८ में एरिया अन्डर ग्रेन क्राप्स इन मिलियन हैक्टर्स रूस में ९२.२ । १९३७ में १०४.५ १९४० में ११०.५, १९५० में १०२.९, और १९५५ में १२६.४ । रूस के पास एवरेज स्वायल बहुत थी । लेकिन भूमि बढ़ने के साथ क्या टोटल प्रोडक्शन बढ़ा । टोटल प्रोडक्शन आफ ग्रेन इन मिलियन मैट्रिक टन्स सन् १९२८ में ७३.३, १९३७ में ९६.०, १९४० में ९६.०, १९५० में ८५.० और १९५५ में १००.० था जब कि टोटल ईल्ड इन मैट्रिक टन्स पर हैक्टर .७९, .९१, .८७, .८२, और .७९ है । अगर इसी को मान्डस् में बदला जाय तो पर एकड़ क्रमशः निकलता है ८.६, १०.१, ९.५, ९.०, और ८.६ । ज्यों-ज्यों एक्सटेन्सिव कल्टीवेशन बढ़ा श्रीमन्, त्यों-त्यों ईल्ड पर एकड़ घटता गया । यह स्पष्ट अनुभव है कलेक्टिव फार्मिग का । जिस चाइना का श्रीमन्, उदाहरण लिया जा रहा है जैसा कोआपरेटिव फार्मिंग का बड़ा हल्ला मचा । उस कोआपरेटिव फार्मिग के अन्दर अन्तिम स्वरूप कम्यून्स हैं और जहां तक मुझे याद है ख्रुश्चेव ने जो इन्टरव्यू दिया हरवर्ट हूवी को उसमें कम्यून को रिएक्शनरी कहा । यह कोआपरेटिव फार्मिग का हाल है ।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

आपके देश के अन्दर भी जहां जहां कोआपरेटिव फार्मिंग हुई उसमें श्रीमन् प्लानिंग कमीशन ने इवेलुएशन आर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट छापी है १९५६ में । मैं कहां तक कहूं, इसका अन्तिम परिणाम श्रीमन्, आप देखेंगे कि कोआपरेटिव फार्मिंग में ईल्ड पर एकड़ घटी और कहीं-कहीं तो उसका बहुत भीषण स्वरूप आया है । मैसूर स्टेट में एक सोसायटी है ज्वाइंट फार्मिंग ऐन्ड मल्टी परपज कोआपरेटिके सोसाइटी, कारी-कैरी । उसके ऊपर कन्क्लूजन में यह लिखा है रिपोर्ट में —

"Neither has the yield per acre increased rather there has been a fall in the average yield of the major food crops like paddy, jawar, etc. and the value of the total production of the farm has indicated gradual decrease during these years."

यह कोई मेरे घर की बात नहीं है, यह प्लानिंग कमीशन की इवैलुएशन कमेटी की रिपोर्ट है । हैदराबाद में श्रीमन्, बहुत बड़ी कोआपरेटिव सोसाइटी है । वहां श्रीमन्, जितने परिवार कोआपरेटिव फार्मिंग में हैं वह कोई भी फार्मिंग नहीं करते, बल्कि नौकर रखते हैं और नौकर को मिलता क्या है ? जिसको एग्रीकल्चरल लेबर कहते हैं । उन्हें डेढ़ मन पैडी हर सीजन में मिलता है । उस कोआपरेटिव फार्मिंग की बात पुष्ट करने के लिये कोई कहे कि मैं एक सीजन में डेढ़ मन पैडी लेकर अपनी स्त्री और बच्चों का जीवन चला सकता हूं तो वह दुनिया का आठवां आश्चर्य नहीं बल्कि नवीन आश्चर्यजनक चीज होगी । कोआपरेटिव फार्मिंग में आज दि रिलेशन-शिप आफ मास्टर ऐन्ड फार्म सर्वेन्ट इज दस कैरीड टु दि फील्ड आफ कोआपरेशन— The relationship of master and farm servant is thus carried to the field of co-operation· इस तरह से मास्टर और सर्वेन्ट हो गये । इस देश की सबसे बड़ी कोआपरेटिव सोसाइटी का यह स्पष्ट अनुभव है । इतना ही नहीं श्रीमन्, आप के सूबे की जो कोआपरेटिव फार्मिंग है उसके विषय में भी लिखा हुआ है कि "The Co-operative Farming Society, Darauna of Uttar Pradesh." वहां भी रिमार्क में लिखा हुआ है कि "The yield per acre on the farm is about the same as on individual farmers' lands in the area." जब किसी प्रकार की कोई सहायता सरकार की ओर से नहीं थी, कोई एकानामिक सहारा नहीं था, केवल अपने ही साधनों पर अपने ही परिश्रम पर किसान की खेती थी तब भी भूमि से उतनी ही उपज थी जितनी कि सब प्रकार की फैसिलिटीज से परिपूर्ण कोआपरेटिव फार्मिंग पर आधारित भूमि की, वहां से भी उतना ही गल्ला मिला तो नतीजा सामने आ गया । इतने बड़े एक्सपेरीमेंट की क्या जरूरत है ? यह परिणाम इसी पुस्तिका से निकलता है कि हमारे यहां अभी तक कोआपरेटिव सोसाइटीज बिलकुल असफल रही हैं ।

इसके अलावा एक ह्यूमन कल्चर का भी प्रश्न है । जब तक मनुष्य के अन्दर उसके स्वार्थ, अपनत्व और ममत्व का भाव है तब तक उस की बराबर इच्छा होगी कि मैं अपना कुछ निर्माण करूं । इस इच्छा की पूर्ति में Co-operative farming can only succeed in land where men are either "Angel or Idiots." ऐसी ह्यूमैन साइकालाजी है कि उस को प्रोत्साहन उसी समय मिलता है जब वह समझता है किसी चीज का फल मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलेगा । यह चीज कोआपरेटिव फार्मिंग के इस पुस्तिका में दिये गये परिणामों से व्यक्त है । किसान जमीन को छोड़कर भाग जाते हैं कि यह तो जमीन को हथियाने की बात है और सरकार अपनी सम्पत्ति बनाना चाहती है । चीन की इस तरह की रिपोर्ट है, लोगों पर तरह-तरह के आरोप होते हैं कि यह डेस्ट्राइंग प्यूपिल्स प्रापर्टी है, और इस तरह के आरोपों पर वहां ट्रायल और सजायें हुईं । लेकिन यह तो मनुष्य का स्वभाव है, यह मनुष्य का एक अपना करने का, ममत्व का, बन्धन है, बन्धन है, जिस जमीन के साथ उस का बन्धन है लगाव है उससे अपना स्वाभाविक लगाव, ममत्व रखने के लिये उसे दंडित किया जाता है । जब आप इस तरह को कोआपरेटिव फार्मिंग को चलायेंगे तो आप को उस के

लिये एक दूसरी तरह का पर्सनल चाहिये जो उसका सुपरविजन रख सके, वह कृषि के अनुभवों से परिपुर्ण व्यक्ति चाहिये, रा-ग्रेजुएट्स तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, वह तो ऐसे आदमी होना चाहिये कि जो मेकेनाइज्ड तरीके से काम कर सके। आप को तमाम तरह की मशीन्स चाहियें जो विदेशों से यहां आती हैं क्योंकि उन के अभाव में फार्म्स का कार्य समुचित रूप से नहीं चल सकता। ट्रेन्ड पर्सनल चाहिये, यदि लड़ाई आ गई तो जो ट्रैक्टर्स मशीन्स विदेशों से आती हैं उनका क्या होगा ? और अगर लागू करने पर भी उपज न बढ़ी तो क्या होगा और अगर वह घट ही गई तब क्या होगा ? इसके माने यह हैं कि इस कोआपरेटिव फार्मिग का अर्थ है मेकेनाइज्ड फार्मिग और जब आप के पास वे मशीनें अभी नहीं हैं तो आप को परआश्रित होना पड़ेगा, कभी स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिल सके तो काम रुक जायगा।

एक सदस्य—हाथी प्रयोग कर लेंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—ठीक है हाथी प्रयोग हो जायेंगे, वह महावत बन जायंगे। जिस समय यह डेपुटेशन चीन गया तो वहां के प्राइम मिनिस्टर चाउ-इन-लाई से बात हुई इस विषय में तो उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनने योग्य है,

"As for the possibility of mechanization, that would take a long time, and at the present moment, increase in production would be almost wholly by intensive cultivation. There was evidence that in China on account of the cheapness of labour, mechanization increased costs of production. And, they had to import fuel, spare parts, etc. which added to the cost. In the West mechanization of Agriculture developed because of the shortage of labour. In China such a situation was unlikely to happen. At this stage it was pointed out that while mechanization helped to increase production per man engaged in agriculture, it did not necessarily help to increase production per acre and therefore, under conditions of heavy population pressure as in China, mechanization could be of doubtful value."

यह भी चीन के प्रधान मंत्री स्वयं जानते थे, इस प्रकार की कोआपरेटिव फार्मिंग का अनुभव था। आज आपके गल्ले के दाम बढ़े हुए हैं। आपने मेकेनाइज्ड फार्मिग की, गल्ला और महंगा हो गया। लोगों की क्रय शक्ति घट रही है। तो उस समय काश्तकारों को भूखा मारने वाला, ब्लेकमार्केटियर कौन होगा ? जिसने गल्ले के दाम बढ़ाये वह कौन होगा ? श्रीमन्, आप ही के सूबे में जहां मेकेनाइज्ड फार्म का प्रयोग हुआ, उनको ही आप देखिये, "Farming of State Mechanized farm in Uttar Pradesh"। इसका जिक्र एस्टीमेट्स कमेटी में बहुत बार आया। टोटल एरिया जो उनके पास कल्टीवेशन का था वह है ३५,९९७.८४ एकड़। टोटल इंवेस्टमेंट मई, १९५६ तक २.१८ करोड़। इंवेस्टमेंट पर एकड़ है ६०५.५४। अब श्रीमन्, अन्त में सारी मशीन चलाकर जो टोटल लास हुआ वह है २३,२७,२८२ रुपया। अब एवरेज लास पर ईयर आप देखें कि वह होता है ४,६५,४५६ रुपया। यह इनके मेकेनाइज्ड फार्म का परफारमेंस है गल्ला कम पैदा हुआ, घाटा हुआ। कौन किसान इतना घाटा बरदाश्त कर सकता है, कौन कोआपरेटिव बरदाश्त कर सकती है ? उत्तर प्रदेश के रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा हैं, छोटे-छोटे किसानों के तो इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे। इतना ही नहीं, यू० पी० में जो कोआपरेटिव फार्म हैं उनका एवरेज प्राफिट १९५४ से १९५७ तक का लिया जाय तो एवरेज प्राफिट पर एकड़ पर ईयर है १.२ रुपया। यू० पी० में एवरेज साइज होल्डिग का है ५.३ एकड़। इस प्रकार एक किसान जो इनकम एक्सपेक्ट कर सकता है पर ईयर, वह है ६.३६ रुपया। ऐसी हालत में कोई बुद्धिमान कोआपरेटिव फार्मिग की बात करे तो वह आश्चर्यजनक घटना है। तो इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से देखा जाय तो यह असफल हुआ है। इससे हमारी खाद्य समस्या हल नहीं होगी। हल होगी इंटेंसिव कल्टीवेशन से और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। हमारा जो ओवर पापुलेटेड देश है इसमें मैन पावर ज्यादा है, यह हमारा असेट है। इस मैन पावर का प्रयोग करने के लिये सरकार ने अपनी किसी भी प्लानिंग योजना में कहीं नहीं रखी। कैदियों को तो सुनता हूं कि

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

इस बांध पर रखा, उस पर रखा और उनको रेमिशन मिला, लेकिन हमारी जो मेन पावर है आपने इसका प्रयोग डेवलपमेंट में कहीं नहीं किया । यह टोटल वेस्ट है ।

आज इसी दृष्टि से श्रीमन्, इंटेंसिव फार्मिंग की आवश्यकता है । इंडिविजुअल फार्म होल्डिंग जो होती है उसको सपोर्ट करने के लिये. . . . . .

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--मैं व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं । इस सदन की भाषा हिन्दी है और माननीय सदस्य अंग्रेजी में बोल रहे हैं । मैं समझता हूं आप व्यवस्था देंगे हिन्दी में बोलने की ।

श्री अधिष्ठाता--वह अनुवाद करते जा रहे हैं साथ--साथ । (राजा यादवेन्द्रदत्त दबे से) आप अपना भाषण जारी रखें ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ कह सकता हूं ? मैंने अंग्रेजी के कोटेशन. . . . . .

श्री अधिष्ठाता--मैंने उनसे कह दिया कि आप अनुवाद करते जाते हैं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी फी एकड़ पैदावार बढ़नी चाहिये गल्ले की । वह आज नहीं हो रही है । आज जो हमारी जनसंख्या है, वह निरर्थक हो रही है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है उसका उपयोग करने के लिये मैंने कहा कि सघन खेती करना आवश्यक है और इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा । जब गल्ला अधिक उत्पन्न होगा तो हमारी खाद्य समस्या भी ठीक होगी । खाली प्रचार से कुछ नहीं होगा । श्रीमन्, अगर देश में कोआपरेटिव फार्मिंग की गई तो देश में बेकारी बढ़ेगी । कोआपरेटिव फार्मिंग के माने हैं मिकेनाइज्ड फार्मिंग । यदि २०० आदमी खेती करते हैं और उनकी खेती एक साथ हुई तो मशीनें अर्थात कल और यंत्र आयेंगे और २०/२५ आदमियों द्वारा उनको चलाने के बाद बाकी १५० आदमियों का क्या होगा ? वह कहां जायेंगे ? यानी इसके माने स्पष्ट हैं कि वह बेकार हो जायेंगे जिससे देश में बेकारी और भी उग्रतम रूप धारण कर लेगी । इनको आप मशीनों के आधार पर बेकार कर देंगे तो इनका क्या होगा ? इसके लिये आपने नहीं सोचा है । इसलिये जैसा कि मैंने पहले कहा सामूहिक खेती कम होनी चाहिये । इसके साथ ही साथ किसानों को सर्विस कोआपरेटिव्ज का लाभ जरूर मिलना चाहिये । जो उनका माल सरप्लस हो उसको बेचने की दृष्टि से तथा खेती के पदार्थ उपलब्ध कराने के लिये सर्विस कोआपरेटिव्ज का होना बहुत ही जरूरी है ।

श्रीमन्, यदि राजनीतिक पहलू को देखा जाय तो वह भी बड़ा भीषण है. . . . . .

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--श्रीमन्, मैं एक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । जहां तक कोआपरेटिव फार्मिंग का विषय है, मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में उल्लेख नहीं किया है और न इसका कोई प्राविजन ही है इसलिये इसका जिक्र नहीं हो सकता है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने मित्र को याद दिला दूं कि मंत्री जी ने जो नागपुर के प्रस्ताव का उल्लेख किया है वह अगर कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं है तो वह अपनी बुद्धि से बतला दें कि वह क्या है ?

श्री अधिष्ठाता--आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)--श्रीमन्, मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य चेयर की ओर पीठ करके व्यवस्था का प्रश्न बार बार उठाते हैं । मैं चाहता हूं कि वह इस तरह से चेयर की ओर पीठ न करें ।

श्री अधिष्ठाता---माइक उनके पीछे है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---श्रीमन्, मेरा नम्र निवेदन यह है कि जो इस तरह से समय बरबाद हुआ है उसका ध्यान रखा जाय ।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि अधिकतम जोत की सीलिंग निर्धारित होनी चाहिये । जनसंघ स्पष्ट कहता है कि देश के अन्दर जो भीषण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है वह इसलिये है कि कुछ लोगों के पास बहुत अधिक भूमि है और बाकी लोगों के पास भूमि बिलकुल नहीं है यानी बहुत से लोग भूमिहीन हैं । इसलिये हम चाहते हैं अधिकतम जोतों की सीलिंग निर्धारित होने के बाद भूमि का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना आवश्यक है । जिस समय भूमि का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और देश में इंटेंसिव कल्टीवेशन व्यक्तिशः आधार पर होगी और कोआपरेटिव सर्विसेज का लाभ किसानों को मिलेगा तो हमारे देश की खाद्य समस्या हल होगी । जब तक आपकी कृषि की नीति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक देश की समस्या हल होने वाली नहीं है । आपकी कृषि नीति में परिवर्तन आर्थिक दृष्टिकोण से होना चाहिये ।

श्रीमन्, आज कलेक्टिव खेती का अर्थ होगा राज्य के पास और शक्ति आये । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति का केन्द्रीयकरण हो । जिन जिन देशों में शक्ति का केन्द्रीकरण हुआ है, वह चाहे दायें हो या बायें हो, वहां पर डिक्टेटरशिप का प्रादुर्भाव निश्चित हुआ है । अगर शक्ति केन्द्रीभूत होगी तो क्या ऐसे लोग उत्पन्न नहीं होंगे जो उसका दुरुपयोग करने के लिये देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जायेंगे ? इसकी कोई गारन्टी नहीं है । देश के अन्दर तानाशाही न खड़ी हो सके इसके लिये शक्ति के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है । चाहे वह राज सत्ता हो या आर्थिक सत्ता हो और चाहे किसी भी प्रकार की हो । राजसत्ता का विकेन्द्रीयकरण होना तो और भी आवश्यक है, लेकिन यहां पर उसके केन्द्रित करने का प्रयास हो रहा है ।

आज जो आपके किसान स्वतंत्र हैं कल को जो कोआपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर होगा, ओवरसियर होगा उसके अधीन वह हो जायगा (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, अगर आप मुझे दस मिनट का समय और दे दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अधिष्ठाता---४५ मिनट हो चुके हैं, आप ५ मिनट और बोल लीजिये ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---बहुत अच्छा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी थी कि दलों के नेता जो बोलेंगे और उनके लिये यदि समय कम होगा तो १५ मिनट का समय और बढ़ाया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता---४५ मिनट बोलने के बाद ५ मिनट और बढ़ाये जा सकते हैं ।

श्री उग्रसेन---यह सदस्यों के लिये हुआ था कि ५ मिनट बढ़ाये जा सकते हैं । नेताओं के लिए १५ मिनट तक बढ़ाये जा सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---मेरे पास कल का कार्यवृत्त है । उसके अन्दर ५ मिनट का फैसला किया है इस सदन ने । वह ५ मिनट और बोल लें ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---प्रदेश में पंचायतें बनीं, लेकिन वास्तव में उनको चलाने वाला सेक्रटरी है, प्रधान और पंच नहीं । एक प्रकार से गवर्नमेंट का इनडाइरेक्ट कंट्रोल है । इस प्रकार की व्यवस्था हम नहीं चाहते । अगर अपने देश में गणतन्त्र चलाना है, उपद्रव और क्रान्ति को रोकना है, देश का निर्माण करना है तो पीजेंट प्रोप्राइटर निर्माण करने की आवश्यकता है । उस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया ।

दूसरी ओर कहा जाता है कि जो घाटा हुआ है उस को हमने घटाया है । एक प्रश्न माननीय गेंदासिंह जी ने किया था कि क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

१९५७--५८ में किस विभाग ने स्वीकृत अनुदानों की कितनी रकम व्यय नहीं की। इसके उत्तर में अगर पूरी धनराशि जोड़ी जाय तो २० करोड़ रुपया बिना खर्च किया हुआ बचा है। कहते हैं कि हमारा बजट घाटे का है और यहां २० करोड़ रुपया सरप्लस है। घाटा इस लिये है कि टैक्स बढ़ाया जा सके। कोर्ट फीस और स्टैम्प ड्यूटी बढ़ी लेकिन २० करोड़ की बचत हो गई। वास्तव में बजट सरप्लस था इसलिए किसानों का लगान आधा होना चाहिये था। जिन किसानों के आधार पर राज्य आधारित है उन किसानों का लगान आधा होना चाहिए। लेकिन टैक्स में माफी देते हैं बड़े-बड़े पूंजीपतियों को। छोटे कर्मचारियों को राहत देने का हल्ला करते हैं। कितना दिया? ढाई और पांच रुपये। इस महंगाई में यह क्या है? उनका वेतन लिविंग इंडेक्स के अनुसार बढ़ना चाहिये। उनकी यह मांग थी कि एक पे कमीशन बिठाया जाय। यह आवश्यक है जब कि महंगाई इतनी बढ़ गई है।

इतना ही नहीं, वह कहते हैं कि हमारा बजट बड़ा पुष्टकर है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है मगर कर्जा बढ़ता जा रहा है। पिछले सात वर्षों में राज्य पर जो कर्जा बढ़ा है वह करीब सवा अरब के है। जिस राज्य पर कर्जा बढ़े उसके लिये हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है? अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो कर्जा घटना चाहिए।

मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान दो बातों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। एक तो यह कि इस सदन के एक माननीय सदस्य के ऊपर एक फौजदारी का केस चला उसमें जो फैसला हुआ उसका एक वाक्य मैं आपकी आज्ञा से पढ़कर सुना देना चाहता हूं ---

"Taking all these circumstances into consideration I am satisfied that the prosecution case is false and a got-up one."

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया अनुवाद कर दें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---सारी परिस्थिति को देखते हुये जज महोदय इसको स्वीकार करते हैं कि पुलिस की ओर से जो मुकदमा चलाया गया वह झूठा और जबरदस्ती बना कर रखा गया। इस प्रकार इस राज्य के अन्दर पुलिस का स्वच्छन्द और निरंकुश शासन है। जब इस सदन के माननीय सदस्यों की यह दशा है तो साधारण जनता की क्या दशा होगी इससे अनुमान लगाया जा सकता है।

माननीय शिक्षा मंत्री ने १९५७-५८ में जब शिक्षा का बजट रखा तो घोषणा की थी कि प्रत्येक बच्चे की दर्जा ६ तक की फीस माफ कर दी गयी है जिसमें ३५ लाख रुपये का खर्चा होगा। गत वर्ष हमारी तजवीज थी कि दर्जा ७ और ८ की फीस भी माफ कर देने का सरकार का विचार है। २ साल हो गये। वह विचार कहां लुप्त हो गया। कहा जाता है कि धन का अभाव है। २० करोड़ रुपया बचा हुआ रखा रहता है लेकिन उसको न खर्च करके धनाभाव का बहाना किया जाता है। यह चंचल विचार हैं और अस्थिर विचार हैं और इन विचारों से समाज का भला नहीं होने वाला है।

श्रीमन्, अगर इन सब दृष्टियों से बजट को देखा जाय तो यह बजट एक रूटीन टाइप बजट होगा, दूसरे इसका टोटेलिटेरियन स्वरूप समाज में लाने वाला होगा और तीसरे समष्टि के सामने आर्थिक सत्ता का गलत चित्र अंकित करने वाला होगा। यह लोगों के अन्दर भ्रामक अविश्वास खड़ा करके भ्रामक चित्र को हमारे समक्ष उपस्थित करेगा। इसमें गरीबी और खाद्य समस्या के हल करने का किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, यह जो १९५९-६० का बजट सदन के सामने पेश है मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके साथ ही साथ कुछ अपने

सुझाव भी जिनको कि मैं आवश्यक समझता हूं, शासन के हित में और चीजों को बदलने और सुधारने के लिए, उनको भी देना चाहता हूं ।

मान्यवर, अब तक जितने भाषण हुये हैं मैंने उनको सुना । यदि यह सही है कि हमारा इस साल का बजट रूटीन बजट है तो यह भी सही है कि विरोधी पक्ष से जो भाषण हुये वे भी रूटीन भाषण थे । हमारे बजट के रूटीन होने में कुछ हमारी बेबसी भी है और लाचारी भी है । हम सब जानते हैं कि हमने इस बात का निश्चय किया है कि हम पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अपने प्रदेश और देश को समृद्धिशाली बनायेंगे । जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आयेगी उसमें सरकार की मूलनीति क्या होगी, हमारा पांच साल का टारगेट क्या होगा वह केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकारों के सामने पेश किया जायगा । उसके बाद चार सालों का समय उनको पूरा करने में लगेगा । आज जब कि विकास का युग है और हिन्दुस्तान जैसा पिछड़ा देश है और उत्तर प्रदेश भी पिछड़ा हुआ प्रदेश है जिसमें चारों तरफ कमियां ही कमियां हैं, उसमें यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यदि विरोधी दल की तरफ से कोई इस तरह की सूची तैयार करके पेश की जाय कि यह यह कमियां हैं वह भी ठीक ही होगा उनकी दृष्टि से । लेकिन इसके साथ ही साथ अगर पिछले ११ सालों में कांग्रेस सरकारों ने क्या किया इसको भी देखा जाय तो उनकी भी एक लम्बी सूची तैयार की जा सकती है । दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक होंगे । मान्यवर, मेरा अपना ख्याल यह है कि बजट के देखने में जो हमारा दृष्टिकोण है उसमें तबदीली होनी चाहिये । हमको देखना यह है कि हमारा जो सोशल आब्जेक्टिव है, इस गवर्नमेंट ने जो अपना सोशल आब्जेक्टिव बनाकर रखा है उसकी पृष्ठभूमि में जो योजनायें बनायी हैं और उसके अन्तर्गत जो पांच साल के लिये और पांच साल को बांट कर हर साल के लिये जो अपना टारगेट निश्चित किया है वह कहां तक पूरा हुआ और उनके पूरा होने में जो स्पीड थी वह अपनी जगह पर सही थी या नहीं । उसके ऊपर जितना व्यय हुआ और उसके बाद जितना परिणाम निकला वह दोनों सामञ्जस्यपूर्ण हैं या नहीं । मैं समझता हूं कि यह एक तरीका होना चाहिये हमारे बजट को देखने का ।

स्पष्ट है और सब को मालूम है कि कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने इस बात की घोषणा कर दी है कि जो नीति हमारी है कई साल पहले से वह यह है कि हम इस देश के अन्दर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं । मैं इस बात के लिय जरूर बधाई देना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच के शुरू में उसी सोशल आब्जेक्टिव को दुहराया है । उन्होंने नागपुर सेशन के प्रस्तावों का भी जिक्र कर दिया है ।

मान्यवर, कल यह बात भी कही गयी थी कि आपकी समाजवाद की रूपरेखा क्या है । मैं समझता हूं कि समाजवाद की अबतक जितनी भी डफिनीशंस हुई हैं जो भिन्न-भिन्न शब्दों में भिन्न-भिन्न देशों ने दी हैं यदि उन्हीं को समाजवाद की रूपरेखा मान लिया जाय तो बजट स्पीच के अन्दर जो प्रथम पैराग्राफ है उसके अन्दर हमको उस सम्बन्ध में बहुत कुछ मिल जाता है । आज देखना यह है कि समाजवाद की स्थापना कांग्रेस सरकार का एक ध्येय है और हम उस ध्येय को प्लानिंग और नियोजन के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं और यह सब जन-तान्त्रिक ढंग से होना है । यह हमारे लिये एक बुनियादी चीज है जिसको एक दूसरे से मिलाना है और एक दूसरे से सामञ्जस्य पैदा करना है । यही एक सब से बड़ा सवाल है । मैं इस बात को मानता हूं कि हम जनतान्त्रिक बुनियाद पर जिस ढांचे को बनाना चाहते हैं, यानी राजनीतिक ढांचा तो हमारा जनतन्त्र का है ही, लेकिन उसके ऊपर उसी ढंग से सामाजिक और आर्थिक ढांचा जो बनाना चाहते हैं, उसके विचार हमने उन देशों से लिये हैं जो तानाशाही देश हैं । उन विचारों को जनतान्त्रिक ढंग से कैसे पूरा किया जाय यह हमारे लिये एक मूल प्रश्न है । उसकी कामयाबी होने पर दुनियां के अन्दर हम मानव समाज के एक नये इतिहास का श्रीगणेश कर सकेंगे । उसमें हमारी कामयाबी

[श्री नवलकिशोर]

कहां तक होगी इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है । इस तरह का उदाहरण हमें किसी और देश में नहीं मिलता है । हमने उसके लिये ढूंढ़ने की कोशिश की कि हम उन देशों से कुछ लें जहां पर प्रजातन्त्र के ढंग से समाजवाद की स्थापना हुई हो लेकिन अभी हमारे सामने इस तरह का उदाहरण नहीं आया ।

यह एक बुनियादी सवाल हमारे सामने है । हम कह सकते हैं बिना किसी संकोच के कि पिछले १०,१२ साल के अन्दर, अगर ईमानदारी के साथ देखा जाये तब आप चाहे किसी भी क्षेत्र को लें चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे सिंचाई का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे कोआपरेटिव का हो, उन सब में प्रगति अवश्य हुई है । लेकिन श्रीमन्, यह भी एक विचार करने की बात है कि यहां जितनी प्रगति हमने की है, अस्पतालों के बढ़ाने में, कोआपरेटिव के बढ़ाने में, शिक्षा संस्थाओं को बढ़ाने में और इसके साथ जो भी चीजें हुई हैं, यह सब ऐसी चीजें हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था में भी हमको मिलती हैं । इस समाजवादी व्यवस्था में, मैं यह महसूस करता हूं कि आधार भूत जो भिन्नता है वह हमारे अपरोच के अन्दर है । जीवन के मूल भूत सिद्धान्त क्या हैं ? हमारा रहन-सहन का तरीका क्या है कैसे उसको प्राप्त करना है, ये सब हैं हमारी आर्थिक व्यवस्था, जीवन के रहन-सहन का स्तर तथा शिक्षा इस बात को बता सकती है कि हमारा ढांचा समाजवादी है या नहीं है । यह सही है कि जब इन सब चीजों को तथा अपरोच को ध्यान में रखते हुये हम इस बजट को देखते हैं तब उसकी झलक स्पष्ट नहीं दिखायी देती है । और जो अभी तक काम हुये हैं उनको देखते हैं तो जहां हमको इस बात का गर्व है कि हमने जो टारगेट फिक्स किया था वह हमने प्राप्त किया, वहां हम यह भी महसूस करते हैं कि जो हमारा समाजवाद का अपरोच है उसके चारों तरफ कमी दिखाई पड़ती है । मैं आपसे उदाहरण के लिये यह अर्ज करूं कि अस्पताल पूंजीवादी व्यवस्था में भी होते हैं किन्तु सवाल यह है कि उस डाक्टर का अपरोच क्या है । वह मरीज के प्रति सेवा भाव रखता है या एक व्यक्तिगत लाभ की भावना से काम करता है । यही पूंजीवाद और समाजवाद में एक मूल भूत अन्तर है । आज जो व्यक्तिगत सम्पत्ति की धारणा है उसमें हमको परिवर्तन लाना है और उसके लिये कहां तक कोशिश की गयी है, यह हमको देखना है । उसमें परिवर्तन हुये बिना इसमें ज्यादा कामयाबी नहीं हो सकती है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि समाजवाद की स्थापना के लिये यह बड़ा आवश्यक है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये । एक प्रोफेसर बड़ी आसानी से समझा सकता है कि सोशलिज्म क्या है मार्क्सिज्म क्या है और कम्युनिज्म क्या है मगर जिन विचारों में उसकी अपनी आस्था नहीं है वह उन विचारों को कहां तक सफलता-पूर्वक दे सकता है, यह एक सवाल है । वह केवल व्यक्तिगत रुचि से नहीं दिया जा सकता है । मान्यवर विरोधी दल के नेता ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने कुछ उन चीजों का जिक्र किया जो कि पिछले साल से सम्बन्धित थी । उन्होंने जिक्र किया अन्तरिम जिला परिषद् का, उन्होंने जिक्र किया खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों का । श्रीमन्, मैं सब बातों का जवाब नहीं दूंगा, वह तो मंत्री जी देंगे सरकार की तरफ से, मैं तो केवल एक या दो बात कहना चाहता हूं । इसमें कोई शक नहीं और मैं तसलीम करता हूं कि हमारे प्रदेश में खाद्यान्नों की कीमतें बहुत बढ़ीं और जो आज की जनरेशन है उसकी याद जहांतक जा सकती है, शायद कीमतें कभी इतनी ऊंची नहीं गयीं, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं । मुझको इस बात को मानने में संकोच नहीं है कि बावजूद हमारी कोशिशों के हम अन्न की कीमतों को जितना नीचा लाना चाहते थे उतना लाने में कामयाब नहीं हुए । मुझको यह मानने में संकोच नहीं है । यह भी सही है, जैसे कि कुछ कोटेशन्स आये, हमारी पर कैपिटा इनकम घट रही है । यह भी सही है कि ग्रामीण आमदनी में और शहर की आमदनी में अन्तर है ।

यह हमारी बदकिस्मती है कि करोड़ों, अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी हमारे प्रदेश में कुछ ऐसा प्रकृति का प्रकोप हुआ कि जितना अन्न हम पैदा करना चाहते थे उतना

नहीं कर पाये । सही बातें हैं, दुर्भाग्य की बात है । लेकिन एक बात और भी है । नेचर का तो प्रकोप हुआ, लेकिन विरोधी दल ने, जिसका एक महत्वपूर्ण पार्ट, रोल होता है जनतंत्र की स्थापना तथा सरकार चलाने में, उसने क्या पार्ट अदा किया ? आसमान से ओले पड़ते हैं और यहां एडजर्नमेंट मोशन्स आते हैं, वहां बाढ़ और सूखा पड़ता है, हाउस में हमारा क्रिटिसिज्म और कंडमनेशन होता है । नेचर पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं था । अगर उस समय विरोधी दल ने कुछ सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाया होता और खाद्यान्नों को जिस समय होर्डर्स होर्ड किये हुए थे उस समय हम से कंधे से कंधा मिला कर इस बात की कोशिश की होती कि उनसे गल्ले को निकाला जाय तो शायद स्थिति कुछ दूसरी होती, लेकिन वैसा हुआ नहीं । उस समय सत्याग्रह हुए, हंगर मार्चेज हुए । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जहां आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम अलाउद्दीन का चिराग रखें वहां अगर हवा तेज हो और आपका जरासा हाथ लगा देने से वह बुझने से बचता हो तो उसकी कोशिश आपको भी करनी चाहिये । अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं यह कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी की तरक्की न कभी हो सकती है, न ऐसे हुई है और न होने वाली है । फूड की समस्या ऐसी है कि जिसको एक नेशनल प्राब्लम समझ कर उसके लिये एक नेशनल फ्रंट बनाना पड़ेगा, तभी इस में हम कामयाब हो सकते हैं नहीं तो नहीं ।

अंतरिम जिला परिषद् की बात कही गयी । मुझे भी इस बात का अफसोस है । मैं उन लोगों में से हूं जिनको इस बात की टीस है कि चुने हुए डिस्ट्रक्ट बोर्ड्स एबालिश करने पड़े । जिम्मेदारी किसकी है ? विरोधी पक्ष से बार बार मांग होती थी कि डिस्ट्रक्ट बोर्ड्स खत्म किये जायं सिर्फ इसलिये कि जनता के चुने हुए होने पर भी उनमें कांग्रेस का बहुमत था । मैं तो एक कदम और आगे जाता हूं । हमारी अन्तरिम जिला परिषद् की जो रूपरेखा है कि जिलाधीश उसके अध्यक्ष हैं उसे मैं समझता हूं कि हमने ब्यूरोक्रेसी के सामने सरेंडर किया है और मैं चार्ज करना चाहता हूं कि उसमें हमारे विरोधी दल की कम जिम्मेदारी नहीं है । जिस समय बिल आता है, कहा जाता है कि वहां के प्रेसीडेंट डिक्टेटर्स हैं । श्रीमन्, अगर जनता चुन कर कांग्रेस पार्टी को बहुमत में भेज देती है तो कहा जाता है कि आटोक्रेटिक व डेस्पाटिक गवर्नमेंट है, लेकिन अगर उनको चुन कर भेज दें तो समझा जाता है कि जनता का वर्डिक्ट सही हुआ । इस तरह से डेमोक्रेसी चल नहीं सकती किसी भी देश में, इस देश की तो बात ही क्या ? बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिन से मैं इन्कार नहीं करता । हैं और सुधरनी चाहिए ।

इसके अलावा एक बात मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं जो मैंने पहले भी कही थी, आज भी कहता हूं । केवल समाजवाद की घोषणा से समाजवाद आने वाला नहीं है । विरोधी दल से भी इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि यह सही है कि हम कीमतों को घटा नहीं पायें, लेकिन अगर आपने हमारी नियत पर शक किया तो यह अन्याय की बात होगी । हमारे समाजवाद के बारे में आप उसकी कितनी ही हंसी उड़ायें, मैं एक बात स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं । जहांतक समाजवाद का सवाल है, वह इस सरकार के लिये और इस पार्टी के लिये अंतिम शब्द है और उसकी स्थापना होकर रहेगी और इसके लिये मैं अंग्रेजी की दो तीन लाइनें कोट करना चाहता हूं जो कि आज के पेपर में हैं । जिनको कि माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली की कौंसिल आफ स्टेट में कही थीं । उनका मैं अनुवाद कर दूंगा । वह यह हैं:--

"There can be no going back, nor can there be any occasion for our resting or taking a halt, if we fail in our effort, we will slip and fall down and will not be able to rise up again."

इसमें यह है कि अभी हमने जो कमिटमेंट किया है, जो हमारी घोषणा है उनसे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, न हम हट ही सकते हैं । यह हमारा जीवन मरण का प्रश्न है । अगर

[श्री नवलकिशोर]

हम कामयाब नहीं होते हैं तो उठना मुश्किल हो जायगा । हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझ को इन शब्दों की कोई झलक इस बजट के अंदर नहीं दिखाई पड़ी ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने इकोनामिक कमेटी बैठायी । उस कमेटी के चेयरमैन हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री थे । श्रीमन्, उसने तीन साल मेहनत की और अपनी सिफारिशें दीं । चाहे २ करोड़ और चाहे ७ करोड़ की बचत करने के लिये, जो भी हो मैं आकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसकी जो इम्पार्टेंट रेकमेंडेशन्स थीं उनमें से कितनों का विभागों के हिसाब से इस मौजूदा बजट में इम्प्लीमेंटेशन किया गया है और उनके आधार पर कितनी बचत की गयी है और जो नये खर्चों को इसमें बढ़ाया गया है उसमें कितना ध्यान रखा गया है ?

आपने एक इस्टीमेट कमेटी बनायी वह ७ साल से काम करती है । उसने कुछ अपनी रिपोर्टें दी हैं हाउस के लिये १० या ११ । मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी बतलायें कि इस इस्टीमेट कमेटी की सिफारिशों को इस मौजूदा बजट में कहां तक कार्यान्वित किया गया है । श्रीमन्, अगर कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, तो मैं एक ही परिणाम पर पहुंचता हूं कि या तो हम आउट आफ गियर हैं या कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन आउट आफ गियर है । दोनों चीजें साथ-साथ कैसे चलेंगी ? सदन की कमेटी सदन बनाता है, वहीं गवर्नमेंट बनाती है । हमारे नेता तथा वित्त मंत्री उसमें होते हैं, वे उसके चेयरमैन होते हैं, क्या वजह है फिर कि उसकी सिफारिशों का पालन नहीं होता, उन पर अमल नहीं होता । मेरे एक दोस्त ने फरमाया कि कमेटी की रिपोर्ट्स बाइंडिंग नहीं हैं । दुनिया की कोई चीज बाइंडिंग नहीं होती । यह तो आपकी स्पिरिट और एप्रोच की बात है । श्रीमन्, मैं कमेटियों के बारे में यह अर्ज करना चाहता था कि हम कमेटीज बनाते हैं, उनमें फैसले हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मेरा मंशा है कि जो हमारे परमानेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जब तक उनकी सहानुभूति, आस्था और विश्वास हमारे तथा हमारे आब्जेक्टिव्स के साथ न हो जाय तब तक हम एक दम भी आगे नहीं बढ़ा सकते ।

एडमिनिस्ट्रेशन की बात मैं बतलाऊं । हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा बहुत भारी है । स्टेट बजट का ४५, ४६ करोड़ रुपया एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है । अगर प्रतिशत निकालें तो यह ४२ से ४४ प्रतिशत तक पड़ता है । मेरा ख्याल है कि २५ से ३० परसेंट तक एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होना चाहिये इससे ज्यादा नहीं । अगर हम ड्रास्टिक ऐक्शन लें कमी करने में तो १२ से १४ करोड़ रुपये तक की बचत हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं ।

पे स्केल का एक सवाल है । बार-बार हमने मांग की है और हम यह भी जानते हैं कि प्रादेशिक सरकार की कठिनाइयां भी हैं । वह एक आल इंडिया पालिसी से गाइड होते हैं । मेरा विश्वास है और मैं कई बार कह चुका हूं और फिर दोहराता हूं कि हमारे कंट्री और स्टेट का जो पे स्ट्रक्चर है वह हमारे इकोनामिक स्ट्रक्चर से आउट आफ ट्यून है और बहुत हैवी है । इस पर भी हमारे इम्प्लाइज की मांग होती है कि हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया के हिसाब से पैसा दिया जाय । हम जानते हैं कि उनकी मांग सही है मगर हमारे पास साधन नहीं हैं । मैंने दरख्वास्त की थी, आज फिर करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इस बात को सोचे । मैं फील करता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की यह मारल ड्यूटी है कि वह स्टेट इम्पलाइज को एट पार अपने कर्मचारियों के लाये और अगर उसको एट पार नहीं ला सकती है तो दूसरा तरीका अख्तियार किया जाय कि अपने इम्पलाइज की तनख्वाह कम करे ताकि डिस्पैरिटी कम हो । आज एक दौड़ मची हुई है । मैंने देखा कि कुछ कान्फेन्सेज हुईं । ऐग्रीकल्चर के ऊपर एक कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट निकली जिसका नाम नागरड रिपोर्ट है ।

उसकी सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक सिफारिश यह भी है कि अगर ऐग्रीकल्चर की उन्नति करनी है तो आपको हाई पेड ऐग्रीकल्चर आफिसर्स रखने पड़ेंगे। ऐसा मालूम होता है जैसा कि हाई पे देने में और ऐग्रीकल्चर की प्रोड्यूस बढ़ने में कोई सम्बन्ध या ट्यूनिंग हो। तो जैसा मैंने पहले कहा कि आलरेडी जो पे है वही आउट आफ ट्यून है इसलिये अगर और ज्यादा तनख्वाह की तरफ बढ़ने की दौड़ हुई तो कहीं ऐसा न हो कि हम कहीं इधर-उधर अटक जायं या बहक जायं अपनी मंजिल से।

अब श्रीमन्, मैं कुछ एस्टीमेट्स के बारे में कहना चाहता हूं। हमने करोड़ों रुपया इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट्स के ऊपर खर्च कर दिया जिसमें मुख्य हमारा विद्युत् विभाग और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट है। मेरा अनुभव श्रीमन् यह है कि एस्टीमेट्स को तैयार करते वक्त जितनी केयर और अटेन्शन दी जानी चाहिये वह नहीं दी जाती है। आमतौर से ऐसा होता है कि जब से एस्टीमेट्स शुरू होते हैं उससे लेकर जब तक खत्म होते हैं, कुछ के एक्सेप्शन्स को छोड़ कर वे दुगने, तिगुने या चौगुने तक हो जाते हैं। माताटीला डैम ढाई या तीन करोड़ रुपये से शुरू हुआ था और वह १२ करोड़ रुपये तक पहुंचा। यही स्थिति शारदा पावर हाउस में हुई कि पौने तीन या तीन करोड़ से शुरू हुआ और साढ़े ७ करोड़ तक पहुंचा। इसके अलावा रिहन्द बांध को ले लीजिये, यह भी ३६, ३७ करोड़ से शुरू हुआ और आज ४६ करोड़ तक पहुंच गया। राम गंगा प्रोजेक्ट भी, मुझे मालूम हुआ है कि बजाय ३३ करोड़ से अब ४० करोड़ तक पहुंच जायेगा। यह मैं मानता हूं कि जितना खर्चा होगा वह करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि एस्टीमेट्स बनाने के लिये सही तरीका होना चाहिये। मुझे यह देखकर खुशी है कि कुछ मामलों में जिनमें कि एस्टीमेट्स बढ़े, गवर्नमेंट ने इन्क्वायरी करने के लिये कई कमेटी बिठाई और मैं जानना चाहता हूं कि उनका क्या फल हुआ और हम यह भी चाहते हैं कि उस सम्बन्ध में हम लोगों को भी कान्फीडेन्स में लिया जाय। मेरी तो इस बात की मांग थी कि इस बात की कोशिश की जाय कि जहां कहीं भी कोई करप्शन वगैरह की शिकायत हो वहां जांच होनी चाहिये। इस सिलसिले में मैंने अखबारों में जो पढ़ा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे जो नये विद्युत् मंत्री हैं उन्होंने इस सिलसिले में कदम उठाया है और उन्होंने हाइडिल के चीफ इंजीनियर के अगेन्स्ट एक इन्क्वायरी बिठाई है। मैं चाहता हूं कि वह इन्क्वायरी पूरी तौर से की जाय और मुझे यह भी खुशी है कि इस इन्क्वायरी के बिठाने की जो न्यूज पब्लिक में निकली है उससे जनता में खुशी हुई है और शासन के प्रति श्रद्धा और आस्था बढ़ी है। उन्होंने यह महसूस किया है कि चाहे कितना बड़ा आदमी ही क्यों न हो, उसके खिलाफ अगर शिकायत होगी तो यह जनतांत्रिक सरकार उसके खिलाफ भी इन्क्वायरी करायेगी और अगर उसका कोई दोष होगा तो उसको दंड दिया जायेगा।

श्रीमन्, मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार कभी-कभी जो नये एक्सपेरिमेन्ट्स करती है उनको साल दो साल के बाद फिर से एग्जामिन किया करे और उसके सम्बन्ध में जो भी अनुभव प्राप्त हुये हों उसके आधार पर यदि कोई तरमीम करने की आवश्यकता हो तो वह भी कर दी जाया करे। मेरा संकेत श्रीमन्, रिटायरमेंट की एज जो ५५ से ५८ वर्ष की गई है, उसकी तरफ है। इस सरकार ने एक कदम उठाया, यह नया कदम था, बड़ा कदम था और हिन्दोस्तान में केन्द्र को शामिल करके यह पहली स्टेट थी जिसने यह कदम उठाया कि रिटायरमेंट की एज ५५ से ५८ कर दी जाय। मैं समझता हूं कि नेक-नीयती से यह कदम उठाया गया और शायद मंशा भी यही थी कि इससे एफीशिएन्सी बढ़ेगी, सर्विसेज के अन्दर संतोष बढ़ेगा और एकोनामी भी होगी। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं अपने दो साल के अनुभव पर कि सरकार इसको फिर से एग्जामिन करे कि जिस ध्येय को लेकर यह काम किया क्या था, वह पूरा हुआ या नहीं। अगर एफीशियेन्सी बढ़ी हो तो ठीक है आप इसको और बढ़ाकर ६१, ६२ साल कर दें, सर्विसेज में अगर संतोष पैदा हो गया हो तो वह भी बड़ी बात है। मगर एकोनामी कितनी हुई यह तो सरकार को हमारे लिये बताने की बात है। अगर यह सब नहीं हुआ और उसके बदले में फ्रेस्ट्रेशन हुआ हो, बेकारी बढ़ी हो या लोगों में नाराजगी पैदा हुई हो, तो मैं बड़े अदब से प्रार्थना करूंगा कि वक्त है कि सरकार इस फैसले को फिर सोचे और अगर उसकी राय बरखिलाफ हो

[श्री नवलकिशोर]

तो उसे वापिस ले। एक बात यह कही जा सकती है कि सिद्धांत के तौर पर हमारे जी० ओज० की कुछ सैंक्टीटी भी होनी चाहिये। जरूर होनी चाहिये, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि अगर जनहित की बात हो तो उसमें फिर विचार करना अनुचित नहीं होगा। फिर ऐसा हमने किया भी है। ब्यूरोक्रेसी के दबाव पर।

गवर्नमेंट वेहिकिल्स की बात है। एक जी० ओ० जारी किया कि तमाम वेहिकिल्स वापिस कर दिये जावें। जो कुछ भी मैंने अखबारों में पढ़ा, उससे मेरी सूचना यह है कि एक तिहाई गाड़ियां भी मुश्किल से वापिस हुईं। जिस दिन यह जी० ओ० निकला उसी दिन से यह सुना गया था कि इसे डिफंक्ट होना पड़ेगा या यह वापिस होगा। आज वह अफवाह ठीक साबित होती हुई मालूम देती है। मैं चाहता हूं कि सरकार एक कमेटी बैठावे और मैं अपने आपको भी पेश करता हूं कि सही तरीके से हम आंकड़ों को देखें, क्योंकि मेरा विश्वास है कि सरकारी वेहिकिल्स देना अनइकोनामिक है और सिद्धांततया भी अनुचित ह, यद्यपि जहां हमारे बड़े-बड़े कन्स्ट्रक्शन के काम चल रहे है वहां यदि हम कुछ गाड़ियां रक्खें तो दूसरी बात है।

मुझे खुशी है कि सरकार ने प्लानिंग के कामों की जांच के लिये एक इवैल्युएशन कमेटी बनाई है जो अपना काम कर रही है। मैं उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उस कमेटी से यह पता चलेगा कि जनता को हमने कहां तक मोबीलाइज किया है और उसका कितना पार्टिसीपेशन हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है।

मेरी एक मांग यह भी है कि हमारे जन प्रतिनिधियों को उचित स्थान मिलना चाहिये। सरकार को उसे देना होगा उनकी मान-मर्यादा को भी रखना होगा अगर जनतंत्र को आगे बढ़ाना है। लगभग ७ वर्ष हुए मैंने और मेरे कुछ साथियों ने इस हाउस में एक दरख्वास्त की थी कि "वारन्ट आफ प्रिसीडेंस" बनना चाहिये। यह बात आज तक नहीं हो पाई है। मेरा दिमाग छोटा है और हो सकता है कि यह छोटी बात मेरे दिमाग में यों ही आई हो। सूचना विभाग के फंकशन्स में हमने देखा कि असेम्बली को सदस्यों को छठी और सातवीं लाइन में स्थान मिलता है और सरकारी अफसरों को पहली पंक्ति में मगर मैं अब अपने सूचना मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अब एम० एल० एज० के लिये एक एन्क्लोजर अलग से बना दिया है, लेकिन उसक पीछे भी ब्यूरोक्रेसी की भावना का पता चलता है, जो कि जनतांत्रिक तत्वों के साथ संघर्ष में हैं। सरकारी अफसर पीछे बैठना पसन्द नहीं करते हैं। गांधी जयन्ती के दिन, २ अक्तूबर को, इत्तिफाक से मेरी रेल छूट गई थी और मैं हैरान हो गया जब मैं सेक्रेटेरियेट में गया और देखा कि पहली तीन पंक्तियों की कुर्सियों पर लिखा था "सुरक्षित"। पूछने पर बताया गया कि विभागीय अध्यक्षों और सचिवों के लिये यह स्थान सुरक्षित रक्खा गया है, मुझे यह सुनकर तकलीफ हुई। पीछे बैठने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नौकरशाही की एक जहनियत की बात है कि गांधी जयन्ती के दिन भी उसे ऐसी आवश्यकता पड़े। मैंने उस पर प्रोटेस्ट किया इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि शीघ्र ही एक "वारन्ट आफ प्रिसिडेंस" बने, इसी सम्बन्ध में यह भी एक बात है कि हमारे यहां उद्घाटन बहुत होते हैं। हमारे जनप्रिय नेता, प्रतिनिधि और मंत्रियों के सुपुर्द यह कार्य था उसका विकेन्द्रीयकरण हुआ और जिले के अफसरों ने उसका एडीशनल बोझ अपने ऊपर ले लिया जब कि एडमिनिस्ट्रेशन का ही उनके ऊपर काफी बोझ था। मैं चाहता हूं कि यह एडीशनल बोझ उनके सिर पर न रखा जाय। हम चाहते हैं कि गांवों के अन्दर नेता पैदा हों और हमारे सरपंच प्रधान तथा अन्य स्थानीय नेता, स्थानीय प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करें और उनमें जो पैसा खर्च हो उसमें भी कमी होनी चाहिये। हमारा सौभाग्य है कि हमको राष्ट्रपिता के चरणों में बैठने का मौका मिला। मैं यह नहीं कहता कि हमारे नेताओं का जीवन बड़ा कास्टली है। ठीक है यदि वे सादगी से रहते हैं तथा और अधिक

सादगी से रहें मगर शासन में भी आस्टेरीटी होनी चाहिये । हमें अपने जीवन में इकोनामी एक आस्था के रूप में, सिद्धांत के रूप में, माननी चाहिये । हाफ हार्टेड इकोनामी से हम कोई बहुत ज्यादा इकोनामी नहीं कर सकते हैं ।

हमने नागपुर में कुछ फैसले किये । मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं । भूमि की सीलिंग की बात है, ज्वाइंट कोआपरेटिव फार्मिंग की बात है, सर्विस कोआपरेटिव्ज और स्टेट ट्रेडिंग की बात है और साथ-साथ पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने की बात है । ये सोशल आब्जेक्टिव बहुत ऊंचे हैं मगर एक बात करनी है जिसमें हम अभी तक बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए हैं और वह है कि एक उपयुक्त ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को उन आब्जेक्टिव्ज के अनुकूल बनाया है । अन्त में जैसा कि केन्द्र में कृपलानी जी ने नेशनल गवर्नमेंट की दरख्वास्त की थी, मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आज अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए और जो हलचलें हमारी सीमाओं पर चारों तरफ हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमको यदि अपनी डेमोक्रेसी को जो कि आज ट्रायल पर है मजबूत बनाना है तब यह उचित है कि वह सभी विरोधी दल जिनकी आस्था तथा विश्वास जनतन्त्र में है एक जगह आकर मिलें और नहीं तो कम से कम राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिये एक यूनाइटेड ऐफर्ट करें जिससे की जनतंत्र के आधार पर हम आर्थिक तथा सामाजिक ध्येय की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकें

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वतंत्रता के पश्चात् आज हम अपने राज्य के १२वें बजट पर विचार कर रहे हैं । आज हमारे राज्य की जनता के सामने एक गम्भीर परिस्थिति पैदा हुई है । आज वह परिस्थिति न केवल राजनैतिक संकट का रूप धारण किये है बल्कि वह आर्थिक और सामाजिक संकट के रूप में भी मौजूद है । हमें इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार करना है कि आजादी के १२ साल बाद भी हमारे देश और प्रदेश की जनता किस दिशा में जा रही है, किस लक्ष्य को सामने रखकर वह आगे बढ़ रही है । आज हमारे प्रदेश की जनता की आर्थिक और सामाजिक हालत क्या है ? अगर हम इस पर संजीदगी के साथ विचार करें तो हमें दिखाई पड़ता है कि एक तरफ तो राज्य सरकार इस बात का दावा करती है कि वह करोड़ों रुपये प्रदेश के विकास के लिये खर्च करती है, लेकिन दूसरी ओर हमारे राज्य की गरीबी बराबर बढ़ रही है । पिछले चन्द वर्षों में अमीरी और गरीबी की खाई बराबर बढ़ी है । हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय, चाहे वह देहात का रहने वाला हो या शहर का हो, बराबर घटती गई है । सन् १९४७–४८ के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि हमारे प्रदेश का ग्रामीण जनता की प्रति व्यक्ति आय १९२ रुपये थी और वह घटकर १९५७–५८ में १८३.६ रुपये रह गई है । इसी प्रकार उस समय हमारी शहरी जनता की आय ७००.३ रुपये थी और अब वह घटकर ६५९.९ रुपये रह गई है । इसका क्या कारण है ? क्या इसकी वजह है ? हम विकास के नाम पर जनता पर टैक्स लगाते हैं, जनता को चूसते हैं और जनता की आय बराबर दिन प्रति दिन घटती जा रही है । प्रदेश में समाजवाद के नाम पर टैक्स लगाये जाते हैं, समाजवाद के नाम पर स्कीम्स तैयार होती हैं और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये जमीन का सुधार किया जाता है और दावा भी किया जाता है कि भूमि व्यवस्था में क्रान्ति कर दी गयी, लेकिन इस क्रान्ति कर देने के बाद भी प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन बराबर घटता जा रहा है । श्रीमन् जो उत्पादन १९५५–५६ में था उसके मुकाबले में जो आज का उत्पादन है वह इस प्रकार है:

सन् १९५५–५६ का उत्पादन (हजार टनों में)

गेहूं	चावल	चना	जौ
३,४१७	२,५४७	१,४४३	१,६०२

अब जो उत्पादन हुआ है :

सन् १९५७–५८ का उत्पादन (हजार टनों में)

गेहूं	चावल	चना	जौ
२,७०६	२,२९४	१,४१७	१,२६०

[श्री चन्द्रजीत यादव]

श्रीमन्, इसकी वजह क्या है ? दूसरी तरफ हम देखें कि हमारे प्रदेश में अपराधों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है । पुलिस रक्षक होने के बजाय भक्षक की सूरत ग्रहण कर रही है । प्रदेश में प्रशासन का भार बढ़ता जा रहा है और उस पर लालफीताशाही तथा नौकरशाही का कब्जा है । एक-एक विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जनता की तकलीफें दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं । इसका क्या कारण है, इसके ऊपर हमें संजीदगी से विचार करना है । जब हम इस पर विचार करते हैं तो यह साबित होता है कि समाजवादी व्यवस्था की विशेषता और मान्यतायें दुनिया के समक्ष स्पष्ट हो चुकी हैं और आज पूंजीवादी देशों में भी समाजवादी व्यवस्था के गुणों को अपनाया जा रहा है । हमारी यह सरकार भी समाजवाद की बात तो कहती है लेकिन उसको हृदय से स्वीकार नहीं करती । यह मेरा इस सरकार पर चार्ज है । वह तो समाजवाद का नाम लेने में ही डरती है । कभी कहती है कि वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है और कभी कहती है कि वह समाजवादी प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करना चाहती है, लेकिन परिस्थितियों ने जब उसको धक्का दिया तो उन्होंने नागपुर में कहा कि समाजवाद उनका लक्ष्य है । जिस सरकार का लक्ष्य समाजवाद है उसका रास्ता कैसा है ? किस तरह वह सरकार बढ़ रही है, यह हमें देखना है । हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारे प्रदेश में कृषकों की आबादी ८५ प्रतिशत है । अब राजस्व मंत्री कहते हैं कि उन्होंने भूमि व्यवस्था में क्रान्ति कर दी, लेकिन उस क्रान्ति के नाम पर क्या हुआ ? आप प्लानिंग कमीशन के सामने जाते हैं और कहते हैं कि हदबन्दी लागू नहीं हो सकती आप वहां जाकर वकालत करते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं होनी चाहिये । अजीब हालत है अधिष्ठाता महोदय, वह भी राजस्व मंत्री अपनी व्यक्तिगत हैसियत से नहीं कहते हैं, बल्कि जब वे प्लानिंग कमीशन के सामने जाते हैं तो वह उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से ऐसी वकालत करते हैं । क्योंकि प्लानिंग कमीशन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी नहीं है । अब नागपुर सेशन के बाद वे कहां जा रहे हैं ? वे क्यों नहीं हदबन्दी लागू करते हैं । उसके बारे में तो वे कहते हैं कि जमीन नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हीं के आंकड़ों से हमें यह भी मालूम होता है कि ८५ लाख एकड़ जमीन प्रदेश के अन्दर परती पड़ी हुई है, खेती करने लायक है, लेकिन जब गरीब लोग मांग करते हैं तो उनको यह जमीन दी नहीं जाती है और कहा जाता है कि जमीन है नहीं । यह निर्विवाद है कि जब तक जमीन का बटवारा नहीं होगा तब तक पैदावार बढ़ नहीं सकती है और तब तक प्रदेश की हालत में कोई सुधार नहीं हो सकता और तब तक हमारे प्रदेश की जनता दुख और दर्द के चंगुल में फंसी रहेगी ? मुसीबत की चक्की में पिसती रहेगी । इसलिये सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ हदबन्दी को तुरन्त लागू कर देना चाहिये और भूमि, भूमिहीनों को बांटना चाहिये ।

सहकारी खेती की बात भी यहां आयी । जनसंघ के नेता राजा साहब ने सहकारी खेती की चर्चा की । उसके सिलसिले में बड़े भारी दर्शन की चर्चा उन्होंने की । ये उन भावनाओं के प्रतिनिधि हैं जो बहुत दिनों तक ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर गरीब मासूम जनता को बहकाते रहे और कहते थे गरीब, गरीब पैदा होता है, अमीर, अमीर पैदा होता है । श्रीमन्, नहीं चल सकती यह भावना । आज वे ही लोग धर्म और ईश्वर के नाम पर जब जनता को नहीं बहका सकते हैं तो प्रजातंत्र के नाम पर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उनको बहकाना चाहते हैं और युग की आज जो मांग है उसका विरोध करते हैं । यह कहा गया और बहुत सारी दलीलें दी गयीं कि चीन कम्यून की तरफ जा रहा है । यहां से एक डेलिगेशन चीन गया था और वहां जो अनुभव उसे हुआ उसी के आधार पर नागपुर में एक प्रस्ताव पास हुआ और कांग्रेस ने भी सोचा कि यह मानी हुई बात है कि हमारे देश और प्रदेश की जनता तब तक आगे नहीं बढ़ सकेगी जब तक कि हम अपने मुल्क के अन्दर सीलिंग न मुकर्रर कर दें और कोआपरेटिव फार्मिंग न शुरू करें । यह कहा गया कि चीन में कोआपरेटिव फार्मिंग सफल नहीं हुई । राजा साहब को शायद मालूम नहीं कि जब समाजवाद की तरफ कोई देश बढ़ता है तो कोआपरेटिव फार्मिंग ही उसका आखिरी लक्ष्य नहीं है । फिर भी वहां जो

नतीजे निकले हैं उससे यह मालूम होता है कि चीन में खाद्यान्न की पैदावार साढ़े तीन गुनी बढ़ी है और वहां इतना चावल पैदा हुआ है जो दुनिया के अन्दर जितना चावल पैदा हुआ है उसके आधे से अधिक है। यह यू० एन० ओ० की रिपोर्ट है। आंकड़े के साथ इसका जवाब डिटेल में हमारी पार्टी के नेता माननीय झारखंडे राय जी देंगे। लेकिन जो सिद्धान्त की बात है वह मैंने आपको बतलायी।

श्रीमन्, मेरा यह निश्चित मत है कि यह सरकार सामन्तवाद और पूंजीवाद की पोषक है, यह सरकार समाजवाद की तरफ नहीं बढ़ना चाहती है। आज हमारे देश और प्रदेश के सामने कई संकट हैं। पिछले चन्द वर्षों के अन्दर हमारे यहां कई संकट आये तो देखा गया कि सरकार पूंजीपतियों की तरफ खड़ी होती है। हमेशा यह सरकार पूंजीपतियों का पक्ष लेती है। पिछले वर्ष ही कानपुर में जब मजदूरों ने हड़ताल की तो कहा गया कि उनकी हड़ताल अवैध है। क्यों अवैध है, वह इसलिये कि मजदूर २४ घंटे अपना खून-पसीना एक करके काम करता है और चन्द टुकड़ों से अपना पेट भरता है तथा सड़कों की पटरियों पर सोकर रातें गुजारता है। जब सरकार से कहा जाता है कि वह पूंजीपतियों के खिलाफ कानून का इस्तेमाल करे और मजदूरों की तनख्वाह उनको दिलावे तो माननीय मुख्य मंत्री जी और श्रम मंत्री जी ने पूंजीपतियों की वकालत किया। अभी रामपुर में मजदूरों की हड़ताल हो रही है। वहां के मजदूरों की मांग है कि उनकी कुछ सुविधाएं बढ़ा दी जायं और उनके मामले एक न्यायालय के सुपुर्द कर दिये जायं तो माननीय मुख्य मंत्री जी कोशिश करते हैं और इस सदन के अन्दर कहते हैं कि यह अवैध हड़ताल है। जब मिल मालिक तालाबन्दी करते हैं और मजदूर बेकार रहते हैं तो वहां अवैधता नहीं है लेकिन मजदूरों की कोई बात होती है तो सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये तैयार हो जाती है। जब मिल मालिक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती, इससे आप समझ सकते हैं कि यह सरकार मजदूरों की तरफ खड़ी होती है या मिल मालिकों की तरफ खड़ी होती है तथा वह किसकी वकालत करती है।

श्रीमन्, इसी माननीय सदन ने एक प्रस्ताव पास किया कि गन्ने की कीमत १ रुपया १२ आने मन के हिसाब से किसानों को दी जाय, लेकिन केबिनेट इस जायज मांग को भी नहीं मानती है। सरकार की ओर से कहा यह जाता है कि मिल मालिकों को केवल ३, साढ़े ३ रुपये मन का मुनाफा होता है, लेकिन किसानों को ५ आने, ७ आने मन कीमत और दिलाने के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी मिल मालिकों की वकालत करते हैं। इसका मतलब यह है कि किसान पिस जायं, बर्बाद हो जायं और वे अपने हक को भी न मांग सकें। सरकार को किसानों की कोई भी परवाह नहीं है। यह क्या है, सरकार किसकी तरफ खड़ी होती है? किस पर गोली चलाती है? मजदूरों पर किसानों पर! हमारे प्रदेश के अन्दर दो मुख्य पत्र अमृत पत्रिका और अमृत बाजार पत्रिका बन्द हैं। उस पत्र के मालिकों ने सरकारी कानूनों से बचत करने के लिये इन पत्रों को बन्द किया और लगभग ६०० मजदूर बेकार हो गये हैं, लेकिन सरकार का कानून अमल में नहीं आया और सरकार हाथ पर हाथ रख कर तमाशा देख रही है। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि सरकार का चरित्र समाजवादी सरकार का चरित्र नहीं है, इसका चरित्र इस बात का द्योतक है कि यह सरकार हमारे प्रदेश की जनता को एक ऐसे गड्ढे की तरफ ले जा रही है जो प्रदेश की जनता को बरबाद कर देगा।

क्यों नहीं प्रदेश आगे बढ़ रहा है? यह भी देखने की बात है। हम बजट स्वीकार करते हैं और सरकार को हक है कि उसे खर्च करे। पिछले बजट को आप देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उन मदों पर खर्च नहीं कर रही है जिनसे हमारे प्रदेश की जनता का कल्याण होने वाला है। सन् १९५७–५८ के बजट की परीक्षा की जाय तो २०७ लाख रुपया कम खर्च किया गया प्लानिंग तथा कोआर्डिनेशन के ऊपर, क्योंकि उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज पड़ गयीं। सरकार ने यह रुपया क्यों खर्च नहीं किया जब कि उससे प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा होता? इसी साल ३०८ लाख रुपया कम खर्च किया गया शिक्षा,

[श्री चन्द्रजीत यादव]

स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, समाज कल्याण और सहकारिता के ऊपर। क्यों नहीं इन मदों पर रुपया खर्च किया गया जिनसे कि प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा होता, लेकिन दूसरी तरफ सरकार पूंजीपतियों को कर्ज देने में उदार है। १ करोड़ रुपया मार्टिन बिजली कम्पनी को दिया और डेढ़ करोड़ रुपया कलकत्ते के ऐसे उद्योगपति को दिया कि सरकार ने जो शर्तें उसके साथ रखी थीं उनमें से एक भी उसने नहीं मानी और सबको ठुकरा दिया। सरकार ने ५०, ७० और ९० लाख रुपया कानपुर के मिल मालिकों को कर्ज में दिया और ऐसे समय में दिया जब कि प्रदेश के पूर्वी अंचल की जनता भूख की ज्वाला में तड़प-तड़प कर मर रही थी और ४, ५ रुपया वह भूखी जनता तकावी मांगती थी तो सरकार के पास तकावी के लिये रुपया नहीं था, लेकिन करोड़ों रुपये उद्योगपतियों को देने के लिये थे, जो कि देश व प्रदेश की जनता का शोषण करते हैं। क्या सरकार का यह चरित्र देश को समाजवाद की तरफ ले जाने वाला चरित्र है ?

यही नहीं, कानपुर के उद्योगपतियों के ऊपर २० करोड़ रुपया बकाया है, देवरिया और गोरखपुर के चीनी मिल मालिकों के ऊपर ३ करोड़ रुपया सेस का बाकी है। जब वसूली का प्रश्न आता है तो सरकार की पुलिस हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाती है और सारे कायदे कानून लुंजपुंज हो जाते हैं लेकिन गरीब के ऊपर ५ रुपया तकावी का वसूल होने का सवाल आता है तो पुलिस प्रचंड रूप धारण कर लेती है और सरकारी कायदे कानून घोड़े की तरह दौड़ने लगते हैं और जनता लूटी जाती है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जिस दिशा की तरफ यह सरकार जा रही है वह सही दिशा नहीं है।

अन्त में एक बात स्टेट ट्रेडिंग इन फूडग्रेन्स के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कहा गया कि स्टेट में यह प्रयोग असफल हुआ। मेरा चार्ज है कि सरकार ने इस स्कीम को लागू ही कब किया ? असफल होने का लिहाजा प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ गल्ले को खरीद कर स्टाक में जमा करना इसको स्टेट ट्रेडिंग नहीं कहते। इसको स्थायी रूप से प्रान्त में लागू करना चाहिये; और दो इसके लक्ष्य हैं---एक तो गरीब किसान जो उत्पादन करता है, उसको सही कीमत पर खरीदा जाय, ताकि वह बड़े बड़े बनियों द्वारा लुट न जाय और हमारे (कंज्यूमर) उपभोक्ता जो हैं उनको मुनासिब कीमत पर गल्ला मिल सके। उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिये, प्रदेश को संकट से बचाने के लिये केवल एक इमर्जेन्सी मेजर नहीं है जो सरकार ने इस साल लागू कर दिया फिर न करे। इसको मुस्तकिल तौर पर लागू करना चाहिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---अधिष्ठाता महोदय, मैं कल से आज तक जो बजट के सम्बन्ध में भाषण हुए उनको सुनता रहा और मैंने माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को भी बड़े ध्यान से सुना। किसी प्रदेश के बजट के सामान्य विवाद के सम्बन्ध में इस तरह की बातें जो उससे सम्बन्ध न रखती हों कही जायं तो कहां तक संगतयुक्त है मैं समझ नहीं सका। अपने बजट भाषण के पहले ही पन्ने पर स्पष्ट लिखा हुआ है, राज्य सरकार अपने बजट के भाषण में वह अपने स्टेटमेंट आफ पालिसी, क्या उसकी नीति है और उस नीति के अनुसरण में क्या-क्या कार्य किये हैं इस तरह की बातें जनरल डिस्कशन में आती हैं। तो मैं कह रहा था बजट भाषण के प्रथम पन्ने पर लिखा हुआ है कि प्रदेश की सरकार का लक्ष्य है एक वेलफेयर स्टेट के लिए सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी बनाना है, जिसमें प्रान्त के साधनों का समाजीकरण करके ठीक-ठीक उत्पादन का वितरण हो सके। यह लक्ष्य बताया गया है और इसी के आधार पर वह चाहते हैं प्रदेश को बनाना। अन्त में लिखा है कि हमारी योजना का ध्येय यह भी है कि इस राज्य के लोग अलग-अलग और सम्मिलित तरीके से अगर अपनी मुश्किलात को सहयोग की भावना से दूर करने का प्रयत्न करें तो हम थोड़े समय में ही अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। इसी आधार पर यह बजट है।

हमारे भाई चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि बजट में हमारी नीति का स्पष्ट निर्धारण नहीं है और वह बता रहे थे कि हमारा उत्पादन गिर रहा है जबकि रूस ने और चीन ने थोड़े ही समय

में काफी प्रगति कर ली। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारा ध्येय सहयोगी समाज बनाने का है जिसमें अहिंसा की भावना हो। जब उस पक्ष के लोग समाजवाद की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वह पश्चिम के देशों का समाजवाद सोचते हैं जिसमें मार्क्स का ध्येय है, जहां वर्गवाद का संघर्ष है। हमको गांधी जी ने उससे ऊपर का सिद्धान्त दिया, उन्होंने यह सिखाया कि हम क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी, वर्गविहीन तथा जातिविहीन समाज बनाना चाहते हैं, हम छोटे बड़े की लड़ाई नहीं होने देंगे। सभी समस्याओं का हल सहकारिता के आधार पर करेंगे और सहयोग से करेंगे। जब उन्होंने समाजवाद की चर्चा की तो उनका यह लक्ष्य था कि हम रूस के समाजवाद की बात कर रहे हैं। हमने देश में जमींदारी समाप्त की, लेकिन जमींदारों को रहने दिया, राजाओं को समाप्त किया, लेकिन वह जनप्रतिनिधि होकर यहां आ सकते हैं, यह उनको हमने अधिकार दिया। हमने पूंजीपतियों को रखा, मिक्स्ड इकोनोमी रखी और साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर से उत्पादन करा कर टैक्सों के द्वारा उनसे धन जनता के उत्थान के लिये लिया है।

नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जो कोआपरेटिव फार्मिंग की बात कही गई उसकी भी टीका-टिप्पणी हुई, मुझे आश्चर्य है। दो तरीके हैं, एक तो रूस का क्लेक्टिवाइजेशन का और दूसरा सहकारी सिद्धान्तों को मानते हुए सबसे सहयोग लेकर सर्विस कोआपरेटिव्ज बना कर उत्पादन करने का। माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े सुन्दर ढंग से सारी योजनाओं को रखा है। सहकारिता की भावना से हम सारे साधनों का उपयोग करेंगे, योग देंगे और जितनी भूमि है उसमें हम अधिक अन्न उत्पादन करेंगे। अन्न के अभाव की बात कही गयी है। हम सब मानते हैं कि अन्न की कमी है। श्रीमन्, उसके बढ़ाने की क्या तरकीब है? क्या गल्ला गोदामों को लूटकर, घेरा डालो आन्दोलन से या टीका-टिप्पणी करने से बढ़ेगा? मैं जानना चाहता हूं उस पक्ष के लोगों से और माननीय त्रिलोकी सिंह जी से कि उनका क्या तरीका है? उन्होंने कहा कि सर्विसेज का कोआपरेशन हो जाय तो काम होगा।

सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर आपत्ति

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)––व्यवस्था का प्रश्न : अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा यह व्यवस्था चाहता हूं, कल भी यह प्रश्न उठाया गया था कि कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है। इस समय भी पुलिस मंत्री के अलावा यहां पर वित्त मंत्री नहीं हैं। मुख्य मंत्री भी नहीं हैं। श्रीमन्, उस पक्ष से जो भाषण होते हैं, वह कहते हैं कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी से कहना चाहता हूं। जब हमारी तरफ से भाषण होगा तो हम माननीय वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री से कैसे कह सकेंगे जब कि वह यहां उपस्थित नहीं हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि कल जब अधिष्ठाता महोदय से यह बात कही थी तो उन्होंने रूलिंग दी थी कि उनको होना चाहिए और अगर इस समय नहीं हैं तो २–३ मिनट का समय रह गया है, मैं इस वक्त तकरीर को रोक नहीं सकता हूं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––मैं समझता हूं कि नागर जी का एक तुच्छ सेवक मैं यहां पर बैठा हूं सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये। जो कुछ पूछना हो मैं नम्रतापूर्वक उत्तर देने की चेष्टा करूंगा।

श्री अधिष्ठाता––माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पान्सिबिलिटी है और जब माननीय गृह मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं तो वह केबिनेट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)––यदि आप इजाजत दें तो इस सिलसिले में मैंने जो कल अर्ज किया था उसके प्रमाण स्वरूप कुछ अथारिटीज को मान्यवर की सेवा में पेश कर दूं। मैंने यह कहा था कि जब बजट पर आम विवाद हो तो माननीय मुख्य मंत्री को और वित्त मंत्री को कम से कम जरूर उपस्थित रहना चाहिए। वैसे संसदीय प्रथा यह है कि जितने भी

[श्री त्रिलोकी सिंह]

माननीय मंत्री हैं उनको उपस्थित रहना चाहिए मैं इस सिलसिले में मान्यवर की सेवा में बंगाल लेजिस्लेटिव एसेम्बली में जब यह प्रश्न उठाया गया था और वहां पर स्पीकर ने रूलिंग दी थी, पेश करना चाहता हूं। यह अंग्रेजी की किताब लोक सभा सेक्रेटेरिएट द्वारा प्रकाशित है। रूलिंग संख्या २८४, पेज ११६ पर है --

"If the Finance Minister is present, it s not necessary for all the Ministers to be present during the general discussion of a budget although the discussion may embrace the different parts of the budget, relating to the departments of other Ministers."

निर्णय यह किया कि यदि फाइनेन्स मिनिस्टर मौजूद हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे मिनिस्टर भी मौजूद हों। बदकिस्मती से फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कल भी बहुत कम समय दिया और आज भी वह इस समय तो अनुपस्थित हैं ही, ज्यादातर अनुपस्थित ही रहे। मैंने कल प्रेसीडेन्ट विट्ठल भाई पटेल का भी हवाला दिया था। मान्यवर, १९५८ की लेजिस्लेटिव एसेम्बली डिबेट के वाल्यूम २ में दिया है---

"Before we proceed further, I desire to make one observation. I regard it as highly discourteous on the part of His Excellency the Commander-in-Chief that he should come here and make a long speech, and then, when a motion for adjournment is discussed on that speech, that he should not be in the House."

वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। ७० मिनट उनके भाषण में लगे और जब उस पर वाद-विवाद हो रहा है तो वह अनुपस्थित हैं। मैं यह बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय प्रथा के विरुद्ध तो यह है ही बल्कि साथ ही इस आदरणीय सदन के प्रति एक इन्तहाई अशिष्टता का स्वभाव है। इसलिये आप चाहे स्वयं व्यवस्था दें या इस विषय को अध्यक्ष महोदय के सुपुर्द कर दें क्योंकि यह एक विचारणीय प्रश्न है, जल्दी में कोई काम नहीं होना चाहिये। एक ऐसी व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता है जिससे यहां भी परम्परा बन जाय कि बजट के साधारण विवाद के समय में मंत्रीगण यथासम्भव उपस्थित रहें और माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री तो कम से कम अवश्य ही रहें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हमारे इस आदरणीय सदन के प्रति अशिष्ट होने की बात है वह इस दल के और इस दल की जो सरकार है उस के किसी भी माननीय सदस्य की कल्पना के परे है और मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का अभियोग माननीय विरोधी दल के नेता की ओर से नहीं लगाया जाना चाहिये था। न हमारी इस तरह की कोई भावना है, न हमारी इस तरह की कोई कल्पना है और न इस तरह की कभी भी हमारी नीयत हो सकती है। हमारा तो सदा ही आदरणीय सदन के प्रति परम आदर है।

जहां तक संसदीय प्रथा की बात है, उन्होंने उस सम्बन्ध में कुछ पढ़ कर भी सुनाया, वह ठीक ही है लेकिन हमारी यह विधान सभा काफी पुरानी है और पिछले ५--७ साल से हम बराबर देखते रहे हैं कि यदि मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य यहां रहे तो ऐसा माना जाता रहा है कि वह सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और वही विरोधी दल के नेताओं और माननीय सदस्यों की बातों को सुन रहा है जिन का उत्तर कि सरकार की ओर से मिलेगा। अपने सूबे में मैं भी सम्भवतः करीब करीब २०--२५ साल से मेम्बर हूं, मैंने तो यहां की इसी तरह की परम्परा देखी है कि इस तरह की कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। मैं समझता हूं कि कोई इस तरह की आपत्ति का प्रश्न नहीं है। यदि माननीय नेता विरोधी दल जरा उदारता दिखलायें तो मैं उनका सेवक यहां प्रस्तुत हूं।

*श्री शिवप्रसाद नागर---अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि यह प्रश्न जो आज यहां उठाया गया है उसी तरह का एक प्रश्न कल विधान सभा पंजाब में भी उठाया गया था। सभी विधान सभायें इस देश की एक ही संविधान के अन्तर्गत चलती हैं। जब यह प्रश्न पंजाब में उठाया गया तो वहां के अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि न केवल वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री को ही बल्कि बजट की बहस के समय सरकार के सभी मंत्रियों को उपस्थित रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त कल आप की अनुपस्थिति में अधिष्ठाता महोदय ने भी यही व्यवस्था दी थी। जब इस तरह से पंजाब की और यहां की व्यवस्था हो चुकी तो कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि हम माननीय गृह मंत्री द्वारा बताई गई परम्परा को मानें। पुरानी परम्परा कुछ भी रहे लेकिन जब एक इसी देश की विधान सभा में व्यवस्था हो चुकी है और हम प्रगति की ओर बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम एक ही संविधान के अन्दर चलने वाली किसी अच्छी चीज को न अपनावें। हमारी विधान सभा के लिये यह शोभनीय नहीं है कि हम अधिष्ठाता महोदय के दिये गये आदेश को न मानें। श्रीमन्, कृपा करके इस पर व्यवस्था दें या जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा इस मामले को आप माननीय अध्यक्ष के सुपुर्द कर दें।

श्री उग्रसेन---अधिष्ठाता महोदय, जो प्रश्न माननीय नेता विरोधी दल ने उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो यह तरीका है कि बजट की बहस के वक्त मंत्रिगण प्रस्तुत न रहें यह सदन की शान के प्रतिकूल है। जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है इस सम्बन्ध में वह बहुत नाकाफी है। यदि यहां की विधान सभा की ५-१० वर्ष में कोई परम्परा बनी भी है तो वह कोई ऐसी चीज नहीं है। दुनिया की तमाम विधान सभाओं में और पार्लियामेंट में और जिस मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हमेशा हवाला दिया जाता है, कोट किया जाता है उस में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जब इतना महत्वपूर्ण विवाद बजट पर हो तो माननीय वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री दोनों में से कोई न रहे। माननीय विट्ठलभाई पटेल की रूलिंग बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें विधान का प्रश्न उपस्थित होता है और आदरणीय सदन की परम्परा और उसके मान का प्रश्न है। इन बातों का खयाल करके हम चाहेंगे कि श्रीमन्, आप ऐसी कोई व्यवस्था देंगे कि आगे वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री अवश्य ही रहें। कल भी हमारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी ने इसी को लेकर वाक आउट किया था।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, जहां तक कि विधान और नियमों का प्रश्न है, मैं तो यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि न तो इसमें कहीं वैधानिकता का प्रश्न है और न नियम के उल्लंघन का। यदि है तो कुछ औचित्य का प्रश्न है और मैं इस सदन के सामने रखने की धृष्टता करता हूं कि औचित्य और अनौचित्य तो सदन की स्वयं अपनी परम्पराओं पर निर्भर करता है। माननीय नेता विरोधी दल ने जो अभी बंगाल की रूलिंग का जिक्र किया यदि मैं उसको गलत नहीं समझा तो उसमें यह था कि "इफ दि फाइनेंस मिनिस्टर इज प्रेजेन्ट, अदर मिनिस्टर्स नीड नाट बी प्रेजेन्ट।" इसके माने यह नहीं हैं कि "अदर मिनिस्टर्स शुड बी प्रेजेन्ट"। वहां तो यह हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, दूसरे मिनिस्टर्स नहीं हैं तो ध्यान आकर्षित किया गया। निर्णय हुआ कि यदि फाइनेंस मिनिस्टर हैं और बाकी लोग न हों तो भी कुछ कठिनाई की बात नहीं।

जहां तक कि विट्ठलभाई पटेल साहब के निर्णय का सम्बन्ध है सन् १९२८ का, उसमें केवल इतना सा जिक्र है कि कमांडर-इन-चीफ ने एक लम्बी स्पीच दी, उस पर एडजर्नमेंट मोशन आया और तब यह कहा गया कि उन्होंने इतनी लम्बी स्पीच दी, लेकिन मिनिस्टर नहीं है। यहां ऐडजर्नमेन्ट मोशन तो कोई डिसकस नहीं हो रहा है और न कोई लम्बी स्पीच दी गयी जिसके सम्बन्ध में कोई वाद-विवाद हो रहा है। स्पीच तो फाइनेंस मिनिस्टर की बजट जोकि उन्होंने इस सदन के सामने रखा था उससे संबंधित थी। जैसी कि बहुत समय से परम्परा चली आती है, सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये यहां मंत्रिगण में से कोई रहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

उपस्थित हैं और मैं इतना-सा ही निवेदन कर सकूंगा कि यह कहीं भी कोई विधान या नियमों के उल्लंघन का प्रश्न नहीं है, केवल औचित्य का प्रश्न है। जहां तक सदन की मर्यादा का प्रश्न है, शायद इसको पर्याप्त समझा जाय कि मंत्रिमंडल में से कुछ व्यक्ति मौजूद हों सदन के सम्मानार्थ और सदन से इसको पर्याप्त समझा गया। इसमें कौन सी नवीन बात हुई जो इसको अपर्याप्त समझा जाय, इसको कोई भी माननीय सदस्य सदन के सामने रख सकें तो ठीक होगा। मैं इतना ही कहूंगा कि न तो इसमें अनौचित्य है और न परम्पराओं के उल्लंघन का प्रश्न है, बल्कि परम्पराओं के समक्ष चलने का प्रश्न है। उसके अनुसार चल करके मंत्रिमंडल में से कोई न कोई सदस्य सदन में निरन्तर उपस्थित रहते हैं।

श्री **त्रिलोकीसिंह**---मान्यवर, मैं आपका विशेष अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे पुनः इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करने का मौका दिया। एक बात यह कही गयी कि और कहीं कुछ भी हो, इस असेम्बली की यह प्रथा नहीं रही है। मैं मान्यवर का ध्यान ८ मार्च, १९५० की इस उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब १९५०-५१ के आय-व्ययक पर साधारण वाद-विवाद चल रहा था, श्री निहालुद्दीन ने उपाध्यक्ष का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि जिस मंत्री के विभाग के सम्बन्ध में उस समय भाषण दिया जा रहा था, उस वक्त वे उपस्थित नहीं थे। इसके उत्तर में माननीय श्री सम्पूर्णानन्द जी, वित्त मंत्री, ने आश्वासन दिया था कि किसी मंत्री का इरादा नहीं था कि सदन का अनादर हो जाय। उपाध्यक्ष ने यह कहा कि मुझे उम्मीद है कि बजट की जब आम बहस हो तो सब माननीय मंत्री मौजूद रहें तो बेहतर है, लेकिन मजबूरी की हालत भी हो सकती है।

इसके अलावा दूसरी रूलिंग और है मान्यवर, २३ मार्च, १९४८ को जब आर्थिक वर्ष १९४८-४९ के आय-व्ययक के अनुदानों में चिकित्सा सम्बन्धी अनुदान पर वाद-विवाद हो रहा था श्री मुहम्मद असरार अहमद ने एक आपत्ति उठायी थी कि मंत्रिमंडल के सब सदस्य उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे। इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्न निर्णय दिया था। उनका निर्णय इस प्रकार था---अध्यक्ष महोदय, मैं इतना और अर्ज कर दूं अपनी तरफ से कि उस समय अध्यक्ष माननीय पुरुषोत्तमदास जी टंडन थे जिनसे अच्छे अध्यक्ष इस देश में आज तक नहीं हुये हैं :---

> "एक मिनिस्टर जिनका यह विभाग है वह तो मौजूद हैं, यह उम्मीद करना कि सब मिनिस्टर मौजूद रहें यह तो मुझे मुनासिबत से दूर बात मालूम होती है लेकिन मैं इसमें आप से सहमत हूं कि जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर मौजूद रहें। जिन मिनिस्टर की जिम्मेदारी हो उनका तो यहां रहना जरूरी है और मैं देखता हूं वह यहां मौजूद हैं।"

श्रीमन्, यह रूलिंग माननीय स्पीकर टंडन जी ने दी कि जिनका विभाग है उनका रहना आवश्यक है और वह यह भी मुनासिब समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर मौजूद रहें। मैं इतना और निवेदन कर दूं कि सदन के नियम १८८ (२) में यह लिखा हुआ है कि वित्त मंत्री को चर्चा के अन्त में उत्तर देने का समान अधिकार होगा। जो सज्जन यहां मौजूद नहीं हैं वह कैसे अपने इस अधिकार का प्रयोग करेंगे यह बात समझ में आने के बाहर है। यह सही है कि वह स्पीच पढ़ लेंगे। लेकिन सदन के नियमों के अनुसार मैं यह अर्ज करूं कि किसी भी सदस्य को यह हक हासिल नहीं है कि वह दूसरे की स्पीच को प्रकाशन के पहिले मंगाकर देख सके। अगर वह ऐसा करेंगे तो नियमों का उल्लंघन करेंगे।

मैं यह भी निवेदन करूं कि हम यह नहीं भूल सकते हैं कि २८ एडजर्नमेंट मोशन्स को माननीय अध्यक्ष महोदय ने बजट के एक दो दिन पूर्व इसलिये अनियमित करार दे दिया कि बजट के सामान्य वाद-विवाद में माननीय सदस्यों को हक होगा कि इन तमाम मामलों का जिनका २८ कामरोको प्रस्तावों में जिक्र है, उसमें जिक्र कर सकें और ऐडजर्नमेंट मोशन्स के सिलसिले में मान्यवर, यह सर्वमान्य प्रथा है कि जिस मिनिस्टर से वह सम्बन्धित हो उसको सदन में मौजूद

रहना चाहिये। इसलिए स्पीकर महोदय की व्यवस्था के अनुसार जितने भी यहां मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन सब का उपस्थित रहना जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया यह एक आवश्यक प्रश्न है और आपको अधिकार है, जैसा आप चाहें निर्णय दें, लेकिन यदि आपको कुछ संकोच हो तो बेहतर यह होगा कि इसे आप अध्यक्ष महोदय के सुपुर्द कर दें ताकि आज या कल जिस समय वह मुनासिब समझें सुविधा के अनुसार इस पर अपना निर्णय दे दें। मैं यह भी समझता हूं कि इसमें जो अशिष्टता की बात कही गयी थी तो वह अंग्रेजी शब्द "डिसकर्टसी" का अनुवाद है। हो सकता है कि मेरा अनुवाद ठीक न रहा हो क्योंकि हिन्दी भाषा में जो इसका अनुवाद है वह तो अधिक कटु मालूम होता है। मैं निवेदन करूंगा कि जब तक कि कोई खास बात न हो मंत्रियों को सदन में आम विवाद में मौजूद रहना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---इस सम्बन्ध में मैं विस्तृत व्यवस्था के लिये माननीय अध्यक्ष को सुपुर्द करता हूं। वह जब आयंगे तो व्यवस्था देंगे। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें वैधानिक आपत्ति का प्रश्न नहीं उठा है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, यह औचित्य जरूर है कि वित्त मंत्री तथा अधिक से अधिक मंत्रियों को सदन में मौजूद रहना चाहिये जब कि बजट पर सामान्य वादविवाद हो रहा हो। मगर जैसा कि टंडन जी की रूलिंग में भी है यदि यह सम्भव नहीं हो और यदि कोई मिनिस्टर मौजूद हैं, तो कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी के कारण वह कैबिनेट को जरूर रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसमें कोई वैधानिक प्रश्न नहीं उठ सकता। औचित्य का प्रश्न अवश्य है और मैं चाहूंगा कि जब कि आय-व्ययक पर सामान्य विवाद हो तो अधिकाधिक मिनिस्टर उपस्थित रहने का प्रयत्न करें। परन्तु कोई वैधानिकता का प्रश्न नहीं उठता। विस्तृत व्यवस्था माननीय अध्यक्ष देंगे।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)---प्वाइंट आफ आर्डर, सर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसमें कोई वैधानिक प्रश्न नहीं उठता है। क्या मैं यह समझूं कि आप व्यक्तिगत राय अपनी जाहिर कर रहे हैं या रूलिंग दे रहे हैं क्योंकि दोनों अपनी जगह पर कंट्रेडिक्टरी हो रहे हैं। एक तरफ आप अध्यक्ष महोदय के पास फैसले के लिए भेजने को तैयार हैं और दूसरी तरफ आप फरमा रहे हैं कि कोई वैधानिक प्रश्न नहीं उठता। लिहाजा इसको आप जरा साफ कर दें।

श्री अधिष्ठाता---मेरे निवेदन का मंशा यह था कि मैंने औचित्य की तरफ ध्यान दिलाया परन्तु यदि दो मंत्री मौजूद हैं इस कैबिनेट के तो संविधान के अन्तर्गत कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी होने के कारण, चूंकि कुल कैबिनेट का सम्मिलित उत्तरदायित्व है, इसलिए वैधानिकता का प्रश्न नहीं उठता।

श्री उग्रसेन---क्या हम लोग यह समझ लें कि माननीय नेता विरोधी दल की आपत्ति पर रूलिंग माननीय अध्यक्ष महोदय देंगे?

श्री अधिष्ठाता---इसका विस्तृत निर्णय तो माननीय अध्यक्ष ही देंगे। मैंने तो केवल औचित्य की ओर ध्यान दिलाया। जिस वक्त तक कि इसका निर्णय नहीं होता इसमें कोई वैधानिकता का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वह अपना भाषण जारी रखें।

१९५९-६० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद---(क्रमागत)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य साम्यवादी दल कलेक्टिवाइजेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था कि हमने जो ढांचा बनाया है उसके अन्तर्गत प्राइवेट और पब्लिक दोनों सैक्टर्स को हमने अलग-अलग स्थान दे रखा है। हमारी समस्याओं का आधार गांधीवादी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

तरीका है। उसमें क्लास वार की गुंजायश नहीं है जो कि पश्चिम के समाजवाद का तरीका है। हमारा जो ढांचा है वह पश्चिमी समाजवाद पर आधारित नहीं है। हमारा ढांचा गांधीवादी है। उसमें जमींदार रहेगा, लेकिन जमींदारी नहीं रहेगी, राजा रहेगा, उसको नागरिक के पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन उसका राज्य नहीं रहेगा, पूंजीवाद नहीं रहेगा, लेकिन पूंजीपति रहेगा, उसकी पूंजी का फायदा उठा कर हम देश का उत्पादन बढ़ायेंगे, देश की सेवा में उसे लगायेंगे। हमारा लक्ष्य यही है। पश्चिम के समाजवाद में क्लास वाद की गंध आती है। इसीलिए माननीय सदस्यों ने जो टीका टिप्पणी की वह हमारे ढांचे में संगत नहीं है।

माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने शुरू से अन्त तक केवल एक ही बात कही। उन्होंने एक बड़ा लम्बा चौड़ा चार्जशीट लगाया दो तीन घंटों में, परन्तु वह एक ही बात पर केन्द्रित होता है कि हम में इरादे की कमी है। हम में किसी योजना को कार्यान्वित करने की विल भावना नहीं है। विल कहां से बनती है? हमारे समाज की कलेक्टिव विल बनेगी। वह विल (इच्छा) न माननीय त्रिलोकीसिंह जी की होगी और न डाक्टर सम्पूर्णानन्द की होगी। सब को मिला कर समाज का ढांचा बनेगा। उसमें माननीय त्रिलोकीसिंह भी होंगे। इस देश में गरीबी है, अज्ञान है, कितनी ही समस्याएं हैं। उस देश को हम उठाना चाहते हैं। उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। उसमें तरह-तरह के आन्दोलन उस तरफ के लोग चलाते हैं। वह आन्दोलन चला कर समस्याओं का हल करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आन्दोलनों से खाद्यान्न बढ़ेगा? क्या गल्ला गोदाम को ले लेने से अन्न की समस्या हल होगी? क्या घेरा डालो आन्दोलन से भ्रष्टाचार दूर हो जायगा? साथ ही साथ जो जनता में अनास्था पैदा करते हैं, वह बहुत खतरनाक है। यह भी एक माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस की आवश्यकता क्या है? यह विनोबा जी का आदर्श है। उस लक्ष्य की पूर्ति तभी होगी जब कि एक मानव समाज में शासन की आवश्यकता नहीं होगी। सारे व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का स्वयं पालन करेंगे, और अपने आप अपना नागरिक जीवन व्यतीत करें। हमारे सर्वोदय का यही सिद्धान्त है। लक्ष्य हमारा वही है, लेकिन हम उसके रास्ते में हैं। अभी पुलिस की आवश्यकता है। गोली भी चल सकती है और चलने की सम्भावना है। जिनके ऊपर शासन का उत्तरदायित्व है, जिनको समाज को ठीक रखना है उसमें ऐसी दुखद परिस्थिति आ सकती है जिनमें करना पड़ता है।

मैं उधर के माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जो अन्न की समस्या है उसको हल करने में उन्होंने कितना सहयोग दिया? यह बात माननीय त्रिलोकीसिंह जी के भाषण में नहीं आयी। २५-३० वर्ष जो हमारा योजना का युग है उसमें समाज में शान्ति चाहिए। आन्दोलन और सत्याग्रह बन्द करके देश के निर्माण में सभी को लगना चाहिए। अगर हमने प्रजातंत्र के मूल्यों का अनादर किया तो समाजवाद कहां जायगा, गणतंत्र कहां रहेगा? गणतंत्र में बैठ कर हमको टीका-टिप्पणी करने का, लम्बी चार्जशीट लगाने का अधिकार है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमें यह अधिकार कहां है कि जब निर्माण का युग हो तो आन्दोलन चलाएं। आन्दोलनों को चला कर निर्माण नहीं किया जा सकता। निर्माण और उत्पादन के लिए इंडस्ट्रियल पीस चाहिए। पूर्वी जिलों का एक ही उद्योग है, गन्ना। ६६ जिलों में से ३३ मिलें पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में जिन मिलों में औद्योगिक शान्ति चाहिए वहां सारे विरोधी दल के लोग कभी मजदूरों को भड़काते हैं, कभी किसानों को भड़काते हैं, कभी कोई समस्या लेकर खड़ी कर देते हैं जिससे उत्पादन का ह्रास हो जाय। मैं जानना चाहता हूं कि ३३ करोड़ रुपया चीनी उद्योग में लगा हुआ है। इतना बड़ा उद्योग है और गन्ना ऐसी फसल है जिससे कृषि समस्या का भी हल निकल सकता है। जो प्रशासन की जिम्मेदारी रखने वाले लोग हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि गन्ने के द्वारा इंटेंसिव कल्टीवेशन (प्रगाढ़ कृषि) में बड़ा योग मिल सकता है। गन्ने का खेत काफी खोदा जाता है और उसमें काफी खाद डाली जाती है। इसलिए गन्ने वाले खेत में अधिक अन्न पैदा हो सकता है और आल्टरनेटिव क्राप की सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसी सुविधायें उनको मिलें कि गन्ने की खेती

के साथ-साथ गेहूं और धान भी पैदा हो सके। इस तरह की कोई योजना तो उस तरफ से आती नहीं है, ऐसी बातें आती हैं जो खेतिहर को गन्ने की खेती बन्द करने के लिये मजबूर करें, मिल-मालिक को अपनी मिलें बन्द करने के लिये मजबूर कर दे।

अभी समाचार-पत्रों द्वारा हमें मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ने ५२ चीनी मिलों को लाइसेंसेज दिये हैं जिनमें से ६ मिलें इस प्रदेश के लिये हैं। यू० पी० में जितनी चीनी की मिलें हैं वह सब अपनी अपनी मिलें दक्षिण में ले जाना चाहते हैं क्योंकि वहां चीनी की रिकवरी बहुत होती है। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि गन्ने का दाम बढ़ना चाहिये। ठीक है बढ़ना चाहिये, लेकिन गन्ने की उपज देखी जाय, मिलों का मुनाफा देखा जाय, पूंजीपतियों ने जितना धन लगाया है उसका रिटर्न देखा जाय और उनकी मजदूरी देखी जाय जो मजदूरी करते हैं तब उसका निश्चित मूल्य एक बार तय कर दिया जाय जिससे बारबार आन्दोलन करने की नौबत ही खत्म हो जावे।

(इस समय ३ बजकर ६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

यह चीनी का उद्योग बड़ा भारी उद्योग है। अगर आन्दोलन चलते रहे तो बड़ी भारी क्षति हो जायगी और आन्दोलन करने वाले मजदूरों, किसानों का नुकसान करा देंगे।

मैं श्रीमन् आपके द्वारा एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय दुबे जी ने अन्न के बारे में बहुत कहा और कहा कि इंटेंसिव खेती हो। कैसे हो? कोआपरेटिव फार्मिंग वाले हमारे नागपुर के प्रस्ताव का भी यही मतलब है कि सर्विस कोआपरेटिव्ज बना करके ऐसी सोसाइटियां किसानों की बना देंगे और जो सहायता वे चाहेंगे उनको देंगे जिससे अन्न का उत्पादन हम बढ़ा सकें। मुझे खेद है कि आप उसके सही रूप को नहीं समझ सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री अवधेश प्रताप सिंह का नाम पुकारा गया)

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—(श्री उपाध्यक्ष से) यह तो आपके ही जिले के हैं न इसीलिये?

श्री अवधेश प्रताप सिंह—तो मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी आपके जिले के हैं। तो चेयर के लिये यह अपमानजनक बात है। या तो वह कहें कि उन्होंने मजाक में यह बात कही या ऐसी बात उनको नहीं कहनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—यह किस माननीय सदस्य ने कहा? क्या माननीय शुक्ल जी आपने कहा? आपका क्या मतलब था?

श्री सीताराम शुक्ल—श्रीमन्, मैं राजा साहब को धन्यवाद देता हूं कि वे हाउस के हकों की रक्षा करना चाहते हैं। हुजूरवाला, मैं यह कहता हूं कि मैंने यह मजाक में कहा था और कोई सीरियसनेस उसमें नहीं थी।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह**—यह मेरे वक्त में न शुमार किया जाय। आपके द्वारा शुक्ल जी को केवल यह बतला देना चाहता हूं कि उनकी आदत लखनऊ में रहते रहते बुरी पड़ गयी है और मजाक वक्त बेवक्त किया करते हैं। मेरी मजबूरी यह है कि जमींदारी चली गयी वरना मैं उनकी अच्छी तरह से खातिर करता। मगर श्रीमन्, मेरे वक्त में यह शुमार न किया जाय।

मान्यवर, मैं बजट के सम्बन्ध में आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चाहे कैबिनेट के सब मंत्री उपस्थित न हों लेकिन वह सुनने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

मान्यवर, इस बजट में आंकड़ों का एक प्रश्न होता है जिससे आय-व्ययक की मालूमात होती है और साथ ही साथ यह भी कि सरकार की नीति पर प्रकाश डाला जाता है और उससे हमको परिचित कराया जाता है। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं कि उत्तर प्रदेश की समुन्नति के लिये सभी नागरिक अग्रसर हैं, परन्तु दुःख की बात यह है कि आज सरकार की नीति, जिसके कारण प्रदेश में समृद्धि हो सकती है, वह दोषपूर्ण है। मैं माननीय सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मुझे इस बात को कहने में जरा भी लज्जा नहीं है कि जब तक सरकार कृषि नीति को भली भांति नहीं समझ लेगी तब तक इस प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है। मैं सीलिंग के विरुद्ध हूं और मैं उसके विरोध में कहना चाहता हूं। इस समय यहां पर चन्द्रजीत यादव जी विद्यमान नहीं हैं। पता नहीं वे किस युग की बात कर रहे थे। वे उस सिद्धान्त की चर्चा में अपने मानसिक सन्तुलन को खो बैठे हैं। इससे उत्तर प्रदेश को लाभ होने वाला नहीं है।

यह सोचने की बात है कि जो यह हदबन्दी की जा रही है उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में कितनी जमीन बची हुई है जिससे भूमिहीन लोगों को लाभ पहुंच सकता है। मैं चाहता हूं उनको लाभ हो लेकिन कहीं ऐसा न हो कि उनको लाभ न हो और दूसरों की हानि हो जाय। इस सूबे में ५।। लाख एकड़ जमीन खेतिहर और भूमिहीन वर्ग को दी जा सकती है। इसको अगर देखा जाय तो कम से कम ३६ लाख आबादी ऐसी है जिसमें अगर एक परिवार में ६ आदमी मान लिये जायं तो ६ लाख परिवार हुये। एक परिवार को १ एकड़ भी जमीन नहीं मिल सकती है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि अगर यह मान लिया जाय कि इस प्रदेश में भूमि का बटवारा किया जाय या जिनके पास आराजी काफी है उसके लिये सीलिंग कर दी जाय तो फिर उनसे कितनी जमीन निकल सकती है, यह देखने की बात है। मैं यह बता सकता हूं कि इससे लाभ नहीं हो सकता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं और उनको मालिक समझ कर यह निवेदन करता हूं कि वह कोई आधार बतावें कि जिस पर कोई सीमा भूमि के क्षेत्रफल और उसके उत्पादन में हो सकती है? यह हो सकता है कि हमारी बात क्रोध में आकर सुनी न जाय लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हम आपकी बात को सुनना चाहते हैं और धीरे से, शान्ति से आप हमारी बात को सुन लीजिये। अगर मैं गलती पर हूं तो मैं सुधर जाऊंगा और यदि आप गलती पर हैं तो आप गलती को सुधारने का कष्ट करें इसमें कोई रोष की बात नहीं है। श्रीमन्, १९४२-४३ और १९४४-४५ में इम्पीरियल काउन्सिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से गन्ने के उत्पादन में एक सर्वे कराया गया और इन दोनों सालों में यह तय नहीं हो पाया कि भूमि के क्षेत्रफल का कोई प्रभाव उसके उत्पादन पर भी पड़ता है। हमारे मिस्टर अग्रवाल उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर एकोनामिस्ट हैं। वह भी इस सम्बन्ध में मेरठ और मुजफ्फरनगर में अनुसंधान कर रहे हैं। मेरठ वह जिला है कि जहां से हमारे माल मंत्री जी आते हैं और दुःख है कि इस समय वह यहां उपस्थित नहीं हैं। वह हमारे मिस्टर अग्रवाल साहब भी नहीं बता सकते कि प्रति एकड़ उत्पादन में और भूमि के क्षेत्रफल में कोई सम्बन्ध है या नहीं। तो मैं नहीं समझ पाता कि मंत्री महोदय या उस तरफ के लोग जो हदबन्दी का नारा लगाते हैं वह किस आधार पर? क्राप कटिंग की गयी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन उससे भी यह सिद्ध नहीं हो पाया कि उसमें कोई अन्तर पड़ता है। एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जोन एल० बक ने चाइनीज फार्म एकोनामी के सम्बन्ध में एक किताब लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि भूमि के एकरेज में और प्रोडक्शन में कोई कोरिलेशन नहीं है। मैं इन अथारिटीज को कोट कर रहा हूं और इसके बाद मेरे दोस्त जो कहना चाहेंगे उसको मैं सुनने को तैयार हूं। केवल यह कहने से लाभ नहीं होगा कि यह लोग प्रतिक्रियावादी हैं। हम उतने ही प्रगतिशील हैं जितने कि हमारे वे दोस्त जो उधर बैठे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम उस अंधविश्वास में नहीं पड़े हैं कि जिस मार्ग का हमको ज्ञान नहीं है उस पर भी बढ़ते जायं, हम ऐसे मार्ग पर पदारोपण नहीं करना चाहते कि जो हमारे लिये भविष्य में भयानक सिद्ध हों। माननीय नेता विरोधी दल

को भी कल नारे लगाने का शौक हुआ। कहा कि पुराने जमींदारों के कुएं सरकार ले ले। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह आज ले ले, कल ले ले, परसों ले ले, लेकिन इतनी मेहरबानी जरूर कर लें कि वह जरा जमींदारी एबालिशन ऐक्ट को पढ़ लें। अगर वह लेते हैं तो कंपेंसेशन देना होगा। उनको अगर सरकार बनाना चाहती है, आप बनाना चाहते हैं तो बनवा लीजिये।

शताब्दियों से हमने यह सुना है कि भारतवर्ष में अवतार होता है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां उस समय तक विकास नहीं हो सकता जब तक कि हम इस बात को अच्छी तरह समझ न लें । अगर हम व्यक्ति को, मनुष्य को अवतार के रूप में देखेंगे तो इस देश का और प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता । मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वह व्यक्ति चोटी का ही क्यों न हो, अगर वह यह कहता है कि हम सीलिंग करके आमदनी पर सीमा नहीं लगा रहे हैं यानी इन्कम पर सीमा नहीं बांध रहे हैं, तो इस से बढ़ कर गलत बात और हो नहीं सकती। अगर काश्मीर की तरह जाफरान बोवायी जाय या मैसूर की तरह सोना निकाला जाय या अफ्रीका की तरह हीरा निकाला जाय तो हो सकता है कि हमारी इन्कम पर असर न पड़े, लेकिन खेती के लिये अगर सीलिंग की जायगी तो यह कहा जाना कि लैंड पर सीलिंग से एग्रीकल्चर इन्कम पर कोई सीलिंग नहीं होगी, एक ऐसी गलत बात है कि जिसको अगर अपनाया गया तो उसमें हमारा हित नहीं हो सकता । मैं पूछना चाहता हूं कि खेतिहर की आय पर आप सीलिंग लगाना चाहते हैं इस आड़ में कि हम सीलिंग जमीन की कर रहे हैं, आय पर सीलिंग नहीं कर रहे हैं । हो सकता है कि हमारे प्रधान मन्त्री यह बात कहते हैं मगर वे कोई भगवान नहीं हैं, कोई अवतार नहीं हैं इस भारतवर्ष में । सीधी बात को सीधा कहने में अच्छाई होती है । आज उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा नहीं है कि वह यह न समझ सके कि एग्रीकल्चरल इन्कम क्या है ? सीलिंग लैंड पर की जा रही है या इन्कम पर की जा रही है ? शहरों में आमदनी पर सीलिंग लगाने में आपको क्या आपत्ति है ? टाटा, बिरला, डालमिया की इन्कम पर सीलिंग लगाने में आपको क्या आपत्ति है ? मैं आंकड़ों से सिद्ध करना चाहता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में आमदनी का क्या रेशियो रहा--१९५०-५१ में एग्रीकल्चर में ५०० रु०, सर्विसेज में ८०० रु०, स्माल एन्टर-प्राइजेज में ८०० रु०, कम्यूनिकेशन्स वगैरह में १,५०० रु० और माईनिंग वगैरह में १,७०० रु०। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि कौन सा आपका सिद्धान्त है । अगर आप सीलिंग कृषि पर लगाते हैं तो लाजमी है कि टाटा, बिरला और डालमिया की इन्कम पर भी सीलिंग लगाइये । इस सीलिंग शब्द की परिभाषा करने में जो माहिर हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यही सिद्धांत है कि एक तरफ एक सेक्शन तो मरता जाय और दूसरी तरफ लोग करोड़पति होते जायं, यह कहां तक चल पावेगा ?

एक बात यह कही जाती है कि अपोजीशन सुझाव नहीं देता और कहा जाता है कि हम हवा में बोलते हैं । मैं पूछना चाहता हूं और वे बतावें कि किस तरह से यह साबित हो सकता है कि जमीन कम करने से उत्पादन बढ़ सकेगा । मैंने इस वजह से इस बात को छेड़ दिया कि इस बात को सोच लिया जाय और विचार कर लिया जाय ।

श्रीमन्, मैं कोआपरेटिव फार्म्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । माननीय नेता जनसंघ ने भी यह कह दिया कि हदबन्दी होनी चाहिये । मैं यह नहीं समझ पाता कि कोआपरेटिव फार्मिंग उनको नहीं चाहिये, स्टेट ट्रेडिंग उनको नहीं चाहिये लेकिन सीलिंग उनको चाहिये । इस सरकार को कोआपरेटिव फार्मिंग चाहिये लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग नहीं चाहिये जो कि लाजिकल कान्सिक्वेन्स है उस चीज का । मैं नहीं समझ पाता कि आज किन सिद्धान्तों पर पोलिटिकल पार्टीज अपने को आधारित कर रही हैं । एक चीज अगर आप मानते हैं तो उसका जो नेचुरल लाजिकल परिणाम होगा उसको भी आपको मानना होगा । कोआपरेटिव फार्मिंग अगर हिन्दोस्तान में होती है तो वह अपने आप जैसे कि चीन में कलेक्टिव फार्मिंग होती है उसकी तरफ या कलेक्टिव प्रोप्राइटरशिप की तरफ जायगी । आपके दिल में क्या है मैं नहीं समझ सकता, लेकिन आपकी बुद्धि में यह अवश्य है कि जो झारखंडेराय जी चाहते हैं उसी को आप हर साल करते जाते हैं। हो सकता है कि आपके सामने पोलिटिकल थंडर आ रहे हों, लेकिन आप यह

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

न भूलिये कि आपकी यह गलती ऐसी साबित होगी जिससे आपका बैठना और भागना दुर्लभ हो जायेगा । आपको चाहिये कि आप जो काम करे वह निश्चयात्मक रूप से करे । आप अगर हर एक को प्रसन्न करके काम करना चाहेंगे तो उसका परिणाम आपके लिये अच्छा नहीं होगा । झारखंडेराय जी तो उस समय आयेंगे जब आप समाप्त ही नहीं पायेंगे । मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है । हम खेतिहर हैं और हम जानना चाहते हैं कि सरकार की नीति क्या है, उसको हमें साफ तौर से बतायें । मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग को साफ कर लें ।

माननीय सहकारिता मंत्री लापता हैं । बाद में वे आयेंगे और उनको पर्चा लेकर दे दिया जायगा । मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा फार्म कोआपरेटिव फार्म है । मैं जानना चाहता हूं कि इजराइल को छोड़कर कौन सा ऐसा देश है जहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग सफल हुई है ? मैक्सिको में कम से कम २५ साल से इसको अपनाया जा रहा है लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पायी । क्या गवर्नमेंट फार्म घाटे में नहीं जा रहा है ? क्या मेकेनाइज्ड फार्म ४,६५,४५६ रुपये के घाटे में नहीं है ? कोआपरेटिव फार्म की जो आमदनी है वह १.२ प्रति एकड़ प्रति वर्ष है । मैं सर्विस में कोआपरेशन हो इसके खिलाफ नहीं हूं । लेकिन कोआपरेटिव के लिये यह जरूरी है कि आपको एक वातावरण उत्पन्न करना होगा जिससे लोग कोआपरेटिव फार्मिंग को अपनायें । आप उसको कानून के द्वारा लागू नहीं कर सकते, उसको आपको वालंटरी करना होगा । सहकारिता ही वह क्या है जो जबरदस्ती हो । अगर जबरदस्ती हुई तो सहकारिता के माने और परिभाषा ही समाप्त हो जायगी ।

महंगाई बढ़ रही है, जनता खाने बगैर मर रही है । स्वतंत्रता को ११ वर्ष हो गये, द्वितीय महायुद्ध के समय भी वह भाव नहीं थे जो आज हैं ।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज कांग्रेस सरकार स्टेट ट्रेडिंग की बात चिल्लाती है । उसने उसके बारे में क्या किया है ? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सुझाव स्टेट ट्रेडिंग के बारे में आया है, सरकार को उसके बारे में सदन का विश्वास प्राप्त करना चाहिये । उसको सदन को बताना चाहिये कि उसकी रूपरेखा क्या है । माननीय नेता विरोधी दल फरमा रहे थे कि सरकार ने भाव कम करने की कोशिश की लेकिन मजबूरी रही । लेकिन मैं कहता हूं कि उसको कोई मजबूरी नहीं थी । मैं सरकार के ऊपर यह चार्ज लगाता हूं कि उसने कोशिश नहीं की और होर्डर्स और प्राफीटियर्स के खिलाफ उसने कोई कदम नहीं उठाया । श्रीमन्, अगर माननीय सदस्य मुझे सुनना चाहें तो कुछ समय और दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य के २० मिनट में से १८ मिनट हो चुके हैं और केवल २ मिनट बाकी हैं ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---श्रीमन्, मैं उसका कारण जानना चाहूंगा । जो गल्ले के व्यापारी हैं, सरकार की उनसे हमदर्दी है । सरकार उनके गोदामों और घर से गल्ले को ले सकती थी, लेकिन व्यापारियों के ऊपर उसने हाथ नहीं उठाया । उनके ऊपर हाथ उठाने के लिये सरकार के हाथ में बल नहीं है । धिक्कार है ऐसी सरकार को जो कहती है कि वह समाजवाद लाना चाहती है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे जब कि चन्द मुट्ठी भर व्यापारियों के हाथ में सूबे को सुपुर्द कर चुके हैं । यही नहीं, जहां तक प्लानिंग की बात है, प्लानिंग कमीशन के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यह भी विधाता की अनुकम्पा है कि हिन्दुस्तान की प्लानिंग वे कर रहे हैं जो प्लानिंग का नाम भी नहीं जानते हैं ।

अब मैं पापुलेशन के बारे में कुछ कहूंगा । आबादी बढ़ती जा रही है । प्रधान मंत्री लाख कहते हैं, मिस्टर हक्सले बार बार कहते हैं कि आप की जैसी भी नीति हो, आप की जितनी

भी करामात हो, वह सफल नहीं हो सकती जब तक कि पापुलेशन के ऊपर सरकार कंट्रोल नहीं करती। सरकार में दूरदर्शिता नहीं है, उसमें समझ नहीं है। क्या हुकूमत का यही दौर है, आप क्या कर रहे हैं ?

कुमारी कमलकुमारी गोइंदी (जिला इलाहाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सन् १९५९–६० के लिये प्रस्तुत बजट का स्वागत करती हूं। यह बजट साधारण होते हुये भी असाधारण है। यह बजट हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना के चौथे साल का है। दो तीन वर्ष पहिले इस सूबे में जो आपत्तियां पैदा हुईं उन सबका सामना करते हुये हम अपने कदम को आगे बढ़ा सके तो यह बजट साधारण होते हुये भी असाधारण है। कौन माननीय सदस्य इससे परिचित नहीं है कि देश के अन्दर कौन कौन सी आपत्ति आयीं ?

मैं आपका ध्यान थोड़ा सा खेती की उपज की तरफ दिलाना चाहती हूं। तराई की उपज के बारे में मेरे खयाल से इस सदन के सभी सदस्य परिचित हैं। इस इलाके में बीमारी तथा जानवरों की भयानकता के कारण एक भी व्यक्ति बच नहीं सकता था, लेकिन किन कठिनाइयों के साथ सरकार ने इस इलाके में लोगों को बसाया और वहां, मक्का, चना, गन्ना और चावल का उत्पादन कितना अधिक हुआ, यह माननीय सदस्यों को मालूम होगा। पश्चिम में बाढ़ से जहां ६ लाख टन मक्का पहिले पैदा होती थी वह खत्म हो गयी लेकिन इस तराई की भूमि के कारण ७.८४ लाख टन केवल मक्का पैदा हुआ जिससे वह कमी कुछ हद तक पूरी हो गई। दूसरी तरफ नहरों और ट्यूबवेल्स के किनारे की बहुत सी भूमि जो सूखी पड़ी रहती थी और जहां लोग पानी के लिये तरसते थे वहां भी अच्छी फसल पैदा हुई और इस तरह से प्रदेश की जनता ने उस भयानक परिस्थिति का सामना किया। यह भी सरकार की ही देन है। मैं निहायत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि यहां पर बहुत सी ऐसी चीजें पैदा हुईं और हमारे यहां जो गल्ले की कमी थी उसको पूरा किया गया। पश्चिमी और पूर्वी जिलों में जो आपत्तियां आयीं उसके बावजूद भी केवल १० प्रतिशत उपज घटी है। दूसरी ओर १,२५७ हजार एकड़ जमीन इर्रीगेशन के अन्दर आयी और भूमि रिक्लेमेशन के जरिये भी उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, जनता गरीब है और बहुत सी दीगर चीजें भी हैं, लेकिन यह सब कुछ हुआ।

दूसरे साधन काम देने वाले उद्योग-धन्धे हो सकते हैं। सीमेंट में हम सरप्लस रहे। चीनी में १२ करोड़ का फारेन एक्सचेंज हम लाये। घरेलू-उद्योग धन्धों के अन्दर मिर्जापुर तथा बनारस के कालीन है और मेरठ का sports goods है। उससे हम करोड़ों रुपया फारेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मशीनों ने काफी तरक्की की है और बाहर के देशों में बना हुआ सामान भेजने में ये सहायक हो रहे हैं और बाकी चीजें तो राह जाते हुये को दिखाई दे सकती हैं जैसे सड़कें, अस्पताल और स्कूल इत्यादि।

यह सब कुछ होते हुये हमें बहुत ही गम्भीरतापूर्वक इस परिस्थिति को देखना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की तरफ हमारी सरकार बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। हमारा उद्देश्य समाजवादी समाज का ढांचा कायम करना है। ऐसा समाज जो हमारी अवस्था के मुताबिक हो, यह केवल गांधी जी की विचारधारा के अनुकूल चलने पर ही हो सकता है। गांधी जी की विचारधारा क्या है ? यह है कि सब गांव अपने ऊपर निर्भर होने के काबिल हो जायं। इसलिये देखना यह है कि क्या सरकार ने उस तरफ कदम बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है।

पहली चीज न्याय को ले लीजिये। इसके लिये ग्राम पंचायतें देहातों में स्थापित कर दी हैं ताकि उनको सस्ता न्याय मिल सके। लेकिन हुआ क्या ? ढांचा हमको मिला साधन हमको मिल गया जो सरकार का काम था। अब सब जनसेवियों का, आपका और हमारा काम है कि इस ढांचे के अन्दर रूह डालें। जैसे कि शरीर बिना रूह के जीवित नहीं रह सकता उसी तरह किसी चीज का ढांचा कितना ही सुन्दर क्यों न हो उसके अन्दर रूह लाने के लिये जन-सेवियों की आहुति व प्रेम चाहिये और उसके लिये हमको अच्छा चरित्र कायम करना होगा। यह हम सबका काम है कि गांवों में झगड़े न हों, हों तो वहीं उनका निपटारा हो जाय। अगर

[कुमारी कमलकुमारी गोईदी]

ऊपर जायं तो वकीलों का यह रवैया हो कि वे अपने मुवक्किल को केवल बचाने के लिये पैरवी न करें, इंसाफ कराने की कोशिश करें और चाहे इंसाफ और कानून के अन्दर सजा में कमी करवा दें facts बदल कर नहीं। हम और आप तब उन झगड़ों को मिटाने में सहायक हों। मैं निश्चय-पूर्वक कह सकती हूं कि जहां के जनसेवी झगड़ों के बीच में पड़ जाते हैं वहां झगड़े कम होते हैं और अगर जनसेवी कहीं एक ग्रुप व दूसरे ग्रुप के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वहां झगड़े बढ़ जाते हैं।

दूसरी चीज यह है कि सदन के सभी सदस्यों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी भूमि है ५० फीसदी मौजूदा जनता को हम उस पर काम दे सकते हैं, बाकी सारी जनता को उद्योग-धन्धों में लगाना पड़ेगा। हमारे पास घरेलू उद्योग-धन्धों का ढांचा मौजूद है और बड़ी दस्तकारियों का ढांचा भी हमारे पास मौजूद है। अगर गांवों से निकल कर व्यक्ति शहरों में आते हैं तो खुद भी परेशान होंगे और शहरों की आर्थिक हालत भी खराब होगी। तो गांवों में ही ५० फीसदी जनता को काम कैसे दिया जाय? इसके लिये एक ही साधन है कि हम सब मिल-कर छोटी छोटी दस्तकारियां वहां खोलें, खोलने में सहायक हों और उसका काफी प्रचार करें। उनको उत्पादन का प्रयोग हम अपने घरों में करें और करायें। यह सरकारी तौर पर ही नहीं अपने व्यावहारिक जीवन के अन्दर उस चीज को ला कर जनता के सामने रख दें। हम देखते हैं कि गांवों का पैसा किस तरह से बाहर आता है। वह आवश्यकताओं के जरिये बाहर आता है। अगर वे आवश्यकतायें वहीं यानी गांवों में ही पूरी हो जायं तो वह पैसा गांव वालों के पास ही बच सकेगा जिससे उनकी आमदनी बढ़ सकती है। जैसे कपड़ा है अगर वह उन्हीं के हाथों वहां बने और उसका प्रयोग हो तो अनेक प्रकार के धंधे जैसे कि उत्पन्न हो रहे हैं और होते चले जायेंगे। रंगाई, बुनाई, धुलाई यह सब सहायक धंधे हैं। इसी तरह से चमड़े का उद्योग भी अगर देहात में हो तो उससे भी उनको ज्यादा फायदा होगा। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि देहाती वस्तुओं के प्रयोग का प्रचार किया जाय जिससे बेरोजगारी भी दूर होगी और जैसा यादवेन्द्र दत्त दुबे जी ने कहा कि शहरों की आमदनी अधिक है और गांवों की कम है, वह भी असमानता दूर होगी। लोग शहरों में नहीं जायेंगे उनको वहीं काम और दाम मिलेंगे। काम उनको कोआपरेटिव्ज के जरिये से दिया जा सकता है जिसके लिये सरकार ने प्रोवीजन रख दिया है।

इसके अलावा मैं दो, तीन बातों की तरफ अपनी सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं सबसे पहले शराबबन्दी को लीजिये। इसकी तरफ सरकार का कदम धीमा उठ रहा है। कुल ३,००,००,००० रु० की आमदनी सरकार की कम होगी। लेकिन शराबबन्दी पूरी तरह से न होने का परिणाम भी देख लिया जाय। आज हजारों मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास फेमिलीज इस शराब के कारण बरबाद हैं। मुझे उन औरतों ने अपनी गाथायें सुनायी हैं जिसके पति शराब पीते हैं। मैं कहती हूं कि बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिनमें से ३,००,००,००० रु० निकाला जा सकता है। मेरा सुझाव है कि हमारे लगभग ५०,००,००० विद्यार्थी हैं अगर हम उनसे ८ आना महीने का भी कोई गृह उद्योग करायें तो वह कमी पूरी हो जायगी। इसलिए मैं कहती हूं कि शराबबन्दी को एकदम पूरे प्रदेश में लागू कर देना चाहिए।

दूसरी चीज थोड़े वेतन पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह की बढ़ती के बारे में है माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में १९ वें पेज पर कहा है "उद्योगों के अलावा दुसरी जगहों में काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी इस बढ़ती का फायदा दिया जायगा।" भला उद्योग को अलावा क्यों है? उनको क्यों छोड़ दिया गया है। मैं जानती हूं इलाहाबाद प्रेस के जो मजदूर है और लखनउ गवर्नमेंट प्रेस के जो मजदूर हैं उनको ५० रु० केवल मिलते हैं। और किसी भी कंडीशन में वे अपनी फेमली को यहां नहीं रख सकते है, क्योंकि १० या १५ रुपया उन गरीबों को मकान का किराया देना होता है। अगर हमारी सरकार यह समझती हो कि यह कारखाने मुनाफा नहीं निकालते, इसलिये हम उद्योग-धंधों के कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा सकते, तो काम के यूनिट फिक्स करें कि कितने यूनिट वह काम करेगा तो इतना धन उसको मिल जायगा। लेकिन उनको यह २ १/२ रु० की तरक्की मिलनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त गरीब इलाकों में रहट वाले कुयें बनाकर दें और पानी के कुएं भी सरकार गरीब इलाकों में बनाकर दे। यह बेचारे गरीब किसान के वश की बात नहीं है क्योंकि जो भी तकावी उसको मिलती है वह इधर-उधर भी खर्च करने के लिये वे मजबूर होते हैं।

एक चीज मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी के भाषण के बारे में कहना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि तपेदिक के मरीजों के लिये दवाई का प्रबन्ध हो। मैं यह कहना चाहती हूं कि उन्हें इसकी डिसेन्ट्रेलाइजेशन के लिये भी कहना चाहिए था कि तपेदिक के मरीजों के लिये गांव के बाहर छोटे-छोटे झोपड़े बनवाए जांय। अगर हम इतने बेडिंग नहीं दे सकते हैं तो झोपड़ियां बनाई जायं और मेडिकल आउट पोस्ट हों जिसके ऊपर कभी-कभी डाक्टर जा कर पीरियाडिकल देख-भाल करें। तो इस ओर भी ध्यान देकर मेडिकल आउट पोस्ट्स का प्रबन्ध हो जाय।

इसके अलावा हमारे सामने देहाती एरिया में भट्टों के लिये कोयला तथा रहट के लिये लोहे की आवश्यकता भी है, इसका प्रबन्ध उचित ढंग से होना चाहिए। लोहे की कमी के कारण रहट नहीं बन पाते हैं, और ईंटों की कमी के कारण कुएं। इसके बाद मैं एक-दो बात माननीय त्रिलोकी सिंह जी के और अन्य सदस्यों के भाषण के बारे में कहना चाहती हूं। उपज के आंकड़े के लिय १९०२ पर जाना पड़ा। १९५३–५४ के आंकड़े भी दिये गये। उधर से मोस्ट फेवरेबिल और इधर से मोस्ट अनफेवरेबिल लेकर उनकी तुलना कर दी गई। माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि १९०२ में उत्तर प्रदेश में केवल नहरों के किनारे ही गेहूं बोया जाता था। आज गेहूं, क्योंकि लोग ज्यादा खाने लगे, हर जगह अच्छी-बुरी जगह बोया जाता है। इसलिए प्रति एकड़ औसत कम है।

टैक्स के बारे में मुझे यह कहना है कि टैक्स के बढ़ाने की शिकायत और वेतन के कम होने की शिकायत, यह दो चीजें मिलेंगी कहां? किस तरह टक्कर खायेंगी। अगर वेतन को बढ़ाना है तो आमदनी को भी पूरा करना है। जो भी समझदार और बहादुर सरकार होगी, वह अपनी अनपाप्युलरिटी से नहीं डरेगी। जिन चीजों से लाभ होता हो, फैक्टरी, नहरें आदि उन पर जो कर्जा लेकर भी लगाएगी लेकिन जिन कामों से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ न होना हो उसके ऊपर कर्ज लेकर लगाना पसन्द नहीं करेगी। अपनी अनपाप्युलरिटी के विचार से यदि ऐसा न करे तो वह छोटेपन की बात होगी। इसलिए मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहती हूं कि चीजों की डिमांड को कम कर दीजिये यदि टैक्स कम करवाने हैं। हम भी जानते हैं कि जनता गरीब है और वह इतना बोझ नहीं सहन कर सकती इसलिये हमारी डिमान्ड भी कम होनी चाहिये, हम कहें कि हमारी सड़क अभी दस साल बाद बना दी जाय, हमारे वेतन अभी इतने ही रहने दिये जांय, जब हालत ठीक हो तब बढ़ा दिये जायं। मेरा नम्र निवेदन है कि इधर के लोग भी उधर के लोगों की ही तरह जनता से चुन कर आये हैं और उनको भी जनता से उन से कम हमदर्दी नहीं है। मैं केवल इतने ही विचार सदन के सम्मुख रखती हूं। बहुत सी बातें रह गईं लेकिन समय कम होने के कारण मैं अब बन्द करती हूं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष––अब श्री रूम सिंह बोलेंगे, पुजारी जी को समय कल दिया जायगा।

***श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)––श्रीमान् जी, मुझे समय देने में सब हिचक जाते हैं, सरकार भी थर्राती है। सदन में तो एलान किया जाता है कि समाजवाद का निर्माण होगा, लेकिन पूंजीपतियों का निर्माण होता चला जा रहा है, क्योंकि यह भी तो पूंजीपति हैं जो ज्यादा बोलते हैं। मुझे भी १५ मिनट मिल जायं तो बड़ी कृपा हो...

श्री उपाध्यक्ष––मैंने तो आप से कह दिया कि आप को कल समय दिया जायगा, लकिन आप तो बोलते चले जा रहे हैं...

श्री टीकाराम पुजारी––श्रीमन्, मैं तो अधिक समय नहीं लूंगा १५ मिनट...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---आप अब कृपया शान्त रहें नहीं तो मुझे आप को सदन छोड़ने के लिये कहने के वास्ते मजबूर होना पड़ेगा। कृपया बैठिये।

***श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो बजट पेश है वह घाटे का बजट है, हर साल सरकार घाटे का बजट पेश करती है और सरकार की मंशा इससे यह है कि जिस तरह से गन्ने के कारखानों के मालिक गन्ने का सीजन आने से पहले एक मास पहले से ही चीनी का भाव सस्ता कर देते हैं ताकि किसान गन्ने के दाम अधिक न मांगें। इसी तरह से सरकार हर साल घाटे का बजट पेश करती है। देखा गया है कि १९५७-५८ में भी घाटे का बजट आया और बाद में उस साल ५ १/२ करोड़ की बचत हुई। इसी तरह से १९५८-५९ का बजट ४ १/२ करोड़ घाटे का पेश किया गया और उसमें भी अन्त में आंकड़ों से जाहिर है कि घाटा नहीं रहा। इस साल भी जब अन्त में ठीक आंकड़े आवेंगे तो बचत ही होगी। इस तरह से सरकार जानकर बजट घाटे का बनाती है और बाद में बचत हो जाती है।

सदन को ज्ञात है कि देश में खाद्य समस्या कितनी गम्भीर हो गई है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह देखें कि आज गांवों की क्या हालत है, मैं गांव का रहने वाला हूं और शहर से ३०-३५ मील दूर जिले के कोने के एक गांव में रहता हूं। हम देखते हैं कि सरकार इन गांवों की ओर कोई ध्यान नहीं देती, सरकार भी महसूस करेगी और सदन के सभी माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि हमारे गांव आज नरक हो रहे हैं। गांव में खाद कूड़ा, मल, मूत्र सब कुछ तालाबों के किनारे डाला जाता है और वह सब बरसात में बहकर तालाबों के अन्दर पहुंच जाता है। उन्हीं तालाबों का पानी पशु पीते हैं जिससे-दूध घी बनता है और सभी उसका प्रयोग करते हैं। सरकार ने ग्रामीण जनता में देशी खाद का शौक पैदा नहीं किया, बल्कि आज किसान को कारखानों में बने हुये खाद का शौक कराया जा रहा है और गांव का खाद बरबाद हो रहा है। आज कहा जाता है कि उपज कम होती है। इसका कारण क्या है? मेरे खयाल से आज गांव के किसान घर के खाद की तरफ ध्यान नहीं देते। और सरकार ने इस प्रकार का कतई प्रयत्न नहीं किया है कि ग्रामीण काश्तकार अपनी खाद की तरफ तवज्जह दें और गड्ढे में बाकायदा खाद डालें।

श्री उपाध्यक्ष---सदन में शान्ति नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि शोर व गुल न हो।

श्री रूमसिंह---तो सरकार ने खाद के गड्ढे बनाने के लिए कभी भूमि का प्रबन्ध नहीं किया जिसमें कि गांव के काश्तकार अपना खाद इकट्ठा कर सकें। वह मजबूर हैं कि अपनी खाद ताल के किनारे या अपने दरवाजे के सामने डालें। वह भी बरसात में बरबाद हो जाती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि गांव में खाद को कम्पोस्ट के ढंग पर बनाया जाय। अगर खाद की समस्या हल हो जाय तो मैं विश्वास दिलाये देता हूं कि खाद्य की समस्या भी तुरन्त हल हो जायगी और इतना गल्ला पैदा होगा कि हम अपने देश का भी पेट भर सकें और विदेश को भी भेज सकते हैं। मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि गांव में खाद के गड्ढे बना दिये जायं, लेकिन कैसे बनाये जायं? अगर बनाये जायंगे तो फिर विदेशी खाद जो प्राइवेट और सरकारी कम्पनियों द्वारा बेची जाती है वह काश्तकार नहीं खरीदेगा, और नहीं खरीदेगा तो न सरकार का फायदा होगा और न उन प्राइवेट कम्पनियों का होगा। इसलिए खास तौर से जान-बूझकर खाद के गड्ढे नहीं बनवा रहे हैं और इसी कारण से यह अन्न की समस्या हमारे सामने है।

मैंने जहां तक समझा है सरकार विदेशी चीजों का शौक पैदा कर रही है। बाहर से मशीनरी मंगा रही है जिससे लाखों, करोड़ों आदमी बेकार हो जाते हैं। गांवों में आरा मशीन आ गयी है। हमारे गाँव में १५-२० घर जो बढ़इयों के थे उनके आरे, बसूली और हथौड़ा कोने में रख दिये गये, वे फाकाकशी कर रहे हैं। तेल की मशीन आयी तो तेली बेकार हो गये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। आटे की मशीन आने से गांव की पिसनहारी बेकार हो गयी हैं। उनकी रोजी छिन गयी। इसका कारण यह है कि सरकार का रुझान ग्रामीण जनता या गरीबों की तरफ नहीं है, अमीरों की तरफ है। आवश्यकता इस बात की है कि जो काम आज इन्सान कर सकता है उसको मशीन से न लिया जाय और जिस काम को यहां की मशीन से किया जा सकता है उसके लिये विदेशी मशीन न मंगायें। हां, जब कोई रास्ता न हो तो मंगायें। हम तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सरकार मशीनों के मंगाने में करोड़ों और अरबों रुपया विदेशों को दे रही है और चन्द आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिये ग्रामीणों को नुक्सान पहुंचा रही है। कम से कम सारे कर्मचारी, लेखपाल, नियोजन विभाग के जो हैं उनको कम्पोस्ट खाद के गड्ढे तैयार कराने में लगाया जाय ताकि हमारी पैदावार बढ़ सके। और कम से कम ऐसे कानून बनाये जायं कि जो देहातों में मशीनें भेजी जा रही हैं उनको न भेजा जाय और उन पर रोक लगा दी जाय। ऐसी मशीनें गांवों में न जायं जो ग्रामीणों का काम छीन लें।

इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि १९५५ में जो प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी थी वह १९५६ में नहीं रही और जो १९५६–५७ में थी वह १९५८–५९ में नहीं रही। इस तरह से हमारे प्रदेश की आमदनी बराबर गिरती चली जा रही है और बजट बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ से यह कहा जा सकता है कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। तो जहां तक इसका सवाल है आबादी का प्रदेश की कुल आय पर कोई असर नहीं पड़ता है, व्यक्ति की आय पर पड़ सकता है। इससे पता चलता है कि सरकार का रुझान बड़े-बड़े अमीरों की तरफ ही है और शहर को सरकार सजा रही है। शहरों में एक मील सड़क बनाने में १०–१५ लाख रुपया खर्च किया जाता है और गांवों में ५–६ हजार से ज्यादा खर्च नहीं किया जाता है। इसलिए ऐसी योजना बनाई जाय कि किसी भी सड़क पर १० हजार से ५० हजार तक खर्च किया जाय। इससे ज्यादा खर्च न किया जाय। देहात के अन्दर बरसात में बहुत से गांव फंस जाते हैं, बैलगाड़ी तथा रहलू के लिये रास्ता नहीं रह जाता है और यहां तक कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारी सरकार ने ऐसा कर रखा है कि "किसी को घी घना, किसी को मुट्ठी चना और किसी को वह भी नहीं" यह मिसाल हमारी सरकार ने चरितार्थ कर दी है।

आज यदि आमदनी को लिया जाय तो शहरी क्षेत्र की आमदनी ७०० रुपये और देहाती क्षेत्र की १७५ रुपये है। शहरों में रिक्शेवाले भी आ जाते हैं जिनकी आमदनी दो रुपये रोज है। अगर एक परिवार में ४-५ आदमी हों तो मुश्किल से ८ आने फी कस पड़ता है। अगर लखनऊ की ही आमदनी देखी जाय तो ६ लाख में से ३–४ लाख की आबादी कारीगरों और मजदूरों की है उनकी आमदनी के मुकाबले में थोड़े से आदमी हैं जिनको हजारों रुपये रोज की आमदनी होती है। इसलिये सरकार जो आंकड़ों का जाल खड़ा करती है उसमें न पड़ना चाहिये। हमें देखना यह है कि सरकार गरीबों के खाने-पीने, रहने सहने और दवा दारू के लिये क्या कर रही है। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सरकार बजट का सारा रुपया अमीरों पर ही खर्च कर रही है। लेकिन कहने के लिये यह बजट गरीबों के लिये है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है इसमें अंग्रेजी को खत्म करने का कहीं भी संकेत नहीं है। माननीय सदस्य ७०-८० हजार वोटरों द्वारा चुने जाते हैं वह (वोटर) अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो विदेशी भाषा धारा प्रवाह के साथ बोलते हैं। वह रोजमर्रा के काम अंग्रेजी में नहीं चलाते होंगे, नौकरों से तथा बच्चों से अंग्रेजी में नहीं बोलते होंगे और न रोजमर्रा की बातें करते हैं घरेलू तरीके से लेकिन जब हाउस में जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं जिससे जो ग्रामीण क्षेत्रों से, सदस्य चुन कर आते हैं वह नहीं जानते हैं और न जानना चाहिये। इस विदेशी भाषा को तो उन थोड़े से आदमियों को जानना चाहिये जो देश विदेशों में जायं। हम लोग नहीं सीख पाये हैं इसलिये हम लोगों को जानबूझ कर अंधेरे में रखा जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार विदेशी भाषा, विदेशी कपड़े, विदेशी मकान, विदेशी खाना और विदेशी मशीनों का सहारा लेकर देश को चौपट करना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री रूर्मासिह---अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर रहा हूं, बल्कि विरोध कर रहा हूं।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खड़े होने पर माननीय मिनिस्टर साहब भी हियर-हियर कर रहे हैं। ठीक ही है, अपनी फौज का सिपाही जब सामने जाता है तो खुशी मनानी ही चाहिए।

मैं अर्ज करता हूं कि बजट बहुत अच्छा है। सरकारी कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत और होशियारी से तैयार किया और आप के सामने पेश हुआ। इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री को, गवर्नमेंट को और सरकारी कर्मचारियों को मुबारकबाद देता हूं। साथ ही यह अर्ज करना चाहता हूं कि बजट अच्छा होने के बावजूद यह विरोधी दल मुखालिफत क्यों करता है, यह सवाल आसानी से उठ जायगा। जिन माननीय सदस्यगण ने त्याग किया है, स्वराज्य की लड़ाई में हमारे साथ थे, जेल भी हमारे साथ गये तो वे बुरी तरह से क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? बात क्या है? इसकी वजहें दो हैं। एक जायज और दूसरी नाजायज। एक राजनीतिक है और दूसरी सही है। मेरी गुजारिश यह है जो सही शिकायत हो उस को सरकार को सुनना चाहिए और कर देना चाहिए। हमारे दोस्तों ने शिकायत की कि ट्रेजरी बेंचेज पर कोई मिनिस्टर साहब नहीं हैं। मुझे खुद भी शिकायत है। मिनिस्टर साहब हैं, लेकिन मिसिल पर लिख रहे हैं। दो काम दिमाग नहीं कर सकता। अगर आप स्पीच सुनते हैं और मिसिल पर नोट भी लिखते हैं तो शब्द कहीं इधर से उधर हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। जो सज्जन स्पीच सुनें वह मिसिल न देखें। (व्यवधान) मुझे हक है कहने का। मैं अर्ज करता हूं वह सुनिये। अगर बात ठीक हो तो कर दीजिये।

अभी मेरे लायक दोस्त ने हिन्दी की तरफ ध्यान आकर्षित किया। पूरे हाउस ने पास किया कि हिन्दी में कार्यवाही हो। कई बार पंत जी ने आश्वासन दिया कि सारा काम हिन्दी में होगा। संविधान ने भी माना लेकिन हिन्दी में अभी कार्यवाही नहीं होती। इस पर मैं कई बार ध्यान आकर्षित करा चुका हूं और एक खबर और दे दूं। इस पर सत्याग्रह होने वाला है। हिन्दी पर अगर सत्याग्रह हो जाय और उसके बाद अगर कर देंगे तो श्रेय विरोधियों को मिलेगा और अगर आप पहले ही कर देंगे तो श्रेय आप को मिलेगा।

दूसरी बात आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि प्रोपेगैंडा करो, गवर्नमेंट को बदनाम करो, अशान्ति पैदा करो, हड़ताल करवाओ, किसान गन्ना देना चाहते थे, पिकेटिंग करवाई गयी। मेरी गुजारिश यह है कि प्रोपेगैंडा करने की छूट दे दी जाय और उसके बाद में गिरफ्तार किया जाय यह मुनासिब नहीं है। प्रोपेगैंडा का जवाब फौरन प्रोपेगैंडा से दे देना चाहिए। एक तरफ कहा जाय कि हड़ताल करो, आप जवाब दीजिये कि हड़ताल करना बुरा है। मैं बतलाये देता हूं कि प्रोपेगैंडा का जवाब डंडे से नहीं दिया जा सकता, जेलखाने से नहीं दिया जा सकता। बंदूक और गोली उसका जवाब नहीं दे सकती। डंडे का जवाब प्रोपेगैंडा दे सकता है इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने कहा है---

"खींचो न कमानों को, न शमशीर निकालो।
जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो॥"

प्रोपेगैंडा का जवाब अगर बन्दूक से दिया जाय तो बन्दूक हाथ में रह जाती है। तातियां टोपे के सामने जब सिपाही बन्दूक तान कर खड़े हो गये तो उसने कहा कि मेरी छाती खुली है, जितना तुम्हारा मन हो गोलियां चलाओ लेकिन बन्दूक वह नहीं चला पाये और इस तरह से बन्दूक हार मान जाती है। तो प्रोपेगैन्डे का जवाब डंडा नहीं दे सकता किन्तु डंडे का जवाब प्रोपेगैन्डा दे सकता है।

अभी लीडरी के शौक में द्राविड मुनेत्र कषगं का लीडर बनने के लिये नायर साहब की स्पीच हुई। उन्होंने खुले आम बहुत से लोगों को गाली दी और कहा कि फलां को मार दो,

फलां को निकाल दो। वह लिख नहीं सकते हैं लेकिन इस तरह से गाली दे सकते हैं और इस तरह से जातिवाद का नारा देश में फिर उठाना चाहते हैं। हम इस चीज को इस देश से मिटाना चाहते हैं। किसी समय में मुस्लिम लीग बड़े जोर से बोलती थी। उसके लिये बहुत प्रोपेगैन्डा किया गया। मुसलमान भाइयों ने कहा कि हमको देश का हिस्सा दिया जाय। उसका नतीजा यह हुआ कि मुल्क का बटवारा हुआ। कत्ले आम हुआ और देश तबाह हुआ। अगर यह हवा बह गई तो फिर यह रुकने वाली नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर तुरन्त एक्शन लिया जाय। इस तरह से काम नहीं चलेगा। नहीं तो खराबी रह जायगी। आप को इसकी जड़ पर जाना होगा।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि बजट कैसा बनाया जाय। ऐसा बजट हो कि उसका कोई विरोध न हो। कोई भी काम करने का तरीका यह नहीं है कि दोस्त उसकी तारीफ करें। काम तो वही होना चाहिये और वही काम अच्छा कहा जा सकता है कि जिसकी तारीफ मुखालिफ लोग भी करें। आप चाहते हैं कि बजट पर बोलें लेकिन बोलते क्या हैं उनकी शिकायत रह जाती है। बजट में उनको वह चीज दिखाई नहीं देती। बजट को क्रिटिसाइज किया जाता है महज इसलिये कि आप उसको आंख खोल कर नहीं देखते हैं। इस बात पर गौर किया जाय। मेरी प्रार्थना है कि अगर शौके लीडरी का है तो जहां पर ताकत होगी और खजाना होगा उसके लेने वाले पैदा होंगे। आपका काम यह है कि जिसके पास खजाना है उससे आप लीजिये लेकिन जहां पर विरोध का शौक है तो वहां पर फिर कहना ही क्या है। वहां पर प्रोपेगैन्डा किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को काम न करने के लिये उभारा जाता है। तीन-तीन सौ और चार-चार सौ रुपये पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिये उभाड़ा जाता है और इसके लिये कोशिश की जाती है। इससे नुक्सान होता है। मुझे तो अपने पर भी शक है। अगर काबलियत के लोग आयेंगे तो जरूर यहां पर परिवर्तन हो सकता है और बहुत दिनों तक यह कुर्सी हाथ में नहीं रह सकती है। "अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्याश्चैव निरादराः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते, दुर्भिक्षं मरणं भयम्" जहां पर पूज्य लोगों का ठीक प्रकार से आदर नहीं किया जाता है वहां पर तीन प्रकार की चीजें हुआ करती हैं। दुर्भिक्ष, मौत और भय वहां पर आया करती हैं। अगर धोखे धड़ी से काम लिया जायगा तो यह बहुत दिनों तक चलने वाली चीज नहीं है। इस खयाल को छोड़ दिया जाय कि सिर्फ हम लोगों ने ही स्वतंत्रता ली है या जेल जाने वालों ने स्वराज्य लिया है। किसी ने चन्दा दिया, किसी ने आदमी दिये, किसी ने मश्विरा दिया, कोई फांसी पर लटके इस तरह से सारी ताकत ने मिल कर आजादी ली। आज अगर हम यह कहें कि हमारा स्वराज्य है यह गलत बात है। सब का यह स्वराज्य है। जो जितना जिसके काबिल है उसको उतना ही सहयोग देना चाहिये। इसलिये गान्धी जी ने कहा था कि कांग्रेस को तोड़ दो। यह सरकार सब की हो और जो जिस काम के लिये फिट हो उसको वही जगह दी जाय। तभी हमारी कामयाबी होगी। यह आपस में गुटबन्दी करना, खुद तो खत लिखने की भी तमीज नहीं है, उन जगहों के लेने की कोशिश करना यह गलत बात है।

अपने में लियाकत पैदा करके कल एक चपरासी राष्ट्रपति हो सकता है, बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, लीग आफ नेशन्स का प्रेसीडेंट हो सकता है, लेकिन यह हमारी बिरादरी का है, यह मेरी जाति का है, इस तरह से कोशिश करने से अपना, अपने मुल्क का और अपने प्रदेश का नुक्सान होगा, श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मेरा समय खत्म हो तो मुझे ५ मिनट और दिया जाय क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––ठीक है, आप को ५ मिनट और मिल जायंगे।

श्री सीताराम शुक्ल––शुक्रिया। तो मैं आप से अर्ज करता हूं कि कृपलानी जी ने फरमाया कि सभी पार्टियों के लोगों को मिला कर सरकार बनायी जाय और मुल्क का काम चलाया जाय। मेरी गुजारिश है कि इस से काम नहीं चलेगा। एक्सपेरीमेंट कर के देखा गया है, कामयाबी नहीं हुई। अम्बेदकर साहब लिये गये थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, श्यामा प्रसाद

[श्री सीताराम शुक्ल]

मुकर्जी साहब लिये गये थे, लियाकत अली खां साहब भी थे, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। इससे काम नहीं चलेगा। मेरा कहना है कि विद्वानों को सच्चरित्रों को लिया जाय। अगर हमारी पार्टी में अच्छे आदमी होंगे तो हम बाहर के आदमियों को नहीं लेंगे, लेकिन अगर हम से अच्छे आदमी किसी भी पार्टी में हैं तो उनको हम लेंगे आज इत्तफाक से त्रिपाठी जी यहां बैठे हैं। पार्टियां तो कुर्सियों के लिये बनती हैं। आप देखें, कितने लोग कांग्रेस में थे, बाहर निकल गये। कल तक उनकी टोपी सफेद थी, टिकट लेने की कोशिश करते थे, लेकिन टिकट न मिलने से नाराज हो गये, दूसरी पार्टी में चले गये, वहां जगह नहीं मिली तो दूसरी पार्टी में चले गये। काबलियत की पार्टी को अपनाना चाहिये, लेकिन हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि यस मैन हों, बहस कम करें लेकिन हां में हां जरूर मिलायें। लीडर फर्स्ट, वर्क सेकिंड हो गया है। वर्क अगर फर्स्ट हो तो काबिल आदमी को कौन इग्नोर कर सकता है ? लेकिन लियाकत नहीं है, कुर्सियां लने का शौक ह। पढ़े-लिखे कम हैं, बोलेंगे नहीं, लेकिन यह यस मैन जरूर हों। लीडरी तो इस से कायम रह सकती है लेकिन कुछ ही दिन बाद में पब्लिक कान पकड़ कर निकाल बाहर कर देगी।

हुजूर वाला, मैं वह बात बतला रहा हूं कि जिसके मानने से जब बजट पेश होगा तो बहस कम होगी, मुखालिफत कम होगी। मैं बतला रहा हूं कि आप इस प्वाइंट आफ व्यू के आदमियों को लीजिये तो वह उम्दा बजट बना कर पेश करेंगे और उसमें मुखालिफत नहीं होगी और होगी तो बहुत कम होगी। कहां घटे और कहां बढ़े इस पर बाद में बात करियेगा मुझे प्रापर बात कहने दीजिये ताकि बजट पास हो और मुखालिफत न हो। जरूरत इस बात की है कि किसी भी पार्टी के अच्छे आदमी को जगह दी जाय। हर वोटर के वोट से पार्टी बने तो थर्ड क्लास आदमी नहीं आयेंगे। यहां हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनका काम अच्छा रहा, नाम है, लेकिन उनको कोई पार्टी नहीं बुलाती। कारण क्या है ? हर कोई चाहता है ब्लाइंड फालोअर। उनका काम हो लाइसेंस दिलाना, ठेका दिलाना, नौकरी दिलाना, ट्रांसफर रुकवाना। आज आपके दारुल शफा में क्लास लगता है कि इन इन जातियों को रहने का हक क्या है। कोई नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं कि जब इस तरह की स्थिति होगी, जब इस तरह के नारे होंगे तो आपका लेक्चर कौन सुनेगा, आपका ट्रांसफर कौन सुनेगा, आपका दिलाया हुआ ठेका कौन लेगा और आप किस को नौकरी दिलायेंगे। ऐसा होने पर फसल नहीं "सिर काट लो" आ जायगा। सच्चाई पर चलिये, ईमानदारी पर चलिये और जो काम के लिये फिट हो उसको वह जगह दीजिये और मजा कीजिये खुद अच्छे रहिये और सारे संसार को अच्छा कीजिये।

श्री खजानसिंह चौधरी (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट आज पेश हुआ उसी पर बोलने जा रहा हूं।

बजट में आपने सौ रुपये तक की तनख्वाह वालों के लिये ढाई रुपये महंगाई भत्ते में शामिल कर दिया या उसको तनख्वाह बना दिया। आज गेहूं ३२ और ३३ रुपये मन है। अब महीने भर में आपने साढ़े तीन सेर गेहूं बढ़ाया है यानी डेढ़ छटांक रोज आपने उसको दिया। सौ रुपये से दो सौ रुपये तक तनख्वाह पानेवालों के लिये पांच रुपये बढ़ाया है। लेकिन उनको क्या खास लाभ मिला ? आप उनकी हालत देखिये। ऐसे चन्द भले आदमियों का इस पांच रुपये से इस महंगाई के जमाने में क्या होगा और ऐसी महंगाई के जमाने में जो कभी बापदादे के जमाने में भी ऐसी मंहगाई न हुई होगी। यह मंहगाई क्यों हो रही है यह सरकार की नीयत का फल है। सरकार इस पर कभी विचार भी नहीं करती जहां तक मेरा खयाल है। मंत्रियों के पास वक्त नहीं है काम के बोझ से। कभी तशरीफ ले जायें लखनऊ में सस्ते गल्ले की दूकानों पर, क्या तमाशा वहां पर होता है। एक पर एक चढ़े हैं, डंडे पड़ते हैं। ऐसे अनाज से तो घर ही अच्छा। उन्नाव को छोड़िये, लखनऊ की यह हालत है। हफ्ते में एक रुपये या डेढ़ रुपये का अनाज मिलता है और अगर वह न मिला तो हफ्ता खाली गया तो अगले

बार बारी। यह कोई तरीका है, शरम की बात है। इतने बड़े बड़े मंत्री जी सदन में बैठे हुये हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ले रक्खी हैं। और कहते हैं कि वोट में तो हम आ ही जायेंगे, लेकिन आगे का तो जनाब ध्यान रखिये।

आपने उत्पादन की बात कही। कहीं रबी आन्दोलन, कहीं खरीफ आन्दोलन, कहीं जापानी किस्म का धान और चीनी धान। काहे को बेवकूफ बना रहे हो? हम भी किसान हैं, बापदादा के वक्त से किसानी करते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि यह मामला क्या है? पहले यहां १ रुपये मन गुड़ बिक गया है सन् १९३९ में, अब क्या हाल है? गेहूं बहुत मन्दा बिकता था? अब क्या है? अब आप कहते हैं कि देश की पैदावार कम हो गयी। हमारी समझ में नहीं आता कि क्यों कम हो गयी? हम किसान तो उतना ही पैदा करते हैं। कहीं पत्थर पड़ जाय और कोई दैवी आपत्ति आ जाय तो हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त भी गवर्नमेंट हमको कोई मदद नहीं देती। लोगों के लिये खाने तक को नहीं, लेकिन जिम्मेदारियां सब ले रखी हैं। एक रोज मैंने अपने भाषण में कहा था कि यह तो सरकार कबाइलियों से भी बढ़कर है। आप उत्पादक को इतना नोचते हैं कि उसमें कुछ खून भी बाकी नहीं रहता। कहीं जब आप बीज किसान को देते हैं। कहते हैं कि हमारा इम्प्रूव्ड सीड है, सीड गोदाम से दे रहे हैं, ६ महीने में वसूल करते हैं। एक महाजन १० रु० देकर १२ महीने में १२ रुपये ही वसूल करता है लेकिन आप ६ महीने में २५ फीसदी सूद लेते हैं, सवाया आया। आपके खयाल शरीफ में आया? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इशारा सरकार की ओर है। अगर १०० रु० किसी को दिये तो उससे कहते हैं कि ६ महीने में सवा सौ रुपये हुये। उपाध्यक्ष महोदय, पहले सीनियर एकोनामिक इंस्पेक्टर रहते थे अब मार्केटिंग इन्स्पेक्टर रहते हैं। अब मार्केटिंग इन्स्पेक्टर के जरिये से यह वसूल किया जाता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह सरकार १०० रु० का ६ महीने में सवा सौ वसूल करती है। उस पर दो आना रुपया सब्सीडी लगाती है। जैसे मैंने एक मन पैडी ली और ६ महीने के बाद जब मैं उसको दूंगा तो एस० एम० आई० का जो रेट आयेगा, गोदाम वाले दो आने रुपया और सब्सीडी लगायेंगे। जैसे उस वक्त भाव १५ का है तो अनाज लिया १५ के भाव और अब भाव दूना हो गया तो १५ दूने ३० वह हो गये और उसपर एक पैनालटी और घसीट दी कि देर हुई देने में। उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां पर नहीं है, लेकिन गृह मंत्री जी हैं और मुझे उम्मीद है कि वे मेरे सुझाव को लिख रहे होंगे। मैं सुझाव अच्छे दे रहा हूं इनको सुनना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, चोरों के ऊपर कितना चिल्लाया जाता है लेकिन वे सुनते कहां हैं? कोई हर्ज नहीं कभी न कभी तो पकड़ में आयेंगे ही। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम गोदाम में बीज ले जाते हैं तो वह कहते हैं कि बीज खराब है इसे साफ करवाओ नहीं तो जुरमाना होगा। वे यह कहते हैं कि या तो कुछ दे दो, हम साफ करके रख देंगे या साफ करवा कर दो। अगर वह साफ नहीं कर पाता तो उससे कुछ ले लिया और अपनी जेब में रख लेते हैं और वैसा ही गल्ला भी भर लेते हैं। देते समय मैला और लेते समय उजला। इससे बहुत नुकसान होता है और इसको बन्द किया जाय, इतना सूद तो महाजन भी नहीं लेता है।

आज आपका रबी आन्दोलन का नारा चल रहा है और खरीफ का भी शुरू हो गया है। रबी का जो आन्दोलन आपने चलाया था उसमें आपने किसानों को क्या दिया? सिर्फ नारा ही लगाते हो लेकिन वहां क्या करते हो? रबी की कोई बात बताओ, कैसे जोतें, कैसे बोवें, कैसा बीज हो, कब सिंचाई करें, यह तो कुछ भी नहीं सिर्फ नारा जरूर है कि उत्पादन बढ़ाओ। इस तरह तो कसाई भी अपने बकरे को खब मोटा करते हैं। हम अपना उत्पादन बढ़ाकर आपकी लुटाई में आवें, यही आपका मतलब है। उत्पादन हम बढ़ावें और जब बेचने का वक्त आय, हमारे घर फसल तैयार हो, तो स्टेट ट्रेडिंग हो रही है और रेलों को बन्द कर दो। यह तो आपकी तरफ से जनता पर और किसानों पर जुल्म है ....

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--क्या सरकार ठेकेदारी करती है क्या?

श्री उपाध्यक्ष---आप अपनी बात कहें, किसी का जवाब न दें।

श्री खजान सिंह चौधरी--अभी से देखिये, आपकी नीयत में फितूर है। व्यापारी से कहते हैं कि १२ रुपये मन से ज्यादा गेहूं की कीमत नहीं देंगे और आप खुद नहीं खरीदते हैं। वह १४ रुपये मन कह रहा है और ये १२ रुपये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा नहीं देंगे। पारसाल १२ रुपये मन गेहूं बिका और ८ रुपये मन मोटा अनाज बिका। वही जमाना अब फिर आने वाला है। और उसके बाद वह बिकेगा ३२ रुपये मन। तो जरूर आपके इन्तजाम में कहीं खराबी है। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा ही हुआ। गुट बन गया है ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य का, कि यही तीन जाते हैं और कोई जात है ही नहीं। कमाने वाला शूद्र मजदूर है और वह इन तीनों की खिदमत करे। यह शोषण किसानों पर कब तक चलाइयेगा? नायकर के भी चरण कमल यहां आ चुके ह। आप उसे भोली भाली जनता बताते हैं। लेकिन यह राज्य के लिये कलंक है। जब आप जैसे राजा उन्हें नहीं उठा पावेंगे तो कौन उठावेगा? आप अपनी लूट की बातें करना चाहते हैं। मैं भी गेहूं पैदा करता हूं लेकिन जी नहीं चाहता कि पैदा करूं। मैं क्यों लुटूं असाढ़ से आधे क्वार तक चावल बिका १ सेर का और जब हमारी फसल आई तो स्टेट ट्रेडिंग हो गया, रेल रोक दी गई कि लूट लो सालों को, आंखों पर पट्टी बांध दो....

श्री उपाध्यक्ष---आप इस साले शब्द को वापिस लें।

श्री खजान सिंह चौधरी---मैंने तो अपने लिये कहा है।

श्री उपाध्यक्ष---किसी के लिये भी कहा हो, कृपया वापस लें।

श्री खजान सिंह चौधरी---बहुत अच्छा, वापस लेता हूं। आप उनको लूटते हो और जनता को भूखा मारते हो। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि यह उनके बस की बात नहीं है, कीमत तो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है। वाह! वाह!! क्या आप मिनिस्टर नहीं हैं? ऐसी गैर-जिम्मेदारी की बात ऐसा जवाब नहीं होना चाहिये। अभी चैत-बैसाख का महीना आते ही आप उस गल्ले की दूकान को उठा देंगे। गवर्नमेंट कहती है कि हमें भी मोटा होने दो और एजेंट बनिये, तू भी मोटा हो और तुझको रुपया लगाने के लिये हम देंगे। मार्केटिंग वाले कुछ और ही कर रहे हैं। कभी देखा भी है जाकर? जो आपकी सी० आई० डी० है वह भी वहां जाकर रुपये के चक्कर में फंस जाती है। आगे नहीं कहूंगा। व्यापारियों के गोदाम किसानों के घर में बनते हैं, क्योंकि व्यापारी खरीद कर रुपया तो दे देता है मगर कहता है कि इस अनाज को यहीं रखो, जब बिकेगा तब मैं ले जाऊंगा।

सहकारी का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं जो नागपुर में पास किया था। आपने पद यात्रा की, माननीय गृह मंत्री और मुख्य मंत्री ने भी बनारस में की, आप साफ-साफ क्यों नहीं कहते कि किसान पर बोझ लाद रहे हैं? आपने तो चकबन्दी के लिये भी कहा था कि बोझ नहीं लाद रहे हैं। आपके कर्मचारी अशिक्षित जनता को फांस लेते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी अपने भाषण में साफ तौर पर बतलावें कि सीलिंग के बाद बची हुई जमीन और वह ऊसर जो बाबा आदम के जमाने से पड़ा हुआ है उसका सहकारी करेंगे या कुल गांव का यूनिट बनाकर उस पर ट्रैक्टर चलवावेंगे। मैं तो छोटा किसान हूं लेकिन रोजगार से लगा रहता हूं। ऐसे ही सब किसान अपने रोजगार में लगे रहते हैं। आपके एग्रीकल्चरल फार्म हर जिले में कायम हैं। उन पर क्या होता है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो सन् ५९-६० का बजट पेश किया है मैं उसके अनुमोदन के लिये खड़ा हुआ हूं। कल से यहां विरोधी पक्ष के भाषणों में विशेष तौर से इस बात पर जोर दिया गया है कि स्टैंडर्ड आफ लिविंग गिरा है, बेकारी बढ़ी है और गल्ले की कीमतें ऊंची होती जा रही हैं। इन सब चीजों पर देखने के लिये हमको थोड़ी सी चीजों पर जरूर दृष्टिपात करना होगा। हमारे प्रदेश में

तमाम देश भर से लैंड पर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि हमारे यहां ७४ फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं। जिस ढंग से हमारी आबादी बढ़ रही है उससे यह आशा की जाती है कि यह प्रैशर और बढ़ेगा।

जो २० फीसदी बिजली का कर उद्योग पर माफ़ किया गया है उस पर काफी चर्चा हुई। सारे ही लोग जानते हैं कि देश की उन्नति के लिये, देश को खुशहाल बनाने के लिये, यह आवश्यक है कि लैंड से प्रेशर हट कर इंडस्ट्री पर लोगों को लगाया जाय। सन् १९५६ की फैक्ट्स फाइन्डिन्ग कमटी की रिपोर्ट के अनुसार भी हमारे यहां बिजली के रेट्स दूसरी जगहों से बहुत ज्यादा हैं। २० परसेंट ड्यूटी माफ करने के बावजूद भी कानपुर के रेट्स अहमदाबाद और कलकत्ते के मुकाबले में सेंट पर सेंट ज्यादा हैं। उद्योग को तरक्की देने के लिये यह आवश्यक है कि जिस चीज से इंडस्ट्री चलाई जाय उसका कम से कम रेट वही हो जो और सूबों में है जिससे हमारे यहां के लोग कम्पीटीशन में ठहर सकें। मैं गवर्नमेंट के फैसले का बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने २० परसेंट का रिलीफ उद्योग वालों को दिया। इससे जो लोग ५, १० या २० हार्स पावर का मोटर लगा कर कोई उद्योग किये हुये हैं, उनको भी लाभ होगा।

गन्ने का सवाल हमारे प्रदेश में काफी कंट्रोवर्शल बना हुआ है। सरकार ने काफी कोशिश की कि जगह–जगह पर ओपिन पैन शुगर फैक्ट्रीज बनें और खांडसारी का मैनुफैक्चर अधिक से अधिक हो। जब ऐसा किया तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये मिल एरिया में लगाई जावें या नहीं लेकिन जब मिल एरिया में लग गई हैं तो हाल ही में अख़बार में एक स्टेटमेंट निकला कि रिजर्व एरिया में खांडसारी शुगर का बनाना बिलकुल बन्द कर दिया जायगा। मैं अपने जिले के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां पर कोई शुगर फैक्ट्री नहीं है, केन ग्रोअर्स की कंडीशन बहुत खराब है। हमारे जिले में दो तीन साल हुए सरकारी सहायता से दो तीन ओपेन पेन शुगर फैक्ट्रीज खुलीं उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर लोगों को १ रु० ७ आ० मन मिल रहा है शुगर मिल्स से २ आना मन ज्यादा मिल रहा है अगर इस किस्म का इंडस्ट्रीज को डिस्करेज किया गया तो मैं समझता हूं कि सारे केन ग्रोअर्स का लाट ही मिल मालिकों के हाथ में चला जायगा। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम जो फैक्ट्रीज आलरेडी लगी हुई हैं, उनको बन्द न किया जाय वरना जितना कैपीटल गवर्नमेंट का या जनता का लगा हुआ है सब का सब ब्लाक हो जायगा।

श्रीमन्, इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ रुपया जिलों को हर साल काटेज इंडस्ट्रीज के लिये देती है। दो साल से मैं अपने जिले में देख रहा हूं कि इसके लिये एक इंडस्ट्री सब कमेटी बनी हुई है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसका रुपया फरवरी के महीने में पहुंचता है और जल्दी-जल्दी में सारा रुपया बांट दिया जाता है। इतना समय नहीं रहता कि यह देखा जाय कि जरूरतमन्द कौन है या वहां पर किस इंडस्ट्री की आवश्यकता है। अधिकारीगण तो यही कोशिश करते हैं कि जिनकी ऐप्लीकेशन्स पहले से पड़ी हुई हैं उन्हीं को जल्दी से रुपया दे दें। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस रुपये को कम से कम नवम्बर तक अवश्य भेज दिया करे जिससे लोगों को यह जानकारी हो जाय कि काटेज इंडस्ट्री के लिये कितना रुपया आया है। ताकि उस रुपये का सही इस्तेमाल हो सके। इसके साथ ही साथ यह भी देखा जाना चाहिये कि जिस रुपये को जिस इंडस्ट्री के लिये दिया जाता है उसी के लिये उसका इस्तेमाल होना चाहिये। होता यह है कि लोग किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिये रुपया लेते हैं मगर किसी और धंधे में उसको लगा देते हैं। इसलिये सरकार को इसको जरूर देख लेना चाहिये कि जिस इंडस्ट्री के लिये वह रुपया दिया गया है उसी में लगाया गया है या नहीं।

इसके अलावा हमारे जिले में एक कस्बे से दूसरे कस्बे में इलेक्ट्रिसिटी के मिनिमम चार्जेज में बहुत बड़ा अन्तर है। इस मामले में सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया गया था लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ और उसमें अभी तक कोई जांच वगैरह नहीं हुई। ऊझानी और बदायूं के जो मिनिमम रेट्स हैं उनमें ५ रुपये का फर्क है। इस चीज की जांच अवश्य होनी चाहिये।

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]

श्रीमन्, बदायूं जिले में गल्ले की दूकानें खोली जरूर गयी हैं लेकिन वह केवल उझानी. बदायूं और सहसवान में ही खोली गयी हैं। तीन साल से वहां प्रकृति का काफी प्रकोप रहा है और जिसकी वजह से देहाती जनता में काफी परेशानी है। इसलिये सरकार से प्रार्थना है कि वह बदायूं तहसील और दातागंज तहसील में जल्द से जल्द गल्ले की दूकानें खोलें।

कुछ ध्यान मैं सरकार का हरिजनों के पानी पीने के कुओं की ओर भी दिलाना चाहता हूं। हमारे जिले में अभी तक सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें हरिजनों के पीने के लिये पानी का कोई कुआं नहीं है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जब तक वे लोग आधा रुपया खुद लगाने को तैयार नहीं होंगे तब तक उनको रुपया नहीं दिया जा सकता और तब तक सरकार कुयें बनाने में असमर्थ है। बहुत से गांवों के अन्दर हरिजनों की दशा ऐसी नहीं है कि उनके पास थोड़ी सी भी जमीन नहीं है। वे केवल मजदूरी पर मुनहसिर रहते हैं और इस तरह से कुयें बनाने में वे अपना हिस्सा नहीं दे सकते हैं। ऐसे केसेज में सरकार को चाहिये कि उनके लिये कुयें फ़्री बनवा दे।

एक चीज़ और है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार समाजवाद की ओर जा रही है, लेकिन सरकार की यह पालिसी जिले के लेविल पर कार्यान्वित होती भी है या नहीं इसको सरकार देखे। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहता हूं। बदायूं जिले के अन्दर केवल बदायूं नगर में एक सिनेमा हाउस था। उस सिनेमा हाउस के लाइसेंस के रिन्यूअल का सवाल जब आया तो वहां के अधिकारियों की तरफ से कह दिया गया कि लाइसेंस रिन्यूअल के लिये पहले मकान मालिक का कंसेंट लाना होगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन पर कंसिडरेशन होगा। मेरा कहना यह है कि जब एक सिनेमा हाउस अर्से से उसके कब्जे में है तो मकान मालिक के कंसेंट की जरूरत क्या पड़ गयी। उस शख्स ने कहा कि जब कंसेंट की जरूरत है तो अर्से से सिनेमा मेरे कब्जे में है ही, इसे मेरे नाम एलाट कर दिया जाय। लेकिन अधिकारियों ने उसे लाइसेंस नहीं दिया और कह दिया कि यह रेंट कंट्रोल एण्ड एविक्शन ऐक्ट के अन्दर नहीं है। एक सिनेमा हाउस जिसमें अधिकारियों की दिलचस्पी है वह मानोपाली के तौर पर हमारे जिले में चल रहा है। इस दौरान नें आठ दस एप्लीकेशन्स टूरिंग सिनेमा के लिये दिये गये, लेकिन वे भी किसी न किसी बहाने खारिज कर दिये गये। इस तरह से गवर्नमेंट के इंटरटेन्मेंट टैक्स का भी बहुत लास हो रहा है। एक बड़े ताज्जुब की बात यह है कि वहां के अधिकारियों ने पहले तो यह कह दिया कि रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन ऐक्ट के अन्तर्गत सिनेमा नहीं आते और दूसरी तरफ बिल्डिंग के ओनर के लड़के से एप्लीकेशन लेकर वह सिनेमा हाउस उसके नाम एलाट कर दिया। इस तरह की मानोपाली को रोकने के लिये सरकार को कदम उठाना चाहिये।

इसके अलावा श्रीमन्, ट्यूबवेल्स के बारे में भी मैं आपके द्वारा सरकार का थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे जिले में शायद सूबे में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स हैं, लेकिन उनका डिस्चार्ज बहुत कम हो गया है। जब बारिश खत्म होती है वाटर लेविल ऊंचा हो जाता है उस समय डिस्चार्ज लेते हैं और ऐक्चुअली उनका डिस्चार्ज बहुत कम होता है। इस से किसानों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिये सरकार को चाहिये कि मिड सीजन में ही उनका डिस्चार्ज देकर वह उनकी बोरिंग पुनः करावें।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, हमारे जिले में थोकदारी की प्रथा बहुत दिनों से कायम है और उसका एलेक्शन भी बहुत दिनों से नहीं हुआ है। लोगों का कंफिडेंस भी उन्होंने खो दिया है लेकिन फिर भी वह अभी तक कायम है। तो मैं आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि इस थोकदारी प्रथा को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करने की कृपा करे या पुनः चुनाव करवायें।

इसके अलावा एक चीज और मैं सरकार को बतला देना चाहता हूं। हमारे जिले बदायूं के ऊझानी नगर में दो अस्पताल एक मेल और एक फिमेल हैं। इन दोनों डिस्पेंसरीज के

डेवलपमेंट के लिये और एक्सटेंशन के लिये केवल थोड़ी सी जमीन इसके पीछे पड़ी हुई थी । उस जमीन को मिला कर और काफी जमीन वहां के काश्तकारों से लेकर, करीब २२ एकड़ जमीन एक्वायर की गयी है हाउसिंग सोसाइटी के लिये । वहीं पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक अस्पताल है जिसके लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट नें वहां के अधिकारियों से कहा कि इसमें से ७२ फीट चौड़ी जमीन हमको दे दें जिससे कि अस्पताल के डेवलपमेंट के काम में वह जमीन लायी जा सके । जिलाधीश ने अपनी सिफारिश के साथ प्रान्तीय सरकार को भेजा और प्रान्तीय सरकार ने उसे मंजूर भी कर लिया । लेकिन उसके बाद किसी किस्म के प्रेशर ने काम किया और यह आर्डर्स हुए कि यह लैंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को न दी जाय । वहां के अधिकारियों ने पुनः लिखा कि इस जमीन पर बड़ी-बड़ी इमारतें बन गयी हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुआवजा देने को शायद तैयार न होगा, इसलिये यह जमीन इन अस्पतालों को न दी जाय । जब इसकी इत्तला मुझे मिली तो मैंने अन्तरिम जिला परिषद् में एक रिजोल्यूशन दिया । उसके पहुंचने पर यह कोशिश की गयी कि जो जमीन खाली पड़ी हुई है जैसे भी हो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी इमारतें तामीर की जायं और चार महीने तक वह रिजोल्यूशन पड़ा रहा ताकि इमारतें तामीर हो जायं और अन्तरिम जिला परिषद् इस स्थिति में न हो कि इसका पूरा मुआवजा दे सके ।

श्री शिवराम पांडेय (जिला कानपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि देश व प्रदेश की अधिकतर जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना अत्यन्त आवश्यक है । ग्रामीण लोग अपनी जीविकोपार्जन विशेष तौर से काश्तकारी से करते हैं । लेकिन अगर देखा जाय तो ग्राम का जो गरीब मजदूर है वह बेकार रहता है । गन्ने के मौसम में जब गन्ना मिलों को दिया जाता है तो गांव का गरीब मजदूर बेकार हो जाता है । जब गांव के अन्दर कोल्हू चला करते थे तो गांवों के गरीब मजदूर को उस समय रोजगार मिल जाया करता था । आज वह कोल्हू प्रथा बन्द है और गरीब मजदूर को ऐसे समय जब कि खेती पकने को है कोई काम उसके लिये नहीं रहता । ऐसी स्थिति में जो लोग पहाड़ी इलाकों तथा तराई क्षेत्रों में रहते हैं उनका जीवन बड़ा संकटमय हो जाता है । वहां जाने पर विदित होता है कि वहां न कोई सस्ते गल्ले की दूकानें हैं, न सस्ते आटे की दूकानें हैं । फिर ऐसे-ऐसे क्षेत्र वहां हैं जहां आने-जाने के साधन बड़े विकट हैं । वहां की जनता खेतों के अन्दर जो बथुए का तथा दूसरे साग पैदा होते हैं उनकी रोटियां बना कर अपना पेट भरती है । वहां कपास पैदा हो पाती । ऐसी दशा में देखा गया है कि काश्तकार व गरीब मजदूरों के पास वहां ३, ३ साल से ओढ़ने के लिये कपड़ा तक नहीं है । ऐसी हालत में आप स्वयं समझ सकते हैं कि वहां की ग्रामीण जनता किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कर सकती है जब कि सरकार की तरफ से भी उनके लिये कोई साधन नहीं है ।

उनके लिये कोई अस्पताल भी ठीक तरह से वहां नहीं हैं । दूर-दूर शहरों में जहां अस्पताल हैं वहां ग्रामीण जनता को जाना पड़ता है लेकिन उन अस्पतालों में उनको सुविधायें सुलभ नहीं हो पाती हैं । वे औषधियों तक का मूल्य नहीं चुका पाते हैं । इसलिये उनके उत्थान व उद्धार के लिये तथा अन्न संकट निवारण के लिये सस्ते गल्ले की दूकानें वहां खोली जायं तथा उन क्षेत्रों में ही अच्छे अस्पताल खोले जायं ताकि उनकी दवा इत्यादि का प्रबन्ध हो सके ।

जो इलाके जंगलों से लगे हुए हैं उनके काश्तकारों को आज बहुत परेशानी है । वे अपने हल के लिये, मकान के लिए, लकड़ी, जलाने के लिये ईंधन तक नहीं पा सकते । गोबर के लिये कहा जाता है कि उसकी खाद बनाई जाय, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र का मजदूर है वह गोबर से उपले पाथता है और उस उपले को जलाकर खाना बनाता है और जंगल से वह लकड़ी नहीं ले सकता । पहले तो अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में जंगल काटकर खेत बनाये गये, जंगलों का डिमार्केशन नहीं हुआ था । बाद में जब डिमार्केशन हुआ तो उसके अन्दर जो खेत आ गये हैं उनके बारे में मुकदमे चल रहे हैं काश्तकार बेचारे परेशान हो रहे हैं । तो ऐसी परिस्थिति को सरकार को पहले ही विचारना चाहिये था । पहले भूमि तैयार कराई गयी लेकिन अब छड़ाई जा रही है । मेरे यहां एक ही समस्या नहीं है । सड़कें नहीं हैं, ठीक

[श्री शिवराम पाण्डेय]

यातायात के साधन नहीं हैं बरसात में नदियां चढ़ जाती हैं। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं ऐसा है जहां खो नदी और राम गंगा नदी है और जब खो नदी चढ़ती है तो उस इलाकों में कोई आदमी मुकदमे में भी जाना चाहे तो बड़ी परेशानी होती है, नदी को पार करते समय जानें भी जाती हैं। कोई नदी पर पुल नहीं है। ऐसे इलाकों में जहां जनता परेशान है, स्वास्थ्य, शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं है सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिये। एक-एक लड़का ६, ६ मील पढ़ने के लिये जाता है, वह स्टडी क्या कर पायेगा सारा समय तो आने जाने में ही लग जाता है। तो उसी क्षेत्र में अच्छे स्कूल भी होने चाहिये।

सहकारिता के बारे में कुछ निवेदन करना है। गांवों के अन्दर यदि जा कर देखा जाय, मैं एक गांव के अन्दर गया और वहां के चौधरी से पूछा कि तुम्हारे बैल जो खड़े हुए हैं यह तो बड़े कमजोर हैं। तो उसने कहा कि मेरे ६ लड़के हैं और वे सब चारपाई पर पड़े हुए एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं जिस कारण पशुओं को चारा नहीं मिल पाता। ठीक उसी प्रकार से जो काश्तकार यह चाहता है कि उसे जमीन मिल जाय, उसके अन्दर लालसा है उसको जमीन मिलनी चाहिये। और जहां सहकारिता के ढंग पर देखा जाता है वहां एक दूसरे का मुंह देखते हैं और काम को टालते हैं। तो इस भावना को पहिचान कर इस सहकारिता को न चलाया जाय। यह देखा गया है कि जहां सम्मिलित खेती चलती थी उनमें बटवारा हो गया। इसलिये हो गया कि दो खानदान की शामिल खेती है एक खानदान में ज्यादा बच्चे हैं और दूसरे में कम। तो कम खानदान वाला सोचता है कि मैं क्यों मेहनत करूं जब कि मेरी मेहनत की कमाई बड़ा खानदान खाता है। तो वह भी अलग-अलग खेती करना चाहते हैं। जितने भी फार्म अब तक बने हैं उनमें पैदावार नहीं बढ़ी है और जो छोटी-छोटी जमीन लेकर लोग काश्तकारी कर रहे हैं उन्होंने अपने उत्पादन को बढ़ाया है। इस लिये सहकारिता ढंग से खेती ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह का दबाव होगी।

अगली बात मैं उद्योग-धंधों के बारे में कहना चाहता हूं। उद्योग-धंधे देश के लिये बहुत आवश्यक हैं। कृषि के साथ-साथ उद्योग-धंधे भी बहुत आवश्यक होते हैं। सरकार की तरफ से जगह-जगह जिला उद्योग अधिकारी भी नियत हैं और उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा यह कार्य किया जाता है। लेकिन इसमें परेशानी भी है। यह परेशानी है कि जब उनको अनुदान दिया जाता है तो एप्लीकेशन बहुत पहले मांग ली जाती है। लेकिन सन् १९५२ से जब से इस प्रकार की व्यवस्था थी ....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि अपना भाषण अगले दिन जारी रखें। अब उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार जारी होगा।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९†

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन विधेयक का ताल्लुक है, इसमें चन्द मुख्य तरमीमें हैं और इसी के लिये यह जरूरी है कि यह ३१ मार्च के पहले पास हो जाय। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने यह तजवीज की थी अपने बजट भाषण में कि २५ हजार तक के टर्न-ओवर के जो डीलर हैं उनको भी बिक्री-कर से मुक्त कर दिया जायगा। तो यह जो मौजूदा कानून है इसके अन्दर यह नहीं हो सकता। इसलिये यह जरूरी है कि डीलर की जो उसमें तारीफ की गई है उसमें तरमीम की जाय। उसी के साथ-साथ इस कानून में यह प्राविजन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में खास सूरतों में अपील होगी। इस पर केन्द्रीय सरकार ने एतराज किया और कहा कि प्रदेश-सरकार यह कानून नहीं मंजूर कर सकती और जो पुराना अमेन्डमेन्ट ऐक्ट था उसकी मंजूरी

†११-२-१९५९ की कार्यवाही में छपा है।

उन्होंने इसी शर्त पर दी कि इसमें बाद को तरमीम करनी पड़ेगी । इसी के साथ-साथ जो "सेल" की डेफिनीशन है, केन्द्रीय सरकार का कानून है सेल्स आफ गुड्स ऐक्ट, उसमें और इसमें कुछ अन्तर हो गया था । उसमें भी केन्द्रीय सरकार ने एतराज किया । इसलिये जरूरी हुआ कि उसको भी बदला जाय ।

इसके अलावा जो तरमीमें हैं बाज--बाज वह यह हैं । इसमें जो कानून इस वक्त लागू हैं उसमें रिबेट के जो अधिकार हैं वह ५० परसेंट तक के हैं । तो अब यह प्राविजन कर रहे हैं कि यदि जरूरत महसूस हो बाज खास सूरतों में तो १०० परसेंट तक दे सकें । एक ओर जो मुख्य संशोधन है वह यह है कि जो तरीका क्वाइनेज का, रुपये पैसे का था, वह पुराना रुपया आने पाई का था । चूंकि अब हमारे यहां डैशीमल सिस्टम लागू हो गया है, लिहाजा यह जरूरत है कि इसको बदला जाय । इन बातों के अलावा इस कानून में यह भी है कि रिफन्ड करने का कोई कायदा ऐसा नहीं था कि जिसमें जो पुराना किसी का रुपया जमा है उस पर नया कर लगे तो हम उसके पुराने रुपये को नये कर के हिसाब में मुजरा कर दें, इसलिये जरूरत इस बात की पड़ी कि क्लाज १८ के जरिये से पुराना कानून जो है उसमें तरमीम की जाय और यह पावर भी गवर्नमेंट ले ले । इसी तरह से जो रूल्स कानून के अन्दर बनेंगे वह ऐसा प्राविजन था कि सात दिन या इससे ज्यादा के लिये लेजिस्लेचर के सामने रक्खे जायं । तो डेलिगेटेड लेजिस्लेशन की जो एक कमेटी है उसने मजबूर किया कि इस में मियाद मुकर्रर कर दी जाय कि वह इतन दिन रहे । इसी वजह से यह तरमीम हो रही है कि कोई रूल भी बने तो वह सदन के सामने १४ दिन के लिये आयेगा और रहेगा ।

एक खराबी यह थी कि कर के लेने में अगर कोई गलती रह जाती थी तो वह साल भर के अन्दर ही ठीक हो सकती थी, लेकिन अब उस मियाद को बढ़ाकर हम एक साल की जगह ३ साल कर रहे हैं ।

इसी तरह से पहले यह प्राविजन नहीं था कि अगर कोई आर्डर एक्स-पार्टी हो जाता था तो वह बदला जा सके और उसको सेटएसाइड कर सकें । वह पावर अब हम ले रहे हैं कि अगर कोई एक्स-पार्टी आर्डर हो भी जाय और अगर कोई माकूल वजह बताई जाय, जैसे कोई हाजिर न हो सका तो उस आर्डर के होते हुए भी फिर उसका मामला सुना जा सकेगा । इसी तरह की दो चार तरमीमें हैं जिनको इस कानून में लाया जा रहा है और यही कुछ मुख्य कारण हैं जिनका कि मैंने जिक्र किया, आशा है कि सदन इसे मंजूर करेगा ।

*श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अधिक समय नहीं लेना है जैसी सदन की मंशा हो । मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो ५ दिन के भीतर इस पर अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करे ।

मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि आज सुबह जैसा कि मालूम होता था कि सदन के सदस्य चाहते हैं कि इस समय बिल प्रवर समिति में भेज दिया जाय और सामान्य विवाद बाद में हो जाय । जब वहां से यह आये तो सामान्य विवाद की इजाजत दे दी जाय । कल ही यह बिल रखा गया है हम लोगों ने अभी इसको पढ़ा भी नहीं है और देखा भी नहीं है ....

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक को पुरःस्थापित हुए तो कई सप्ताह हो गये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--सप्ताह नहीं हुआ, मन्त्री के यहां पहले ही छप कर आ गया होगा ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---वह ११ तारीख को पेश हुआ था, एक सप्ताह तो हो ही गया ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---हम तो श्रीमन्, नेशनल हेराल्ड अखबार के आभारी हैं कि उस से हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है और किस तरह से बिजली कम्पनी को १ करोड़ रुपया दिया जा रहा है, हमें तो वह भी पता नहीं चला और हम पढ़ नहीं सके कि अनुपूरक बजट तक में क्या है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अभी तो इसे ऐसे ही जाने दिया जाय और बाद में इस पर सामान्य विवाद हो जाय और बोलने की उस वक्त इजाजत दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं तो इजाजत देने के लिये तैयार हूं लेकिन जब तक वह नियम निलम्बित न हो जाय तब तक इस पद्धति को अपनाना ठीक न होगा कि इस विधेयक को बिना विवाद के ही प्रवर समिति को भेज दिया जाय ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं तो सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस वक्त इसमें समय न लगायें ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा पहले भी कई बार अर्ज किया जा चुका है कि सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के पहले जितना भी जनरल डिस्कशन है किसी विधेयक के सम्बन्ध में वह समाप्त हो जाना चाहिये । ताकि एक छोटी सी कमेटी वहां बैठकर जो सुझाव इस सदन में दिये गये हैं उन पर विचार करे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे । यह सर्वमान्य प्रथा है । यह जरूर है कि इस प्रथा से कुछ ऐसे मौके हुए हैं कि इस आदरणीय सदन ने जरा दूसरा रास्ता अख्तियार किया, लेकिन मैं समझता हूं कि इस स्वस्थ परम्परा को और सिलेक्ट कमेटी में बिल के भेजने के असल मकसद को पूरा करने के लिये जरूरी है कि माननीय सदस्यों की जो राय हो वह पूरे तौर पर जाहिर कर दें ।

यह दुख की बात है कि बिल पेश हो गया इस सदन में, पुरः स्थापित हो गया और फिर भी कोई सदस्य न पढ़ें । मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं बिना किसी माननीय सदस्य के ऊपर कोई आक्षेप किये हुए, कि जितने भी विधेयक यहां पारित होते हैं उनमें एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती है कि जिनसे सब सदस्य पूर्णतया क्या काफी जाय, अंशतः भी नावाकिफ होते हैं । उनमें से मैं भी एक हूं कि तीन चौथाई बिलों को पढ़ता भी नहीं हूं । लेकिन पार्टी सिस्टम है, पार्टियां हैं, उनके व्हिप्स हैं, पार्टियों के विशेषज्ञ होते है । जानकार सदस्यों को नामिनेट कर दें, वह सिलेक्ट कमेटी में अपने विचार रख देंगे ।

श्री उग्रसेन---(जिला देवरिया) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे मोतीलाल जी अवस्थी ने भी स्वयं एक संशोधन का प्रस्ताव दिया था कि यह बिल प्रवर समिति को चला जाय और उसमें एक मास का समय था, मगर मैं विष्ट साहब की राय से इत्तफाक करता हूं कि ५, ६ या ७ दिन सही, ५ दिन ही सही, वहां यह बिल रहे और वहां सभी पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वहां जायं और काफी मौका सबको मिले।

हमने परिधि बढ़ाने की मांग इसलिये की है कि बिल में बहुत सी बातें हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---आप भाषण दे रहे हैं ? प्रश्न केवल यह है कि वाद विवाद के बाद यह सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय या पहले ही भेज दिया जाय ।

श्री उग्रसेन---जैसा सोशलिस्ट दल के नेता ने सुबह अर्ज किया था, यह पहले प्रवर समिति को भेज दिया जाय और वहां से जब निकलेगा तो सामान्य विवाद कर लेंगे ।

श्री सैयद अलीजहीर---उपाध्यक्ष महोदय, अन्डर दि रूल्स डिस्कशन तो पहले ही रेफरेंस के होना चाहिये । मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या वजह है जो बगैर डिस्कशन के

भेजने की बात कही जा रही है। यहां जो डिस्कशंस होंगे उनकी रोशनी में हम कोई तरमीम वहां कर सकेंगे। उम्मीद तो यही है कि वहां जाकर सब इख्तलाफ बोर्न आउट हो जायेंगे और लौटने पर किसी डिस्कशन की जरूरत नहीं रहेगी। तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बगैर डिस्कशन से ही भेज दें, मगर इसके मुताल्लिक कोई डिस्कशन अगर करना है तो लौट के आने के बाद करने से तो कोई फायदा नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो बातें निवेदित करनी हैं। पहली तो यह कि विरोधी दल के माननीय नेता का और माननीय वित्त मंत्री महोदय का यह जो कहना है कि पहले ही सामान्य विवाद हो जाना चाहिये तब तो यह बात होगी ही कि सामान्य विवाद काफी समय तक चल सकता है और होने के बाद यह संशोधन होगा कि इतने दिनों के लिये रहे। तो जो मंशा है वित्त मंत्री महोदय का कि समय के भीतर पास हो जाय वह मुझे पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता, उसमें बाधायें पड़ेंगी। तो मैं तो वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बात को मान लें कि इस समय सामान्य विवाद न हो, जैसा कि आपने स्वयं कहा और मैं भी आशा करता हूं, सिलेक्ट कमेटी में सर्वसम्मत रिपोर्ट आयेगी और फिर सामान्य विवाद की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और अगर माननीय सदस्य ऐसा भी महसूस करेंगे तो उस समय जैसा कि आपने कहा कि इस नियम को निलम्बित किया जा सकता है और उस समय इस पर जनरल डिस्कशन हो सकता है। इसमें कोई बड़े सिद्धांत की बात नहीं है। उन्हीं के बारे में डिस्कशन करना है जो इसमें संशोधन होंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इसको स्वीकार कर लिया जाय तो माननीय सदस्यों को सुविधा होगी। वैसे मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें यह कठिनाई पड़ती है और सम्भवतः इसमें काफी समय लग जाय और मुमकिन है ५-६ दिन लग जायं और काम में बाधा पड़े। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस की सुविधा किस में है केवल इस बात को ध्यान में रख कर सामान्य वादविवाद का जो नियम है, उसे निलम्बित नहीं करना चाहिये। मेरी यह शिकायत रही है कि सेल्स टैक्स ऐसा ऐक्ट रहा है कि जो बहुत जल्दी-जल्दी आता रहा है और बदलता रहा है। ऐसे समय पर यह अत्यन्त आवश्यक है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजते समय इस पर सैद्धांतिक डिस्कशंस हो जाने चाहिये जिनके आधार पर सिलेक्ट कमेटी में इस पर डिस्कशन हो सके।

श्री उपाध्यक्ष--कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की और मैं समझता हूं कि मेरे सामने कोई ऐसा प्रस्ताव भी नहीं है कि सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये इससे संबंधित नियम को निलम्बित कर दिया जाय और चूंकि सदन इसमें एकमत नहीं है इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस पर वाद-विवाद जारी रखें और अगर सब लोग सद्भाव रखें तो इसको जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। इसलिये अब इस पर वाद-विवाद जारी हो।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, हमें मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--अब मौका नहीं दिया जा सकता।

***श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अर्ज किया था कि इस पर बाद में विवाद किया जाय, वह इसलिये कि यह बिल बिशेष परिस्थितियों में लाया गया है और उन परिस्थितियों से हमें पहले अवगत नहीं कराया गया। इसलिये जैसे कि मैंने पहले अपनी लाइल्मी जाहिर की कि मुझे इसको पढ़ने का मौका नहीं मिला तो ऐसी सूरत में मैंने अर्ज किया था कि इस पर बाद को वाद-विवाद हो जाय और मेरा खयाल है और जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा कि वह भी इसे नहीं पढ़ पाये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---अगर इस किस्म की कठिनाई है तो आज मैं सदन को मुल्तवी कर दूं और कल माननीय सदस्य पढ़ कर आयें। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है कि आज इसको मुल्तवी कर दिया जाय। ऐसी परिस्थिति में मुनासिब होगा कि आज हम उठ जायं और कल ५ बजे के बाद से वाद-विवाद शुरू हो।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
१८ फरवरी, १९५९।

विधान भवन

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९५ पर।)

१—सिंचाई शुल्क नहर द्वारा न सींचे गये खेतों पर लगाया गया ।

२—चूंकि क्षेत्रीय पतरौल के सम्बन्ध किसानों से अच्छे नहीं हैं इस कारण सिंचाई शुल्क गलत तथा ऐसे खतों पर भी लगाया गया जो कि नहर द्वारा नहीं सींचे गये थे।

३—पतरौल ने किसानों से घूस मांगा परन्तु किसानों ने नहीं सुना इस कारण उसने खसरा सूदकार में एसे खतों को दर्ज कर दिया जो कि सींचे नहीं गय थे और इस प्रकार उसन किसानों पर ऐसे सिंचाई शुल्क लगा दिया जो कि उन पर न लगना चाहिये।

४—नहर का पानी समय पर नहीं दिया गया ।

५—सिंचाई शुल्क गलत व्यक्तियों पर लगाया गया ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०७ पर)

१ जनवरी सन् १९५६ से बाढ़ग्रसित जिलों में आबपाशी माफ की गई

क्रम-संख्या	जिले का नाम	सन् १९५६	सन् १९५७	सन् १९५८
		रु० नया पैसा	रु० नया पैसा	रु० नया पैसा
१	सहारनपुर ..	८६,३४३.००	६५,५३१.००	५,२५७.००
२	मुजफ्फरनगर ..	१,५८,२५०.९१	१,९३,२२८.१०	१९,२४४.७१
३	मेरठ ..	१,३३,९२९.५४	१,०६,४५१.२१	१३,४५५.२१
४	बुलन्दशहर ..	१३,३०२.०३	४३,०२६.२०	७८,६१३.०३
५	अलीगढ़ ..	२५,०६४.००	८७,७१८.७५	८८,९१९.७५
६	एटा ..	२,७८१.००	८,७६६.००	१२,३०१.००
७	फर्रुखाबाद ..	९०.००	४,७८१.५४	१४,३५१.००
८	आगरा ..	१३,८७१.००	१९,९३९.००	३३,१०६.००
९	फर्रुखाबाद ..	..	२०९.००	..
१०	एटावा ..	..	३२.३४	१७२.००
११	मथुरा ..	११,४२०.००	७७,००७.००	१,२३,६३४.०० लगभग
१२	बरेली ..	..	१,०२६.२९	..
१३	उन्नाव ..	५,४५०.००	३६८.००	२,४४२.७०
१४	रायबरेली ..	११.००	५०५.५४	..
१५	लखनऊ ..	..	२५५.२९	३०.२२
१६	सुल्तानपुर ..	४०.००	..	..
१७	मिर्जापुर ..	५,९४५.८१	..	..
१८	इलाहाबाद ..	५,९७८.००	..	..
१९	बलिया ..	..	..	७८३.२१
२०	आजमगढ़ ..	७.६९	..	..

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०८ पर ।)

तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती के ग्रामों की ए० सी० ओ० सर्किल वाइज सूची जिनमें १ जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ की अवधि में चक एक बार बनाकर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा उलटे गये—

क्रम० संख्या	ए०सी०ओ० सर्किल नं०	ग्राम का नाम
१	२	३
१	२	पकरिहवा
२	८	खन्डीनवेल
३	१०	बड़हया
४	१६	सेमरी
५	२४	मनीकोरा
६	२५	रमवापुर उर्फ नेबुआ
७	२९	नवयरा रामलाल
८	..	खुरिया रघुवीर सिंह
९	..	जुगरी
१०	..	मेदी दरदो
११	..	गोवी
१२	..	मरवटिया
१३	..	धमौना तिवारी
१४	३२	सिकहरा कोहड़ा
१५	३५	विरौली सुल्तानपुर
१६	..	तिलगड़िया बुजुर्ग
१७	३७	मैलानी उर्फ बेलवा

तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती के ग्रामों की ए० सी० ओ० सर्किल वाइज सूची जिनमें १ जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ की अवधि में चक एक बार बनाकर चकबन्दी अधिकारी द्वारा उलटे गये—

१	१	कल्यान नगर उर्फ हृदय नगर	१६	..	मउनानकार
२	..	गलगहिया	१७	..	खैन्डानानकरे
३	२	शिवमारी	१८	..	बादुर
४	..	ओरहवा	१९	२८	रजतपुर कंकाली
५	..	देवरूआ	२०	..	बलभद्रपुर उर्फ गोबरहा
६	४	जुगडीहवा	२१	३१	कुन्डी
७	२४	सिरसिया	२२	..	भगवानपुर
८	..	शाहपुर	२३	३२	माली मैनहा
९	२५	अमोली एकडंगा	२४	..	रेहरा
१०	२६	महुआखुर्द	२५	..	बहेरिया मलवादी
११	२७	लटेरा	२६	..	लोहरौली
१२	..	बनगाई	२७	३५	लटिया
१३	..	धोवहा मुस्तकहम	२८	..	गोहनियाराज
१४	..	वसडीला	२९	..	जखौली संवपुर
१५	२८	टिधरी राय	३०	३७	मनहौरी

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०८ पर)

जिला उन्नाव की तहसील सफीपुर में बाढ़ ग्रस्त ग्रामों की सूची

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	क्रम-संख्या	नाम ग्राम
१	फीरोजपुरकलां	३८	भडसर नौशहरा
२	बरमौला	३९	चकशुजातपुर
३	भदनी	४०	दशहरी
४	चकलवन्सी	४१	दौलतपुर
५	दौलतयारपुर	४२	दुगवा
६	कटियामऊ	४३	फखरापुर
७	एतबारपुर	४४	फरदापुर
८	खानपुर	४५	फतहपुर
९	नीबीगाड़ा	४६	गंगदासपुर
१०	हमजापुर	४७	गोरीमऊ
११	इब्राहीमाबाद	४८	गजफ्फरपुर पैसरा
१२	छूही	४९	हयासपुर
१३	शाहपुर	५.०	हुसेनपुर नगहरी
१४	गोलेमऊ	५.१	हसेनपुर माफी
१५	जुझारपुर	५.२	झलमऊ
१६	देवरामऊ	५.३	खाजपुर बिचौली
१७	देवरिया	५.४	खानपुर कुरौली
१८	उनवां	५.५	लबानी
१९	पावा	५.६	मानिकपुर
२०	अतहा	५.७	माडापुर
२१	सालेपुर खलीलनगर	५.८	नगहरी
२२	हसनापुर	५.९	पिनहरा
२३	खोखापुर	६.०	सकरौली
२४	औझरपुर	६.१	शमशमपुर
२५	रोशननगर	६.२	सरहा सकतपुर
२६	लोनियांहार	६.३	शाहपुर खुर्द
२७	गहौली	६.४	शाहपुर बुजुर्ग
२८	सकहन राजपूतान	६.५	शेरपुर अंछिरछा
२९	सराय सकहन	६.६	तालिबपुर
३०	जमाल नगर ए०	६.७	उम्मरपुर पीतम
३१	जमाल नगर ए०	६.८	अब्दुल्लापुर
३२	मुरादपुर	६.९	बूचागाडा
३३	अख्तयारपुर	७.०	बरधाई
३४	अलाउद्दीनपुर	७.१	अन्धेलिया
३५	बबुरिहा	७.२	हरदासपुर
३६	बरूवाबाद	७.३	इस्माइलपुर नौगव
३७	बलापुर हसनापुर	७.४	खैरागाडा

क्रम-संख्या	नाम ग्राम
७५	खैरीचन्देला
७६	सैरीगुरदास पुर
७७	खूशरूपुर
७८	ख्वाजीपुर पहलवान
७९	किशुनपुर टडंवा
८०	लखनपुर
८१	महपरायपुर
८२	मझरिया कलां
८३	मझरिया खुर्द
८४	मुड़्हा
८५	नेवादा भैरव
८६	पापरिया
८७	काजीपुस कच्छ
८८	राजीपुर
८९	रामपुर
९०	रायपुर नेवादा
९१	रायपुर
९२	रनिया मऊ
९३	रूपचन्देला गैर ए०
९४	शाहनगर
९५	शिवपुरी
९६	शमशपुर टियाफबूलपुर
९७	जमरूधीनपुर
९८	सूसूमऊ
९९	अर्जुनपुर
१००	भदेहरा
१०१	दबौली
१०२	ददलहा
१०३	हिन्दूपुर
१०४	जाजमऊ
१०५	जमुनिहां कच्छा
१०६	कटरी अल्लीपुर
१०७	कटरी और नगवा दई
१०८	कटरी और गवादगसेई
१०९	कटरी पनका
११०	कटरी राधन
१११	कटरी सैरेय्या
११२	कटरी तोरनाई
११३	कटरी तोसना गैस
११४	कटरी प्यासेपुर
११५	पाल्हेपुर
११६	रूपपुर चन्देला

क्रम संख्या	नाम ग्राम
११७	रुस्तमपुर
११८	सहरियासलैमपुर
११९	सहरियासलैमपुर गैरई०
१२०	ठंकटैय्याकयफधीनपुर
१२१	गडाई
१२२	जैतपुर
१२३	जाजामऊ गैसए०
१२४	ठकिया
१२५	दौतपुर शिवली
१२६	हझीजाबाद
१२७	पिलामपुर रेतवा
१२८	केशोपुर
१२९	भिखारीपुर कस्बा
१३०	श्रामड़
१३१	जप्परकपुर
१३२	कमलपुर
१३३	रूपपुर
१३४	पूराहास
१३५	शहबाजपुर
१३६	सिधूपुर वेरियागाड़ा
१३७	वहलोलपुरकहस
१३८	फरीदपुर कहर
१३९	कटरी अकबरपुर सैगा
१४०	गदनपुर आहर
१४१	कटरीगौरी
१४२	कटरी जैसर मऊ
१४३	कटरी महगवां
१४४	मुहीउद्दीनपुर
१४५	खैरउद्दीनपुर
१४६	लौकिशा बादेपुर
१४७	मेला आलम शाह ए०
१४८	नेकपुर
१४९	परसरामपुर ए०
१५०	उरियाभगवानपुर
१५१	फटरी मतलबपुर
१५२	परसरामपुर गै० ए०
१५३	खेतुबाही
१५४	चटलहा
१५५	मल्हपुर
१५६	हीरापुर
१५७	भिकारीपुर
१५८	उत्तमानपुर

क्रम-संख्या	नाम ग्राम
१५९	काजीपुर बेगर
१६०	गोंदरी
१६१	मुस्तफाबाद
१६२	झखरा
१६३	गल्लापुर
१६४	जालेहपुर
१६५	बेहटा कच्छ
१६६	सुप्पापुर
१६७	सोईपुर सगौड़ा
१६८	ख़्वाजगीरपुर हेम्मा
१६९	जमनिहा बेगर
१७०	मेला राम कुवर
१७१	मेला आलमशाह गै०ए०
१७२	जगतनगर ए०
१७३	जगव नगस गै०ए०
१७४	बांगरमऊ
१७५	इलरामपुर
१७६	हसनपुर सगौड़ा
१७७	सहसारम
१७८	गोलवापुर
१७९	नेवल
१८०	वहलोलपुर रमुतवासी
१८१	दारापुर
१८२	दरियापुर
१८३	उम्भरपुर बस्तौरी
१८४	मुबफरेंहपुर
१८५	देवरिया
१८६	कुशराजपुर
१८७	चौरहा
१८८	ततियापुर
१८९	बिराइच मऊ
१९०	चौबेपुर
१९१	लौनारी
१९२	लाडपुर
१९३	लहरापुर
१९४	सुलतानपुर
१९५	मुरादाबाद
१९६	मदास नगर
१९७	रत्नरी
१९८	लतीफपुर
१९९	चांदपुर
२००	खैरहन
२०१	आलममऊ सराय
२०२	रसूलापुर महगवां
२०३	महराजापुर
२०४	देव खरी
२०५	जसरापुर
२०६	फतेहपुर हमजा
२०७	भिखारीपुर पतसिया
२०८	भिखारीपुर पतसिया
२०९	आफराबाद
२१०	सिराधपुर ए०
२११	सिधरपुर गै०ए०
२१२	रघुरामपुर
२१३	चक्कन्डौली
२१४	जगटापुर
२१५	फतेहपुर खालसी
	सई नदी से
२१६	गौरिया कलां
२१७	तमोरिया बुजुर्ग
२१८	अरगूपुर
२१९	गानीपुर
२२०	बेंहटा मुजावर
२२१	रामकोट
२२२	खाझंमऊ
२२३	कंथोली
२२४	कंथोली इस्लामाबाद
२२५	रशैनाबाद
	पानी रुक जाने से
२२६	महमदाबाद
२२७	कलबारी
२२८	दसगांवा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०६ पर)

जिला जौनपुर तहसील शाहगंज के अक्तूबर, १९५८ की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की सूची

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	अनुमानित हानि फसल सम्बन्धी		अन्य प्रकार की हानि
		प्रभावित क्षेत्र-फल (एकड़ में)	नुकसान आनों में	
१	एहियापुर ..	२२	८ आना से १० आना	कुछ नहीं
२	शाहपुर ..	१३४	,,	,,
३	गुलरा ..	६०	,,	,,
४	सियरावासी ..	१३०	,,	,,
५	खानपुर ..	५८	,,	,,
६	तिलवारी ..	१०१	,,	,,
७	सुतौली ..	८७	,,	,,
८	गोपालापुर ..	१०८	,,	,,
९	मोहम्मदपुर ..	५२	,,	,,
१०	कुसहा ..	१३५	,,	,,
११	बिरमपुर ..	११०	,,	,,
१२	उदईपुर ..	२०७	,,	,,
१३	गौरा ..	१५४	,,	,,
१४	भेलूपुर ..	४५	,,	,,
१५	रामनगर ..	६७	,,	,,
१६	परसादपुर ..	१८	,,	,,
१७	गजैनपुर ..	१७५	,,	,,
१८	मेढ़ा ..	१९०	,,	,,
१९	डड़वा ..	११९	,,	,,
२०	बीबीपुर ..	७१	,,	,,
२१	खानपुर ..	९९	,,	,,
२२	पिलकिछा ..	६३२	,,	,,
२३	सेखपुर सुतौली ..	२३०	,,	,,
		३,००४		

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१६ पर)

उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण के सम्बन्ध में निम्नलिखित योजनायें चलाई जा रही हैं :

१—महिला मंगल योजना

महिला मंगल योजना निम्नलिखित ३३ जिलों में चालू हैं :—

आजमगढ़, बहराइच, बस्ती, देहरादून, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, लखनऊ, मथुरा, बरेली, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रामपुर, जालौन, नैनीताल, पीलीभीत, जौनपुर, प्रतापगढ़, बिजनौर, फतेहपुर, इलाहाबाद, अलमोड़ा, झांसी, मिर्जापुर, बलिया, कानपुर, सहारनपुर, गढ़वाल, (पौड़ी) और फर्रुखाबाद ।

प्रत्येक जिले में कई महिला मंगल केन्द्र होते हैं जहां ग्राम सेविकायें ग्रामीण महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा, शिल्प कला, चरखा, कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य तथा सफाई, सहकारिता, फल-संरक्षण तथा अचार बनाना, निवार कालीन बनाना, संतुलित आहार, शिशु के लालन-पालन, आदि विषयों में प्रशिक्षण देती हैं । बालक तथा बालिकाओं के लिये बालवाड़ी कक्षा का प्रबंध रहता है । इसके अतिरिक्त ग्राम सेविकायें गांव वालों को साधारण रोगों की दवा देती हैं और प्रसव के पूर्व तथा पश्चात् आवश्यक सुझाव भी ग्रामीण महिलाओं को देती हैं ।

ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिये तीन महिला मंगल प्रशिक्षण केन्द्र क्रमशः ज्योलीकोट (जिला नैनीताल), पृथ्वीगंज (जिला प्रतापगढ़) तथा दोहाई (जिला मेरठ) में चलाये जा रहे हैं ।

उपर्युक्त प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की बनाई हुई योजना के अनुसार इस प्रदेश के लिये दो गृह अर्थ विज्ञान केन्द्र स्वीकृत हैं जो कि सरोजिनी नगर (जिला लखनऊ) तथा दोहाई (जिला मेरठ) में चल रहे हैं । इन केन्द्रों में प्रशिक्षित ग्राम सेविकायें राष्ट्रीय प्रसार योजना के अन्तर्गत सेवा कार्य करने के लिये नियुक्त की जाती हैं ।

२—सामाजिक व नैतिक स्वास्थ्य रक्षा तथा उत्तर रक्षा योजना

केन्द्रीय सरकार की बनाई हुई Social and Moral Hygiene and After-care Services Scheme (सामाजिक व नैतिक स्वास्थ्य रक्षा तथा उत्तर रक्षा योजना) के अन्तर्गत महिलाओं के कल्याण के लिये ३ उत्तर रक्षा गृह After-care Homes तथा १२ जिला शरणालय एवं प्रवेशालय (District Shelters-cum-Reception Centres) खोले गये हैं । उत्तर रक्षा गृहों के विवरण निम्न प्रकार हैं :

(क) अशोधक संस्थाओं से उन्मुक्त महिलाओं के लिये उत्तर रक्षा गृह, मेरठ,
(ख) शोधक संस्थाओं से उन्मुक्त महिलाओं के लिये उत्तर रक्षा गृह, लखनऊ, तथा
(ग) उद्धारित महिलाओं के लिये गृह, देहरादून ।

प्रत्येक उत्तर रक्षा गृह में १०० व्यक्तियों के रहने का प्रबंध है । इन गृहों में आश्रितों के पुनर्वासन के लिये सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें ।

१२ जिला शरणालय एवं प्रदेशालय निम्नलिखित स्थानों में स्थित हैं :

अलमोड़ा, बरेली, फैजाबाद, कोटद्वार (जिला गढ़वाल), गाजीपुर, गोरखपुर, कानपुर, हलद्वानी (जिला नैनीताल), सीतापुर, टेहरी गढ़वाल, वाराणसी तथा इलाहाबाद ।

इन शरणालयों एवं प्रदेशालयों में शोधक तथा अशोधक संस्थाओं से उन्मुक्त अथवा नैतिक विपत्ति से छुड़ाई गई स्त्रियों और बालिकाओं को अस्थायी शरण दी जाती है जिसके बाद उन्हें उपर्युक्त उत्तर रक्षा गृहों में से किसी एक गृह में भेज दिया जाता है ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३२७ एल० ए०—१९५९—८४५ ।